द्वितीय प्रश्न पत्र
विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही
मॉड्यूल – एक – विविध अधिनियम

(1) आबकारी अधिनियम

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 धारा 16, 19, 47, 54, 54ए, 66, 66ए।

धारा –16 इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत के अलावा आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण का प्रतिषेध–(1) आबकारी आयुक्त या इस निमित सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा इस निमित अनुदत किसी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन और उसके शर्तो और निर्बन्धनों के अन्तर्गत से अन्यथा–
(क) कोई भी आबकारी योग्य वस्तु विनिर्मित नहीं की जा सकती है;
(ख) हैम्प के पौधों (केनोविस सतिवा) की खेती नहीं की जा सकती है;
(ग) हैम्प के पौधों (केनोविस सतिवा) का को कोई भी भाग, जिससे मादक औषधि–द्रव्य विनिर्मित किया जा सकता है, संगृहीत नहीं किया जा सकता है;
(घ) कोई भी शराब विक्रय के लिए बोतलों में नहीं भरी जा सकेगी;
(ड़) किसी भी ताड़ी उत्पादक वृक्ष से रस नहीं चुआया (निकाला) जा सकेगा;
(च) किसी भी वृक्ष से ताड़ी नहीं निकाली जाएगी; और
(छ) कोई भी व्यक्ति किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए कोई भी पदार्थ, भभका, बर्तन, औजार, उपकरण या कोई भी यंत्र न तो उपयोग में लाएगा और न ही अपने पास (कब्जे) में रखेगा।
(2) आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित दी गई किसी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के बिना तथा अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों और शर्तो से अन्यथा कोई भी आसवनी, मघ निर्माणशाला या घट–भभका न तो बनाया जाएगा और न ही चलाया जा सकेगा।

धारा –19 राज्य सरकार द्वारा विहित मात्रा से अधिक आबकारी योग्य वस्तु को, अनुज्ञा के बिना कब्जे में रखने का प्रतिषेध–(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी आबकारी योग्य वस्तु का विनिर्माण करने, उसकी खेती करने, संग्रह या विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त नहीं है, आबकारी आयुक्त द्वारा या इस निमित सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञा के बिना अपने कब्जे में उस वस्तु को उस मात्रा से, जिसे राज्य सरकार ने ,धारा 5 के अन्तर्गत खुदरा विक्रय की सीमा घोषित की है, अधिक मात्रा में नहीं रख सकता है।
(2) उपधारा (1) का प्रसार निम्नलिखित पर नहीं होगा– (क) किसी सामान्य वाहक या भाण्डागारिक के कब्जे में स्थित किसी भी विदेशी मदिरा पर, जो कि विकृतिकृत स्पिरिट से भिन्न होती है, या
(ख) विलोपित
(3) कोई अनुज्ञप्त विक्रेता अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत स्थान से भिन्न किसी भी स्थान पर, किसी भी आबकारी योग्य वस्तु को, आबकारी आयुक्त द्वारा या इस निमित सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए अनुज्ञापत्र के बिना, उस मात्रा में, जिसे राज्य सरकार ने धारा 5 के अन्तर्गत खुदरा विक्रय की सीमा घोषित किया है, से अधिक किसी भी मात्रा में अपने कब्जे में नहीं रख सकता है।
(4) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्यिों के वर्ग द्वारा या ऐसे अपवादों के अन्तर्गत रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, समस्त व्यक्तियों द्वारा राजस्थान राज्य के उन भागों में जहां इस अधिनियम का प्रसार है या उनके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अन्तर्गत रहते हुए जिन्हें वह विहित करे, कब्जे में रखे जाने का राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकती है।

धारा 47 आबकारी अधिकारी की बिना वारण्ट के तलाशी लेंने की शक्ति–
(1) जब कभी भी आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के पास जो ऐसे पद से नीचे का नहीं है, जिसे राज्य सरकार विहित करे, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भी स्थान में इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय

PTS JODHPUR

कोई अपराध किया गया है, या किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है और यह कि अपराधी के निकल भागने या अपराध के साक्ष्य (एवीडेंस) को छिपाने का अवसर मिले बिना तलाशी का वारण्ट अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है–

लेकिन ऐसे स्थान में प्रवेश करने के पूर्व ऐसा अधिकारी यथा पूर्वोक्त विश्वास करने के अपने आधारों को अभिलिखित करेगा।

(2) यथा पूर्वोक्त प्रत्येक आबकारी अधिकारी ऐसे स्थान में पायी गयी ऐसी किसी भी चीज को, जिसके इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरणीय होने का विश्वास करने का उसके पास कारण हो, अभिग्रहीत कर सकता है और उक्त स्थान में पायें गयें किसी भी व्यक्ति को, जिसके यथा पूर्वोक्त अपराध का अपराधी होने का विश्वास करने का उसके पास कारण हो, निरूद्ध कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, यदि वह उचित समझे तो उसे गिरफ्तार भी कर सकता है।

धारा– 54 अविधिपूर्ण,आयात,निर्यात,परिवहन, विनिर्माण, अधिपत्य, इत्यादि के लिए शास्ति– जो कोई भी इस अधिनियम या किसी नियम या निर्मित आदेश या उसके अधीन प्रदान किसी अनुज्ञप्ति परिमिट या पास के उल्लंघन में –

(क) किसी आबकारी योग्य वस्तु का आयात,निर्यात,परिवहन,विनिर्माण,संग्रहण विक्रय या कब्जा करता है;या

(ख) किसी हैम्प पौधे (कैनेबिस सतिवा) की खेती करता है ;या

(ग) किसी आसवन, पॉट–भभका या शराब निर्माणशाला का निर्माण कराता है या चलाता है; या

(ध) ताडी के अलावा किसी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किसी भी सामग्री, भभका, बर्तन, उपकरण या औजार का प्रयोग करता है, रखता है या अपने कब्जे में रखता है; या

(ड) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्तिकृत किसी आसवन, पॉट–भभका,शराब निर्माणशाला या भण्डारगाह से किसी आबकारी योग्य वस्तु को हटाता है;या

(च) विक्रय के प्रयोजनों के लिए किसी शराब को बोतल में भरता है; या

(छ) किसी ताडी उत्पायदक वृक्ष से ताडी चुआता या निकालता हैः कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परंतु यदि एक व्यक्ति किसी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के लिए कार्य योग्य भभके के आधिपत्य में पाया जाता है या इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघंन में या किसी नियम या निर्मित आदेश या उसके अधीन प्रदान किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या पास के उल्लघंन में किसी आबकारी योग्य वस्तु को विक्रय के लिए विक्रय करने या रखने का दोषी पाया जाता है, तो वह छः माह के कारावास की न्यूनतम सजा से और दो सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 54–क अमुक प्रकरणों में पशु, गाडी, बेडा, मोटरयान या प्रवहण के किसी भी साधन के मालिक को दोषी माना जाना–जब किसी जानवर, गाडी, जलयान, बेडा मोटरयान या प्रवहण के कोई अन्य साधन का इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध को कारित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है, और जो अधिहरण का दायी है, वहॉ इस दशा के सिवाय कि जिसमें कोई मोटर यान या प्रवहण के अन्य साधन केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उनके किसी भी उपक्रम के स्वामित्वाधीन हो, उसका मालिक ऐसे अपराध करने का दोषी माना जायेगा और ऐसा स्वामी अपने विरूद्व कार्यवाही किये एवं तद्नुसार दण्डित किये जाने का दायित्वाधीन होगा, जब तक कि वह न्यायालय को इस हेतु संतुष्ट नहीं कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा था अथवा किया जा सकता है एवं उसने ऐसे अपराध के कृत्य को रोकने हेतु सम्यक सावधानी का प्रयोग किया था।

धारा–66 पूर्व दोष–सिद्ध के पश्चात् वर्धित दण्ड– धारा 58क में यथा–उपबंधित के सिवाय, यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अन्तर्गत या इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी भी अधिनियमिति के समरूप उपबंधों के अन्तर्गत, दण्डनीय किसी अपराध में पूर्व में सिद्ध–दोष ठहराये जाने के पश्चात् इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय कोई अपराध करता है और सिद्ध–दोष ठहराया गया है तो वह उस दण्ड के दोगुने से दण्डनीय होगा, जो उस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रथम दोष–सिद्ध पर अधिरोपित किया जा सकता थाः

लेकिन यह और कि वर्धित दण्ड इस अधिनियम के अधीन के किसी भी अपराध के लिए विहित न्यूनतम दण्डादेश पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगा।

धारा– 66क अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति–(1) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत

PTS JODHPUR

दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और उसे सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय का यह मानना हो कि उक्त व्यक्ति से उक्त किसी अपराध के करने से प्रविरत रहने के लिए एक बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करना आवश्यक हो, तो न्यायालय उक्त व्यक्ति के लिये दण्डादेश पारित करते समय उसे, तीन वर्ष तक की ऐसी समयावधि के दौरान जो वह नियत करना ठीक समझे उक्त अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए, उसकी हैसियत की अनुपातिक राशि का एक बंध–पत्र, प्रतिभू सहित या रहित निष्पादित करने का आदेश दे सकता है।

(2) बन्ध–पत्र अनूसूची 2 में बताये गये प्रारूप में होगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध जहां तक कि वे लागू होते हों, उक्त बंधपत्र हो, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 106 के अंतर्गत निष्पादित किए जाने हेतु आदेश दिया गया हों।

(3) यदि अपील या पुनरीक्षण में दोष–सिद्ध को अपास्त कर दिया जाये तो इस प्रकार निष्पादित बंधपत्र भी शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा भी अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया जा सकता है।

कार्यवाही हेतु शराब की न्यूनतम मात्रा

एक उपभोक्ता अपने पास शराब की अधिकतम मात्रा निम्न रूप से रख सकता है।

आबकारी अधिनियम की धारा 5(1) के तहत राज्य सरकार ने उपभोग हेतू अधिकतम मात्रा रखने की सीमा निम्न रूप से तय की है। राज्य सरकार चाहे तो इस नियम में मात्रा समय –समय पर परिपत्र जारी कर सीमा कम ज्यादा कर सकती है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में इस मात्रा के सम्बंध में अपने एक आदेश दिनांक 21.08. 2014 में वर्तमान में निम्न मात्रा तय की है–

1. देशी मदिरा– 3 लीटर
2. भारत निर्मित अग्रेजी शराब –9 लीटर
3. विदेश निर्मित अग्रेजी शराब–9 लीटर
4. वाइन–12 लीटर
5. बीयर–15 लीटर
6. भांग–100 ग्राम

उपर्युक्त मात्रा से अधिक पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम–2015

धारा–2 परिभाषाएँ– इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(1) "परित्यक्त बालक" का अभिप्राय ऐसे बालक से है जिसे उसके जैविक अथवा दत्तक माता–पिता या संरक्षकों द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है जिसे सम्यक् जाँच के पश्चात समिति द्वारा परित्यक्त घोषित किया जा चूका है।

(2) "दत्तकग्रहण" से वह प्रकिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा दत्तक बालक स्थायी रुप से अपने जैविक माता–पिता से अलग कर दिया जाता है और वह अपने दत्तक माता–पिता का उन सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के साथ धर्मज संतान बन जाता है जैसे किसी जैविक बालक से सम्बद्ध होते है;

(3) "दत्तकग्रहण विनिमय" का अभिप्राय ऐसे विनिमयों से है जिन्हें दत्तकग्रहण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विरचित और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(4) "प्रशासक" का अभिप्राय राज्य के उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी ऐसे जिला पदधारी से है,जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गयी है;

(5) अनुरक्षण का अभिप्राय राज्य ऐसे व्यक्तियों को वितिय या अन्य प्रकार के आश्रय का प्रावधान सुनिश्चित करने से है जिन्होनें अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है लेकिन उन्होनें इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, और उन्होनें समाज की धारा में सम्मिलित होने के लिए किसी संस्थागत देखरेख को छोड़ दिया है;

PTS JODHPUR

(6) "प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण" का अभिप्राय किसी विदेशी सामाजिक अथवा बाल कल्याण अभिकरण से है जिसे केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनिवासी भारतीय या भारत के समुद्र पार भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी भावी दत्तक माता–पिता को भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण हेतु प्रायोजित करने के लिए उस देश के केन्द्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर प्राधिकृत किया गया है;

(7) "प्राधिकरण" का अभिप्राय धारा 68 के अधीन गठित केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण से है;

(8) भीख माँगना का अभिप्राय निम्न से है–

(i) लोक स्थान में भिक्षा की याचना करना या प्राप्त करना या किसी निजि परिसर में भिक्षा की याचना करना या प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो;

(ii) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देशय से, अपना या किसी अन्य व्यक्ति या जीव–जन्तु का कोई व्रण,घाव, क्षति, विरुपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना;

(9) "बालक का सर्वोतम हित" का अभिप्राय बालक के सम्बन्ध में उसके मूलभूत अधिकारों तथा आवश्यकता, पहचान, सामाजिक भलाई और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति करने हेतु लिये गये किसी भी निर्णय के आधार से है;

(10) परिषद का अभिप्राय धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय परिषद् से है;

(11) "केन्द्रीय प्राधिकरण" का अभिप्राय अन्तर–देशीय दत्तकग्रहण में बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय(1993) के अधीन उस रुप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग से है;

(12)''बालक'' का अभिप्राय– ऐसे व्यक्ति से है जिसने अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है;

(13) "विधि का उल्लंघन करने वाला बालक का अभिप्राय" ऐसे बालक से है जिसका अपराध को कारित करना अभिकथित है या पाया जाता है और जिसने उस अपराध के कारित किये जाने की तारीख पर अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नही की है;

(14) "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक" का अभिप्राय ऐसे बालक से है–

(i) जिसे गृह विहिन अथवा किसी निश्चित स्थान के और जीवन निर्वाह के किसी सदृश्य साधन के बिना पाया जाता है; अथवा

(ii) जिसे तत्समय प्रवृत श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है अथवा भिक्षा मांगते हुए या सड़क पर आवारागर्दी करते हुए पाया जाता है; अथवा

(iii) जो किसी व्यक्ति के साथ (चाहे वह उस बालक का संरक्षक हो या नहीं) निवास करता है और उस व्यक्ति ने–

(क) उस बालक को आहत किया है, उसका शोषण किया है या प्रताड़ित किया है अथवा उसकी उपेक्षा की है या बालक के संरक्षण हेतु बनायी गयी तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि का उल्लंघन किया है; अथवा

(ख) उस बालक को मार डालने, आहत करने, उसका शोषण करने या दुरुपयोग करने की धमकी दी जाती है और उस धमकी को कार्यान्वित किये जाने की युक्तियुक्त सम्भावना है; अथवा

(ग) किसी अन्य बालक या बालकों को मार डाला है, उनका दुरुपयोग किया है, उनकी उपेक्षा की है या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक के उस व्यक्ति द्वारा मार डाले जाने, दुरुपयोग किये जाने, शोषण किये जाने या उपेक्षा किये जाने की युक्तियुक्त सम्भावना है; अथवा

(iv) जो मानसिक या शारीरिक रुप से असक्षम है या जो घातक या असाध्य रोग से ग्रसित है, जिसे आश्रय देने वाला या देखभाल करने वाला कोई नहीं है अथवा जिसके माता– पिता या संरक्षक देखभाल करने में असमर्थ, अयोग्य है बशर्ते ऐसा परिषद् या समिति द्वारा पाया गया हो; अथवा

(v) जिसके माता– पिता अथवा संरक्षक है और ऐसे जिसके माता– पिता अथवा संरक्षक का उस बालक पर नियंत्रण और उसकी सुरक्षा तथा भलाई को संरक्षण प्रदान करने के लिए समिति अथवा परिषद् द्वारा अयोग्य या असमर्थ होना पाया गया हो; अथवा

(vi) जिसके माता पिता नहीं है तथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसकी देखरेख करने का इच्छुक हो, अथवा जिसके माता–पिता ने उसे परित्यक्त कर दिया है या उसका अभ्यर्पण कर दिया है; अथवा

PTS JODHPUR

(vii) जो गुमशुदा या भगोड़ा बालक है अथवा जिसके माता–पिता को ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाये, युक्तियुक्त जाँच करने के पश्चात् नहीं पाया जा सकता है; अथवा

(viii) जिसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार अथवा अवैध कार्यों के प्रयाजनार्थ दुरुपयोग किया गया है, जिसे यातना दी गयी है या जिसका शोषण किया गया है अथवा उसका ऐसा किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है; अथवा

(ix) जिसका मादक द्रव्यों में या दुर्व्यापार के कार्यों में लगा दिया जाना पाया गया है और उसका इस प्रकार लगाया जाना सम्भाव्य है; अथवा

(x) जिसका अन्तःकरण विरुद्ध अभिलाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा किया जाना सम्भाव्य है; अथवा

(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सामाजिक अशान्ति अथवा प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है अथवा उसके द्वारा प्रभावित है; अथवा

(xii) जो विवाह की आयु को प्राप्त करने के पूर्व विवाह के किये जाने के आसन्न जोखिम में है और जिसके माता–पिता, परिवार के सदस्य, संरक्षक एवं अन्य किसी व्यक्ति का उस विवाह के अनुष्ठान के लिए उतरदायी होना सम्भाव्य है;

(15)"बालक के अनुकूल'' का अभिप्राय ऐसे किसी व्यवहार, आचरण, चलन, प्रकिया, दृष्टिकोण, वातावरण या उपचार से है जो मानवीय, विचारशील तथा बालक के सर्वोतम हित में हो;

(16)"बालक दत्तकग्रहण हेतु विधितः" स्वतन्त्र का अभिप्राय धारा 38 के अधीन सम्यक् जाँच करने के पश्चात् समिति द्वारा उस रुप में घोषित किये गये बालक से है;

(17)"बाल कल्याण अधिकारी" का अभिप्राय समिति अथवा जैसा विषय हो परिषद् द्वारा दिये गये निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए बालक गृह से सम्बद्ध ऐसे उत्तरदायित्व वाले अधिकारी से है जिसे विहित किया जाये;

(18)''बाल कल्याण पुलिस अधिकारी'' का अभिप्राय धारा 107 की उप–धारा (1) के अधीन उस रूप में पदनामित अधिकारी से है;

(19)''बालक–गृह'' का अभिप्राय ऐसे बालक गृह से है जिसे या तो स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित अथवा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और वह धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए रूप में पंजीकृत किया गया हो;

(20) ''बालकों का न्यायालय'' का अभिप्राय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन स्थापित न्यायालय अथवा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अधीन विशेष न्यायालय, जहाँ कहीं विद्यमान हो, से है और जहाँ ऐसे न्यायालयों को पदनामित नहीं किया गया है तो वहाँ अधिनियम के अधीन अपराधों के विषय में विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले सत्र न्यायालय से है;

(21) ''बालक देखरेख संस्था'' का अभिप्राय बालक गृह खुला आश्रम, संपेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण और उन बालकों, जिन्हें सेवाओं की आवश्यकता है, को देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधा से है;

(23)''न्यायालय'' का अभिप्राय ऐसे सिविल न्यायालय से है जिसे दत्तक ग्रहण और संरक्षकत्व के मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त है और इसमें जिला न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय सम्मिलित हो सकते है;

(24) ''शारीरिक दण्ड'' से किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिरोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर कारित किया जाना सम्मिलित है;

(31)''संरक्षक'' से किसी बालक के संबध में,उसका नैसर्गिक संरक्षक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी वास्तविक देखरेख में, यथास्थिति, समिति या बोर्ड की राय में वह बालक है और जिसे, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा कार्यवाहियों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(33)''घृर्णित (जघन्य) अपराध'' में ऐसे अपराध सम्मिलित है जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन न्यूनतम दण्ड सात वर्ष या उससे अधिक का कारावास है;

(35)''किशोर'' से अठारह वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है;

PTS JODHPUR

(42)''अनाथ'' से ऐसा बालक अभिप्रेत है:–

1.जिसके जैविक या दत्तक माता–पिता या विधिक संरक्षक नहीं हैं;

2.जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है;

(45)''लघु अपराध'' में ऐसे अपराध सम्मिलित हैं जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) अथवा तत्समय प्रतृत्त अन्य किसी विधि के अधीन अधिकतम दण्ड तीन वर्ष तक का कारावास है;

(54)''घोर अपराध'' के अन्तगर्त ऐसे अपराध आते है जिनके लिए भारतीय दंड संहिता(1860 का 45) या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन से सात वर्ष के बीच के कारावास का है;

धारा–4 किशोर न्याय बोर्ड–(1) दंड प्रक्रिया संहिता,1973(1974का 2) में अंर्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों को, इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, स्थापित करेगी।

(2)बोर्ड एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान मजिस्ट्रेट कहा गया है) न हो, जिनके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और दो ऐसे सामाजिक कार्यकताओं से मिलकर बनेगा जिसका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा,जो विहित की जाए और उनमें कम से कम एक महिला होगी। यह एक न्यायपीठ का रूप लेगा और ऐसी न्यायपीठ को वही शक्तियां प्राप्त होगी, जो दंड प्रक्रिया संहिता,1973(1974का 2)द्वारा यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई हैं।

(3)किसी भी सामाजिक कार्यकर्त्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति कम से कम सात वर्ष तक बालकों से तात्पर्पित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अंतवर्लित हो या बालक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो।

(4)कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि–

(क)उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है;

(ख)उसे ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं दिया गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान की गई है;

(ग)उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है;

(घ)वह कभी बालक के दुरूपयोग या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

(5)राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्यों, जिनके अंतर्गत परिषद का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, का देखरेख, संरक्षण, पुनर्वासन, बालकों के लिए विधिक उपबंधों और न्याय के संबंध में ऐसा प्रेरण, प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण, जो विहित किया जाए, उसकी नियुक्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।

(6)बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीति जिसमें ऐसा सदस्य त्यागपत्र दे सकेगा, ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(7)बोर्ड के किसी सदस्य की, प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय, नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात् समाप्त किया जा सकता है, यदि वह सदस्य–

(i)इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग को दोषी पाया गया है; या

(ii)बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मास तक भाग लेने में असफल रहता है;

(iii)किसी वर्ष में तीन–चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है;

(iv)सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा(4) के अधीन अपात्र हो जाता है।

PTS JODHPUR

किशोर न्याय परिषद

धारा 10 ऐसे बालक को पकडा जाना जिसका विधि का उल्लघंन कारित करना अभिकथित है–

1.पुलिस द्वारा जैसे ही किसी ऐसे बालक को पकडा जाता है जिसका विधि का उल्लघंन कारित करना अभिकथित है,उस बालक को विशेष किशोर पुलिस ईकाई अथवा नामोदिष्ट बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जायेगा जो उस बालक को बिना कोई समय नष्ट किये हुए लेकिन उस स्थान से जहां उस बालक को पकडा गया था,यात्रा हेतू आवश्यक समय को अपवर्जित करते हुए बालक को पकडने के समक्ष पेश करेगा।

2.राज्य सरकार इस अधिनियम के सुसंगत नियमों की विरचना करेगी

क. ऐसे व्यक्तियों (पंजीकृत स्वंयसेवी अथवा गैर–सरकारी संगठनों समेत) का उपबन्ध करना जिनके माध्यम से किसी ऐसे बालक जिसका विधि का उल्लंधन करना अभिकथित है को परिषद् के समक्ष पेश किया जा सकेगा।

ख.ऐसी रीति का उपबन्ध करना जिसमें एस बालक जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है को सम्प्रेषण गृह या जैसा विषय हो सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकेगा।

धारा 11 उस व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है– कोई व्यक्ति जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है जबकि वह आदेश प्रभावी हो उक्त बालक के उतरदायित्व को उसी प्रकार से प्राप्त करेगा मानो उक्त व्यक्ति उस बालक का पिता हो और बालक के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी हो।

धारा 12–उस व्यक्ति को जमानत जो प्रकट रूप से ऐसा बालक है जिसका विधि का उल्लघन करना अभिकथित है–1. जब कोई व्यक्ति जो प्रकट रूप से बालक है और जिसका किसी जमानतीय अथवा गैर जमानतीय अपराध को कारित करना अभिकथित है पुलिस द्वारा पकडा जाता है या निरूद्व किया जाता हैअथवा परिषद् के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है तो वह व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) अथवा तत्समय प्रवृतअन्य किसी भी विधि में अन्तर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए प्रतिभू के साथ अथवा उसके बिना जमानत पर मुक्त कर दिया जायेगा या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जायेगा।

धारा 13 माता पिता,संरक्षण या परिविक्षण अधिकारी को सूचना–

(1) जब कोई ऐसा बालक जिसका विधि का उल्लंधन करना अभिकथित है,पकडा जाता है तो थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारी अथवा विशेष किशोर पुलिस ईकाई जिसके समख उस बालक को लाया जाता है ,उस बालक के पकडे जाने के बाद यथा सम्भंव शीध्र सूचित करेगा–1.उस बालक के माता– पिता अथवा संरक्षक यदि उन्हे पाया जा सके और उन्हे उस परिषद के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश करेगा जिसके समक्ष बालक को पेश किया गया।

(2) परिवीक्षा अधिकारी, अथवा यदि कोई परिवीक्षक अधिकारी उपलब्ध नही है तो बाल कल्याण अधिकारी, दो सप्ताह के भीतर बालक के इतिवृत तथा परिवाद की पृष्ठ भूमि से संबंधित सूचना और अन्य तात्विक परिस्थितियों को अन्तर्विष्ट करते हुए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट को तैयार करने और दाखिल करने के लिये, जिनका जॉच को करने हेतु परिषद की सहायता करना संभाव्य है।

1.जहां किसी बालक को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो परिषद द्वारा परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी को सूचित किया जायेगा।

धारा 21 आदेश जिसे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध पारित नही किया जा सकेगा– विधि का उल्लघन करने वाले किसी भी बालक को ऐसे किसी अपराध के लिये, या तो इस अधिनियम के प्रावधानो के अधीन या भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45) अथवा तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि के अधीन, मुक्ति की सम्भावना के बिना, मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट नही किया जायेगा।

धारा 22 बालक के विरूद्ध लागू न होने वाली दंड प्रक्रिया के अधीन की कार्यवाही– दंड प्रक्रिया संहिता,1973(1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत किसी निरोध निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरूद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।

धारा 31 समिति के समक्ष पेश किया जाना–(1)देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, अर्थात्:–

PTS JODHPUR

(i)किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस एकक या पदाभिहित बालक कल्याण पुलिस के अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी या तत्समय प्रवृतत किसी श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा;

(ii)किसी लोकसेवक द्वारा;

(iii)ऐसी बालबद्ध सेवाओं या किसी स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा,जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए;

(iv)बालक कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा;

(v)किसी सामाजिक कार्यकर्त्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक द्वारा;

(vi)स्वयं बालक द्वारा, या;

(vii)किसी नर्स, डॉक्टर, परिचर्या गृह(नर्सिंग होम) अस्पताल या प्रसृति गृह के प्रबंधक द्वारा:

परन्तु बालक को समय नष्ट किए बिना, किंतु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय के छोडकर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

(2)राज्य सरकार, जांच की अवधि के दौरान समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को, यथास्थिति, बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

बालकों के विरूद्ध अन्य अपराध

धारा 74 बालकों की पहचान के प्रकटीकरण पर प्रतिषेध–(1)किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, न्यूजशीट या दृश्य–श्रव्य मीडिया या किसी जॉच अथवा अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में या संसूचना या अन्य रूप में कोई भी रिपोर्ट नाम, पता या विधालय या अन्य कोई विशिष्टि प्रकट नहीं करेगी जिससे विधि का उल्लघंन करने वाले बालक अथवा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक या पीड़ित बालक या ऐसे मामले में लिप्त अपराध के साक्षी की, तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन, पहचान प्रकट होती हो, न ही ऐसे किसी बालक की तस्वीर को प्रकाशित किया जायेगा :

परन्तु यह कि लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, परिषद या जैसा विषय हो समिति जॉच करते समय ऐसे प्रकटीकरण की अनुमति दे सकती है बशर्ते उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण उस बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(2) पुलिस ऐसे मामलों में जहॉ वाद को बन्द किया जा चुका है या उसका निस्तारण किया जा चुका है, चरित्र प्रमाण–पत्र के प्रयोजनार्थ या अन्यथा बालकों के अभिलेख को प्रकट नहीं करेंगी।

(3) उपधारा (1) के प्रावधानों का अतिलंघन करते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास जो **छः** माह तक हो सकता है या अर्थ दण्ड से जो दो लाख रूपये तक हो सकता है या दोनो से दण्डनीय होगा।

धारा 75 बालक के प्रति क्रूरता के लिए दण्ड– जो कोई किसी बालक का वास्तविक प्रभार रखते हुए या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर हमला करता है, उसे परित्यक्त कर देता है, उसका दुरूपयोग करता है, उसे अभिदर्शित करता है या ऐसी रीति से जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है या उस बालक पर हमला करता है, उसे परित्यक्त कराता है या उसका दुरूपयोग कराता है, अभिदर्शित कराता है, या उसकी उपेक्षा कराता है, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट कारित होना सम्भाव्य है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास जो **तीन वर्ष** तक हो सकती है या **एक लाख रूपये** के अर्थदण्ड से या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु यह कि यदि यह पाया जाता है कि जैविकीय माता–पिता द्वारा बालक का ऐसा परित्याग उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुआ है तो यह उपधारित किया जायेगा कि ऐसा परित्याग अपनी इच्छा से नहीं है और इस धारा के दाण्डिक प्रावधान ऐसे वादों में लागू नहीं होंगे :

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि ऐसा अपराध किसी ऐसे संगठन द्वारा या उसका प्रबन्ध करके नियोजित करे किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जिसे उस बालक के देखरेख और संरक्षण का कार्य सौंपा गया है, तो वह सश्रम कारावास से, जो **पाँच वर्ष** तक हो सकेगा और अर्थदण्ड से **पाँच लाख रूपए** तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि पूर्वोलिखित क्रूरता के कारण, यदि वह बालक शारीरिक रूप से असक्षम हो जाता है या उसे मानसिक रोग हो जाता है या यह नियमित कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अनुपयुक्त हो जाता है या

PTS JODHPUR

जिसका जीवन अथवा अंग जोखिम में है तो ऐसा व्यक्ति कम से कम **तीन वर्ष** के सश्रम कारावास से दण्डनीय होगा लेकिन जो **दस वर्ष** तक विस्तारित किया जा सकेगा और **पाँच लाख रूपए** के अर्थदण्ड से भी दण्डनीय होगा।

धारा 76 भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन (1) जो काई भीख मांगने के प्रयोजनार्थ किसी बालक को प्रयोग करता है अथवा किसी बालक से भीख मंगवाता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो **पाँच वर्ष** तक का हो सकता है, से दण्डनीय होगा और साथ ही **एक लाख रूपए** के अर्थदण्ड के लिए भी दण्डनीय होगा **परन्तु** यह कि यदि भीख मांगने के प्रयोजनार्थ व्यक्ति बालक का अंग–भंग कर देता है या उसे अपंग बना देता है तो वह कम से कम **सात वर्ष** की अवधि के कारावास, जो **दस वर्ष** तक को हो सकता है, से दण्डनीय होगा और **पाँच लाख रूपए** के अर्थदण्ड के लिए भी दायी होगा।

(2) जो कोई बालक का वास्तविक प्रभार या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता है, उपधारा (1) में यथा उपबन्धित किसी दण्ड से दण्डनीय होगा और उस व्यक्ति का धारा 2 के खण्ड (14) के उप–खण्ड (5) के अधीन अनुपयुक्त माना जायेगा :

परन्तु यह कि उक्त बालक किसी भी परिस्थितियों में विधि का उल्लघंन करने वाला बालक नहीं माना जायेगा और उसे ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के प्रभार अथवा नियंत्रण से हटा दिया जायेगा और उसे समुचित पुनर्वास के लिए समिति के समक्ष पेश किया जायेगा।

धारा 77 किसी बालक को नशीली मदिरा या स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्तिः–जो कोई, सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के सिवाय अन्य प्रकार से, किसी बालक को कोई नशीली मदिरा या स्वापक, औषधि या तम्बाकू के उत्पाद या मनःप्रभावी पदार्थ देता है या दिलवाता है, ऐसी अवधि के सश्रम कारावास, जो सात वर्ष तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा और अर्थदण्ड के लिए भी दायी होगा जो एक लाख रूपए तक हो सकता है।

धारा 94 आयु की उपधारा और अवधारणा– (1)जहाँ समिति या परिषद् को, इस अधिनियम के प्रावधानों में से किसी के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन को छोडकर अन्य किसी प्रयोजन के लिए) उसके समक्ष लाये गये व्यक्ति की उपसंजाति के आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो वहाँ समिति या परिषद् उस बालक की आयु को, जितना निकटतम हो सके, बताते हुए ऐसे सम्प्रेक्षण को करेगा और वह आयु के अग्रेतर पुष्टि की प्रतीक्षा किये बिना धारा 14 या जैसा विषय हो धारा 36 के अधीन या जैसा विषय हो की कार्यवाही करेगा।

(2) यदि समिति या परिषद् के पास इस सम्बन्ध में संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, समिति या जैसा विषय हो परिषद् निम्न आधारों पर आयु अवधारणा की प्रक्रिया को प्रारम्भ करेगा।

1 विधालय से जन्म प्रमाण–पत्र अथवा सम्बन्धित परीक्षा परिषद् से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण–पत्र में तारीख, यदि वह उपलब्ध हो और उसके अभाव में;

2 निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म–प्रमाण–पत्र;

3 और केवल उपरोक्त (1) तथा (2) के अभाव में आयु का अवधारणा अस्थि विकास जाँच अथवा समिति या परिषद् के आदेशो पर आयु अवधारणा का अन्य कोई नवीनतम चिकित्सीय परीक्षण द्वारा किया जायेगा, जिसे समिति या परिषद् के आदेशो पर किया गया हो :

परन्तु यह कि समिति अथवा परिषद् के आदेश पर किया गया ऐसा आयु अवधारणा परीक्षण उस आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरा किया जायेगा।

(3) समिति या परिषद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके समक्ष इस प्रकार लाये गये व्यक्ति की आयु के रूप में अभिलिखित की गयी आयु उस व्यक्ति की शुद्ध आयु के रूप में समझी जायेगी।

धारा 107 बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई–(1)प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उपनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति ज्ञान हो, पुलिस, स्वैच्छिक और गैर–सरकारी संगठनों के समन्वय से अनन्य रूप से बालकों के साथ या तो पीडितों या अपराधियों के रूप में व्यवहार करने के लिए, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।

(2)बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस एककों का गठन करेगी, जिनका नेतृत्व उप–पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक का

PTS JODHPUR

पुलिस अधिकारी करेगा, और जिसमें उपधारा(1)के अधीन अभिहित सभी पुलिस अधिकारी होंगे और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्त्ता, जिनमें एक महिला होगी, होंगे।

(3)विशेष किशोर पुलिस एककों के सभी पुलिस अधिकारियों को, विशेषकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में शामिल करने पर, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे अपने कत्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावी रूप से कर सकें।

(4)विशेष किशोर पुलिस एकक के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी है।

किशोर न्याय(बालकों की देखरेख व संरक्षण) नियम 2016

नियम–8. पेशी के पूर्व पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–

(1) जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभिकथित हो, या जब बालक द्वारा ऐसा अपराध वयस्को के साथ सम्मिलित रूप से किये जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नही की जायेगी। अन्य सभी मामलों में, विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किये गये अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा, उसके पश्चात् प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठ भूमि और जहां कहीं लागू हो, बालक को पकडे जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

परन्तु पकडे जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जायेगा। जब तक बालक के सर्वोतम हित में न हो। छोटे मोटे गम्भीर अपराधों के अन्य मामलो में जहां बालक के हित में पकडा जाना आवश्यक न हो, पुलिस या विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्रारूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा किये गये अभिकथित अपराध के स्वरूप की जानकारी बोर्ड को भेजेगा तथा उस बालक के माता–पिता या अभिभावको को यह सूचित करेगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया जाना है।

(2) जब विधि का उल्लघंन करने के लिये अभिकथित बालक को पुलिस पकडती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सौपेगा, जो तत्काल इसको सूचित करेगाः

1. बालक के माता–पिता या सरंक्षण को यह सूचित किया जायेगा कि बालक को पकडा गया है और साथ ही उस बोर्ड का पता बताया जायेगा जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उस तारीख और समय की जानकारी दी जायेगी जब माता–पिता यह सरक्षंण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है।

2. संबंधित परिविक्षा अधिकारी को सूचित किया जायेगा कि बालका को पकडा गया है ताकि वह बालक की सामजिक पृष्ठभुमि और अन्य महत्तवपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जाचं कार्य में बोर्ड के लिये सहायक सिद्व हो सकती होः और

3. बालक को पकडे जाने के 24 घण्टे के भीतर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बालक कल्याण पुलिस अधिकरी के साथ प्रस्तुत होने के लिये बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित किया जावेगा।

(3) विधि का उल्लघंन करने के लिये अभिकथित बालक को पकडने वाला पुलिस अधिकारी :

1. उस बालक को हवालात में नही भेजेगा और बालक को नजदीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौपने में देरी नही करेगा वह पुलिस अधिकारी पकडे गये बालक को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नही कर दिया जाता है अर्थात उसको गिरफतार किये जाने से 24 घण्टे और इन नियमों के भीतर समुचित नियमों के नियम 9 के अनुसार आदेश प्राप्त किये जाने तक किसी संप्रेक्षण गृह में तब तक के लिए भेज सकता है।

2.बालक को कोई हथकडी, जंजीर या अन्यथा बेडी नही पहनायेगा तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नही करेगाः

3. बालक को तुरन्त और सीधे उन आरोपो की जानकारी उसके माता–पिता या सरंक्षक के माध्यम से दी जायेगी, जो उस पर लगाये गये है और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बालक को उपलब्ध कराई जायेगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता पिता या सरंक्षक को दी जायेगी।

4. बालक को यथास्थिति उपयुक्त चिकित्सीय सहायता दूरभाषिये या विशेष शिक्षक की सहायता उपलब्ध करायेगा, जिसकी आवश्यकता बालक को होः

PTS JODHPUR

5. बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिये बाध्य नही करेगा तथा उससे बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बालको के अनूकूल परिसरो या पुलिस थाने बालको के लिये ऐसे अनूकूल स्थान पर की जावेगी, जहां बालका को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या हिरासत में रखकर उससे परिप्रश्न किये जा रहे है। पुलिस जब बालक से बातचीत करे तब उसके माता पिता या सरंक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैः

6. बालक से किसी भी कथन पर हस्ताक्षर करने को नही कहेगा और

7. बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(4)बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादे कपडो में होगा और वर्दी में नही होगा।

(5) बालक की सामाजिक प्रष्ठभूमि और किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसके पकडे जाने की परिस्थितियो की जानकारी प्रारूप 1 में अभिलिखित करेगा। जिसे तुरन्त बोर्ड को भेजा जायेगा।सर्वोतम उपलब्ध जानकारी एकत्र करने के प्रयोजनार्थ, विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के लिये बालक के माता पिता या सरंक्षक से सम्पर्क करना आवश्यक होगा।

(6) किसी जिले में सभी अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारीयों, बाल कल्याण अधिकारीयों, परिविक्षा अधिकारीयो, अर्ध विधिक स्वयं सेवियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणो और रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठनो, बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यो, विशेष किशोर पुलिस ईकाई के सदस्यो और चाईल्ड लाईन सेवाओं की सूची और उनसे सम्पर्क के ब्यौरे प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाये जायेगे।

(7) जब किसी ऐसे मामले में बालक को छोडा जाता है जिसमें बालक को पकडने की आवश्यकता न हो, तब माता पिता या सरंक्षक या उस उपयुक्त व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में विधि का उल्लघंन करने के लिये अभिकथित बालक को रखा गया है, गैर न्यायिक कागज पर प्ररूप 2 में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि जांच या कार्यवाही की तारीखों को बोर्ड के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

(8)राज्य सरकार उन स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनो या व्यक्तियों का पैनल रखेगी, जो परिविक्षा, परामर्श, मामला कार्य सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ भी सहयुक्त होने की स्थिति में हो और जिन्हे बालक को 24 घण्टे और कार्यवाही लम्बित रहने की अवधि में बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिये अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त हो और ऐसे स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनो या व्यक्तियो के पैनल की जानकारी बोर्ड को भेजी जायेगी।

9.राज्य सरकार पुलिस या विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बालको की सुरक्षा और सरंक्षण के लिये जिम्मेंदार व्यक्ति को पकडे गये या उनकी देखरेख में रखे गये बालको के उनके साथ रहने की अवधि के लिये उन बालको के लिये भोजन और यात्रा खर्च तथा आकस्मिक चिकित्सीय देखरेख सहित आधारभूत सुविधाओ को उपलब्ध कराने के लिये निधियां उपलब्ध कराऐगी।

(9) विधि का उल्ंघन करने के लिये अभिकथित बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना

(1) जब विधि का उल्घंन करने के लिये अभिकथित बालक को पकडा जाता है तब उसे पकडे जाने के समय से चौबीस घण्टे के भीतर पुलिस द्वारा उस बालक को पकडे जाने के कारण स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(2) बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर , बोर्ड आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे, जिसके अन्तर्गत बालक को संप्रेषण गृह में या सुरक्षित स्थान पर या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजना भी है।

(3) जहां बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया बालक अधिनियम की धारा 83 के अधीन आता हो, जिसके अन्तर्गत वह बालक कभी है जिसको अभ्यर्पित किया गया शामिल है, वहां बोर्ड विधिवत जांच और बालक की परिस्थितियो के विषय में अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद उस बालक को देखरेख और सरंक्षण के जरूरतमंद बालक के रूप में आवश्यक कार्यवाही तथा/अथवा पुर्नवास के लिये उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिये समिति को भेज सकता है। जिसके अन्तर्गत इस कार्यवाही अथवा निर्देश में बालक की सुरक्षित अभिरक्षा और सरंक्षण तथा इस प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधा को अंतरित करने के आदेश जो उपयुक्त सरंक्षण प्रदान करने में सक्षम होगी तथा बालक के सरंक्षण और सुरक्षा के लिये उसे जिले या राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजने के विषय में विचार करना भी है।

(4) जहां विधि का उल्घंन करने के लिये अभिकथित बालक पकडा न गया हो और उस विषय में जानकारी पुलिस या विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ने बोर्ड को भेजी हो, वहां बोर्ड , बालक के

PTS JODHPUR

यथाशीघ्र अपने समक्ष प्रस्तुत होने की अपेक्षा करेगा, ताकि जहां कहीं भी आवश्यकता हो, वहां पुर्नवास के उपाय शुरू किये जा सके, हालांकि अंतिम रिपोर्ट बाद में प्रस्तुत की जा सकती है।

(5)यदि बोर्ड की बैठक में न हो तो विधि का उल्लंघन करने के लिये अभिकथित बालक को अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (2) के अनुसार बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(6) यदि विधि का उल्लघंन करने के लिये अभिकथित बालक को बेवक्त या दूरदराज के स्थान पर पकडे जान के कारण बोर्ड या बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत न किया जा सकता हो तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इन नियमो के नियम 69 घ के अनुसार उस बालक को संप्रेषण गृह या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद 24 घण्टे के भीतर उस बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने के समय प्राप्त आदेश का अनुसर्मथन बोर्ड की आगामी बैठक में करने की आवश्यकता होगी।

(3) लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984

(Prevention of Damage to Public Property act 1984)

धारा 2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''रिष्टी का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता,1860 (1860 का 45) की धारा 425 में है;

(ख) ''लोक सम्पत्ति'' से, अभिप्रेत है कोई स्थावर या चल–सम्पत्ति (मशीनरी आदि को सम्मिलित करते हुए), जो निम्न के स्वामित्व या उनके कब्जे अथवा नियन्त्रण में हो–

(1) केन्द्रीय सरकार, या

(2) कोई राज्य सरकार, या

(3) किसी स्थानीय प्राधिकारी, या

(4) केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उनके अधीन स्थापित कोई (5) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित कोई कम्पनी, या

(6) कोई संस्थान, समुथान या उपक्रम जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में
अधिसूचना द्वारा, इसके लिए विनिर्दिष्ट करे

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस उपखण्ड के अधीन संस्थान समुथान या उपक्रम को विनिर्दिष्ट नही करेगी जब तक कि ऐसा संस्थान, समुथान या उपक्रम प्रत्यक्षतः या परोक्षतः केन्द्रीय सरकार द्वारा या एक से अधिक राज्य सकारों द्वारा अथवा अंशतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और अंशतः एक से अधिक राजय सरकार द्वारा उपलब्ध की गई निधि से पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त न हो।

धारा 3. लोक सम्पत्ति को हानि कारित करने वाली रिष्टी– (1) जो कोई उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की लोक सम्पत्ति के सिवाय, किसी लोक सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई कार्य करके रिष्टि कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और आर्थिक दण्ड से दण्डित किसा जाएगा।

(2) कोई निम्नलिखित प्रकार की, किसी लोक समपत्ति का कोई कार्य करके रिष्टी कारित करता है–

(क) जल, प्रकाश, बिजली या उर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति के लिये प्रयुक्त कोई भवन प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति,

(ख) कोई तेल प्रतिष्ठान,

(ग) कोई मल संकरम,

(घ) कोई खान माइन या कारखाना,

(ड.) लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई साधन अथवा उससे समबन्धित या प्रयुक्त कोई भवन,प्रतिष्ठान अथवा अन्य सम्पत्ति वह ऐसे जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा ।

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित कारणों से छह माह से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 4. अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक सम्पत्ति को हानि कारित करने वाला कार्य–: जो कोई धारा 3 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिभाषित अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करता हे, वह

PTS JODHPUR

ऐसे कारावास से एक वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित कारणों से एक वर्ष से कम के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।
धारा 5. जमानत के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध–: धारा 3 या धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त या सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में हो तो तब तक जमानत पर नहीं छोडा जाएगा जब तक कि अभियोजन को इस प्रकार के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो

(4) शस्त्र अधिनियम–1959

धारा 3. अग्न्यायुधों और गोलाबारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति– (1), कोई भी व्यक्ति कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा जब तक कि इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो
परन्तु कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारित किए बिना किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद की मरम्मत के लिए या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए, उस अनुज्ञप्ति के धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन, लेकर वहन कर सकेगा ।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, किसी भी तीन समय तीन अग्न्यायुधों से अधिक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा
,
परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसके अपने कब्जे में, आयुध (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ पर, तीन से अधिक अग्न्यायुध हैं, अपने पास ऐसे अग्न्यायुधों में से कोई तीन अग्न्यायुध प्रतिधारित कर सकेगा और शेष अग्न्यायुधों को, ऐसे प्रारम्भ से नब्बे दिन के भीतर, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर के पास या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अनुज्ञप्त व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा ।
(3) उपधारा (2) की कोई भी बात अग्न्यायुधों के किसी व्यौहारी को या ऐसे राइफल क्लब या राइफल संगम के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त है, और निशाना लगाने के अभ्यास के लिए 22 बोर राइफल या हवाई राइफल का प्रयोग करता है, किसी सदस्य को लागू नहीं होगी ।
(4) धारा 21 की उपधारा (2) से उपधारा (6) तक की उपधाराओं के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों उपधाराएं भी हैं) उपबन्ध, उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अग्न्यायुधों के किसी निक्षेप के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी आयुध या गोलाबारूद के निक्षेप के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।,

धारा 4. कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति–यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है, अग्न्यायुधों से भिन्न आयुधों का भी अर्जन, कब्जे में रखना या वहन विनियमित किया जाना चाहिए, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध, जैसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं उस क्षेत्र में तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि वह उस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो ।
धारा 7–प्रतिबंधित आयुद्ध के अर्जन या कब्जे में रखने, विक्रय, विर्निमार्ण का प्रतिषेध–
धारा 8–जिन अग्नायुद्ध पर पहचान चिन्ह न हो उसके विक्रय का अन्तरण का प्रतिषेध।
धारा 19–अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति।
धारा 25. कुछ अपराधों के लिए दंड– (1) जो कोई–
(क) धारा 5 के उल्लंघन में, किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा, या उसे विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा; अथवा

PTS JODHPUR

(ख) धारा 6 के उल्लंघन में, किसी अग्न्यायुध की नाल को छोटी करेगा या नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करेगा; अथवा

(घ) धारा 11 के उल्लंघन में, किसी भी वर्ग या वर्णन के किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद को भारत में लाएगा या भारत के बाहर ले जाएगा,

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(1क) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(1कक) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उन्हें विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।,

(1ककक), जो कोई किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद की धारा 24क के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में अपने कब्जे में रखेगा या धारा 24ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में लेकर चलेगा अथवा अन्यथा अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास से खजिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी,, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(1ख) जो कोई–

(क) धारा 3 के उल्लंघन में, कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा; अथवा

(ख) धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान में, ऐसे वर्ग या वर्णन के जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है, कोई आयुध उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा; अथवा

(ग) किसी ऐसे अग्न्यायुध का विक्रय या अन्तरण करेगा जिस पर निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान चिह्न मुद्रांकित या धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो, या उस धारा की उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई भी कार्य करेगा; अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होते हुए जिसे धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) का उपखण्ड (ii) या उपखण्ड (iii) लागू होता है, किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद को उस धारा के उल्लंघन में अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा; अथवा

(ङ) धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उल्लंघन में, किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद का विक्रय या अन्तरण या संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा; अथवा

(च) धारा 10 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद को भारत में लाएगा या भारत से बाहर ले जाएगा; अथवा

(छ) धारा 12 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का परिवहन करेगा; अथवा

(ज) आयुधों या गोलाबारूद को धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में निक्षिप्त करने में असफल रहेगा; अथवा

(झ) आयुधों या गोलाबारूद का विनिर्माता या व्यौहारी होते हुए, धारा 44 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर, अभिलेख या लेखा रखने में या उसमें ऐसी सब प्रविष्टियां करने में, जैसी ऐसे नियमों द्वारा अपेक्षित हैं, असफल रहेगा या उसमें साशय मिथ्या प्रविष्टि करेगा या ऐसे अभिलेख या लेखे का निरीक्षण किए जाने से या उसमें से प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां बनाई जाने से रोकेगा या उसमें बाधा पहुंचाएगा या किन्हीं ऐसे परिसरों या अन्य स्थान में, जहां अग्न्यायुध विनिर्मित किए या रखे जाते हैं, या गोलाबारूद विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है, प्रवेश करने से रोकेगा या बाधा पहुंचाएगा या ऐसे आयुधों का गोलाबारूद को प्रदर्शित करने में साशय असफल रहेगा या उन्हें या उसे छिपाएगा या वह स्थान जहां वे विनिर्मित किए जाते हैं या रखे जाते हैं या वह विनिर्मित किया जाता है, या रखा जाता है, बताने से इन्कार करेगा,

PTS JODHPUR

वह कारावास से, जिसकी अवधि [एक वर्ष, से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, कारावास का जिसकी अवधि 1,एक वर्ष, से कम होगी, दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।,

(1ग) उपधारा (1ख) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई किसी विक्षुब्ध क्षेत्र में उस उपधारा के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विक्षुब्ध क्षेत्र से कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो उपद्रव को दबाने के लिए तथा लोक व्यवस्था को बहाल करने और बनाए रखने के लिए उपबन्ध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा क्षेत्र है जो धारा 24क या धारा 24ख के अधीन, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है ।

(2) जो कोई ऐसा व्यक्ति होते हुए, जिसे धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) का उपखंड (प) लागू होता है उस धारा के उल्लंघन में कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा या वहन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई किसी अग्न्यायुध, गोलाबारूद या अन्य आयुधों का, धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में, विक्रय या अन्तरण, –

(प) अधकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस अग्न्यायुध, गोलाबरूद या अन्य आयुधों के आशयित विक्रय या अन्तरण की इत्तिला दिए बिना; अथवा

(पप) ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला दी जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पहले,करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।,

(4) जो कोई अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों में फेरफार करने के प्रयोजन से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति परिदत्त करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर वैसा करने में असफल रहेगा या अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण पर उस धारा की उपधारा (10) के अधीन समुचित प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जिसकी रकम पांच सौ रुपए तक हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(5) जो कोई अपना नाम और पता देने के लिए धारा 19 के अधीन अपेक्षित होने पर, ऐसा नाम और पता देने से इन्कार करेगा या ऐसा नाम या पता देगा जो तत्पश्चात् मिथ्या निकले, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जिसकी रकम दो सौ रुपए तक हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

धारा 27– आयुधों (आर्म्स) आदि के प्रयोग हेतु दण्ड –(1) जो कोई धारा 5 के विरूद्ध कोई आयुध या गोला बारूद प्रयोग करेगा, कारावास के दण्ड का भागी होगा जो 3 वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा। परंतु जो 7 वर्ष तक बढाया जा सकता है और साथ ही जुर्माने का भी उत्तरदायी हो सकता है।

(2) जो कोई धारा 7 के विरूद्ध को निषिद्ध आयुध या गोला बारूद प्रयोग करता है, कारावास के दण्ड का भागी बनाया जा सकता है। जो 7 वर्ष से कम अवधि का नही होगा, परन्तु आजीवन कारावास तक बढाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

(3) जो कोई धारा 7 के विरूद्ध को निषिद्ध आयुध या निषिद्ध गोला बारूद प्रयोग करता है या कोई कार्यवाही करता है और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्युदण्ड का भागी होगा।

धारा– 30 अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लघन के लिए दण्ड :– जो कोई अनुज्ञप्ति किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या तद्धीन बनाए गए किसी नियम का उल्लघंन करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम के अन्यत्र कोई दण्ड उपबन्धित नहीं है, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 2000 रूपये तक हो सकेगा, दोनों से दण्डित होगा।

धारा– 39 कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक–: किसी व्यक्ति के विरूद्ध अध्याय 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोइ भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

PTS JODHPUR

आर्म्स एक्ट के तहत अनुसंधान (धारा 4/25)

अनुसंधान के विभिन्न चरणः–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त करना व दर्ज रजिस्टर करना (पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना पर या एरिया गश्त के दौरान कार्यवाही करने पर)
   - कार्यवाही पुलिस का अकंन अभियुक्त को दाखिल हवालात जब्त हथियार, मालखाना प्रभारी को सुपुर्द।
   - FIR दर्ज कर प्रतियां जारी करना।
   - अनुसंधान जिम्मे करना।
2. अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान जिम्मे केस डायरी में लिखना प्रारम्भ करना FIR की नकल/या संक्षिप्त उल्लेख फर्दात पर FIR नम्बर को अंकित करना
3. बयान प्रार्थी व गवाहान लिखना
4. पूछताछ अभियुक्त को बरामद हथियारों के बारे में पूछताछ करना
5. अधिसूचना की प्रति प्राप्त करना व बाद पृष्ठाकंन शामील पत्रावली
6. पूछताछ अभियुक्त हवालात से निकाल पूछताछ करना
7. 24 घण्टे होने पर रिमांड भर कर वास्ते J/C न्यायालय में पेश करना
8. न्यायालय द्वारा J/C व जेल में जमा कराने हेतु जेल भिजवाना
9. साक्ष्य विश्लेषण व किन–2 धाराओ का व किन–किन साक्ष्यो के आधार पर जुर्म प्रमाणित होता है इसका विवरण
10. जुर्म प्रमाणित होने बाबत नोट अंकित पुलिस ब्रीफ तैयार करना
11. APP से कानूनी समीक्षा हेतु पत्रावली पेश करना
12. APP से कानूनी समीक्षा प्राप्त कर पत्रावली पेश करना
13. तकमीलात के बाद चैक लिस्ट तैयार करना
14. चालानी आदेश हेतु पत्रावली वृताधिकारी के समक्ष पेश करना
15. चालानी आदेश प्राप्त करना
16. चार्जशीट तैयार करना

आर्म्स एक्ट के अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही/प्रक्रिया

1. टेलिफोनिक सूचना पर/या गश्त मे रवानगी
2. मौके पर पहुचना
3. व्यक्ति को रोक पूछताछ करना
4. अवैध चाकू/तलवार/शस्त्रआयुध के बारे मे पूछताछ
5. लाइसेंस के बारे मे पूछताछ
6. न होने पर अवैध हथियार जब्त करना
7. फर्द जब्ती मूर्तिब करना
8. आरोपी को गिरफ्तार करना
9. फर्द गिरफ्तारी मुतिर्ब करना (गिरफ्तारी की सूचना परिवारजन को देना)
10. मुल्जिम/जब्तसुदा हथियार /थाने पर वापसी
11. थानाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत
12. कार्यवाही पुलिस FIR दर्ज अभियुक्त दाखिल हवालात जब्तसुदा आर्टीकल मालखाना मे सिपुर्द
13. अनुसंधान जिम्मे–फर्दात न0 FIR न0 से
14. अनुसंधान आरम्भ
15. बयान प्रार्थी
16. बयान गवाहान
17. निरीक्षण घटनास्थल
18. पूछताछ अभियुक्त
19. धारा 4/25 के लिए नोटिफिकेशन की प्रति प्राप्त कर बाद पृष्ठाकन संलग्न पत्रावली करना

PTS JODHPUR

20. बरामद हथियार (देशी कट्टा/रिवाल्वर बंदूक) को परीक्षण हेतु जिला आरर्मोर के पास भेजने हेतु तेहरिर लिखना।
21. तेहरिर की रिपोर्ट प्राप्त कर शा0 पत्रावली करना

रिमाण्ड कार्य करना–

1. मुल्जिम को रिमाण्ड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करना न्यायलय से J/C के आदेश होने पर J/C हेतु जेल भिजवाना
2. केस डायरी लिखना
3. अभियोजन स्वीकृती हेतु पत्र जिला कलेक्टर महो0 को पत्र लिखना
4. अभियोजन स्वीकृती प्राप्त होने पर शा0 पत्रावली
5. अनुसंधान से प्राप्त साक्ष्य का विश्लेषण
6. साक्ष्य को लिंक करना
7. अनुसंधान से कौनसी धारा के तहत कौनसा अपराध– साबित हो रहा व उसके पक्ष में क्या साक्ष्य है नोट अंकित करना
8. अपराध प्रमाणित होने का नोट
9. पुलिस ब्रीफ तैयार करना
10. अभियोजन समीक्षा हेतु पत्रावली भेजना
11. अभियोजन समीक्षा प्राप्त करना
12. अभियोजन समीक्षा में व वार करियो की पूर्ति बाबत नोट
13. कमियों की पूर्ति
14. पत्रावली चैक लिस्ट तैयार कर चालानी आदेश हेतु भिजवाना
15. चालानी आदेश प्राप्त करना
16. चार्जशीट कता करना

(5) राजपाशा एक्ट (राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 2006)

धारा 3:– कतिपय व्यक्तियों को निरूद्ध करने के आदेशों की शक्ति 1. राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य को रोकने की दृष्टि से यदि आवश्यक है तो ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध कर लिया जाये।
2. राज्य सरकार इस हेतु डी.एम./पुलिस कमिश्नर को भी इन शक्तियों के उपयोग हेतु निर्देशित कर सकती है।
3. यदि कोई प्राधिकृत अधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग करता है तो वह तथ्यों की रिपोर्ट उन आधारों सहित एवं विशिष्टियों सहित राज्य सरकार को करेगा और ऐसा कोई आदेश 12 दिन से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। यदि उसका अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा नहीं कर दिया जाये।
4. लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने सम्बन्धी कार्य का अर्थ– जब कोई व्यक्ति चाहे किसी शराब के चोरबाजारिये के रूप में या खतरनाक व्यक्ति या औषधी अपराधी या अनैतिक–व्यापार अपराधी या सम्पति हथियाने वाले रूप में किन्हीं भी ऐसे क्रियाकलापों में लगा हो या लगने की तैयार कर रहा हो जिनसे लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
धारा 4. निरोध आदेशों का निष्पादनः– सीआरपीसी के धारा 72 से 80 में वारण्ट के निष्पादन के तरीके के समान ही निष्पादन किया जायेगा।
धारा 5. निरोध का स्थान और शर्तें विनियमित करने की शक्तिः– निरोध के समय अनुशासन बनाये रखने, अनुशासन भंग करने पर दण्ड एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की शक्ति ।
धारा 8. फरार व्यक्तियों के बारे में शक्तियांः–

1. धारा 82 से 85 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही।
2. उद्घोषणा की पालना में विफल रहने पर व उल्लेखित अधिकारी को सूचना नहीं दी हो तो ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष का व जुर्माना भी से दंडनीय व यह अपराध संज्ञेय होगा।

PTS JODHPUR

धारा 9. निरोध आदेश के आधारों का निरूद्ध व्यक्ति को प्रकट किया जानाः– निरूद्ध करने वाला अधिकारी 3 दिन में उन आधारों की सूचना निरूद्ध किये व्यक्ति को देगा, जिन पर आदेश किया गया है एवं उस आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर भी देगा।

धारा 10. सलाहकार बोर्डों का गठनः– राज्य सरकार एक या अधिक बोर्ड गठित करेगी। प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष व दो सदस्य होगें जो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहे हों।

धारा 11. सलाहकार बोर्ड को निर्देशः– राज्य सरकार तीन सप्ताह के भीतर वे आधार जिन पर आदेश किया गया है एवं अभ्यावेदन बोर्ड के समक्ष रखेगी।

धारा 12. सलाहकार बोर्ड की प्रक्रियाः–

1. तथ्यों पर विचार कर, इस हेतु किसी व्यक्ति को राज्य सरकार के माध्यम से बुलाकर, निरूद्ध व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर, निरूद्ध व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई कर अपनी रिपोर्ट 50 दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगें।
2. सदस्यों के बीच मतभेद होने पर बहुमत की राय बोर्ड की राय होगी।
3. समस्त कार्यवाही गोपनीय होगी।
4. विधि व्यवसायी की उपस्थिति नहीं होगी।

धारा 13.सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाईः–

धारा 14. निरोध की अधिकतम कालावधिः– अधिकतम एक वर्ष

धारा 15. निरोध आदेशों का वापस लिया जानाः–

कार्यालय थानाधिकारी, थाना.....जिला .....

क्रमांकः– **दिनांकः–**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला.....

विषयः– शख्स .....उर्फ.....पुत्र.....जाति.....उम्र.....
.....निवासी.....के विरूद्व राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (2008 का अधिनियम संख्यांक–1) के तहत कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शख्स .....उर्फ.....पुत्र..... जाति.....उम्र.....निवासी..... प्रारम्भ से ही गम्भीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जिसके विरूद्व वर्ष..... से .....तक हत्या, हत्या का प्रयास, गम्भीर चोट, लूट, डकैती की तैयारी, उद्दापन, अपहरण, धोखाधड़ी, सम्पति की क्षति, मारपीट, बल्बा, जमीनों पर अवैध कब्जा, अवैध हथियार रखने व इनका आपराधिक वारदातों में प्रयोग करने जैसे ..... आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त **आभ्यासिक अपराधी** की दिनांक .....को हिस्ट्रीशीट खोली जाकर सतत् निगरानी रखी गयी व समय–समय पर इंसदादी/कानूनी कार्यवाहियाँ भी की गई है लेकिन इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही कारगर साबित नहीं हुई है। इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढती गयी। .....आदि थाना क्षेत्रों में एक के बाद एक आपराधिक वारदातें कारित करने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में निवास करने वाले आमजन व समाज आतंकित व भयभीत है। उक्त शख्स आभ्यासिक रूप से विभिन्न थाना क्षेत्रों में गम्भीर अपराध स्वंय व गिरोह के रूप में कारित कर रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम हेतु अब तक किये गये सभी विधि सम्मत प्रयास विफल हो चुके है। इस आभ्यासिक अपराधी के विरूद्ध प्रचलित कानूनों एवं सामान्य अधिनियमों के तहत समय–समय पर की गई कानूनी कार्यवाही पूर्णरूपेण प्रभावहीन रही है। यह शख्य प्रकरणों में पक्षकारों एवं गवाहों को डरा धमकाकर आतंकित व भयभीत कर, येन–केन प्रकारेन दबाव बनाकर व प्रभावित कर पक्षद्रोही/राजीनामा करवाकर सजा से बचने व जमानत कराने में सफल हो जाता है। उक्त शख्य का क्षेत्र, आमजन व समाज में भंयकर भय व खौफ व्याप्त होने के कारण थाने पर इसकी कोई सूचना नहीं देता और न ही कोई शिकायत करता। इसके विरूद्ध कोई बयान देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। शिकायतकर्ता व गवाहान को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। उक्त शख्स का कृत्य राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम,

PTS JODHPUR

2006 की धारा 2 (ग) ''खतरनाक व्यक्ति'' व धारा 2 (झ) ''सम्पति हथियाने वाला'' की परिभाषित श्रैणी में आता है। उक्त शख्स का आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार हैः–

1. दिनांक .....को श्री.....ने एक एफआईआर इस आशय की दर्ज कराई कि ....आदि पर एफआईआर नं.....दिनांक.....को थाना .....पर दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिम .....के विरूद्ध चार्जशीट नम्बर .....दिनांक.....न्यायालय श्रीमान् ....में पेश की गई, जो विचाराधीन है। एफआईआर, चार्जशीट व न्यायालय की ऑर्डरशीट की छायाप्रति पेज संख्या.....से .....तक संलग्न है।

2.

3.

4.

5.

6. दिनांक .....को श्री.....ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि .....परिवाद संख्या.....दिनांक.....को थाना .....पर दर्ज कर जाँच की गई।
बाद जाँच मुलजिम .....के विरूद्ध इस्तगासा .....दिनांक.....न्यायालय श्रीमान् ....में पेश किया गया, जो विचाराधीन है। परिवाद, इस्तगासा व न्यायालय की ऑर्डरशीट की छायाप्रति पेज संख्या... .....से .....तक संलग्न है।

7. रोजनामचाआम में दर्ज आम सोहरत की रिपोर्ट का विवरण।

8. मुलजिम की खोली गई हिस्ट्रीशीट पत्रावली का विवरण एवं उसमें समय–समय पर दर्ज नोट का बिन्दुवार विवरण।

अतः शख्स .....उर्फ.....पुत्र.....जाति.....उम्र..... निवासी.....भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 को केन्द्रीय अधिनियम संख्याक–45) के अध्याय 16 व 17 तथा आयुध अधिनियम 1959 की अध्याय 5 में दण्डनीय अपराध कारित करने व करवाने में गिरोह के सरगना के रूप में संलिप्त रहा है। इसके गिरोह में .....आदि सदस्य है। उक्त शख्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध वसूली, लूटपाट व जमीनों पर कब्जा करने जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराध कारित करता है। उक्त शख्स के क्रियाकलापों से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से क्षेत्र, समाज व आम जनता में नुकसान, खतरा, संत्रास, असुरक्षा व भय की भावना उत्पन्न हो रही है। मानव जीवन, लोक स्वास्थ्य व संपत्ति को गम्भीर व व्यापक खतरा बना हुआ है। जिनसे लोक व्यवस्था व लोक शांति बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त शख्य के स्वच्छंद रहने से आमजन व समाज को किसी भी हद तक हानि कारित हो सकती है तथा इसका स्वच्छंद विचरण करना समाज, लोक व्यवस्था, लोक शांति के विपरित है। इसकी बढती हुई आपराधिक गतिविधियों पर रोक के सभी विधि सम्मत प्रयास विफल हो चुके है। अतः उक्त शख्स .....के विरूद्ध राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (2008 का अधिनियम संख्याक–1) के तहत निवारण कार्यवाही की जाकर निरूद्ध किया जाना आवश्यक व वांछनीय है।

संलग्नः– उपरोक्त वर्णित आपराधिक रिकार्ड की छायाप्रतियां।

भवदीय

परिशिष्ट " ।"

क्र.सं.	**मु0नं0 मय दिनांक**	**धारा**	**नतीजा पुलिस**	**थाना**	**चालान पेश दिनांक न्यायालय**	**निर्णय कोर्ट**	**पेज संख्या**

इंसदादी कार्यवाही

क्र. सं.	**नाम थाना**	**दिनांक**	**धारा**	**नतीजा न्यायालय**	**पेज सं.**

PTS JODHPUR

शख्स.....उर्फ.....पुत्र.....जाति.....उम्र.....निवासी.....के परिजनों की सूचीः–

क्र. सं.	नाम	सम्बन्ध	व्यवसाय	पता	फोन / मो0 नं0

(6) अन्य अधिनियमों की जानकारी

एनडीपीएस एक्ट 1985

एनडीपीएस एक्ट 1985 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को दो भागों में बांटा जा सकता है :–

1.प्रक्रियागत प्रावधान

2.अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान

प्रक्रियागत प्रावधान –एनडीपीएस एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान प्रक्रियागत प्रावधान है। इन्ही महत्वपूर्ण प्रावधानों की पालना करने से मुलजिम को सजा दिलाई जा सकती है तथा इन प्रावधानों की पालना नहीं होने से मुलजिम को फायदा मिलने के पूर्ण संभावना रहती है। अतः इन प्रक्रियागत प्रावधानों की जानकारी होना तथा इनकी नियमानुसार पालना किया जाना नितान्त आवश्यक है। महत्वपूर्ण प्रक्रियागत प्रावधान इस प्रकार हैः–

1.धारा 41 एनडीपीएस एक्ट

2.धारा 42 एनडीपीएस एक्ट

3.धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट

4.धारा 43 एनडीपीएस एक्ट

5.धारा 50 एनडीपीएस एक्ट

6.धारा 55 एनडीपीएस एक्ट

7.धारा 57 एनडीपीएस एक्ट

धारा 41 एनडीपीएस एक्ट

❖ जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी मकान, भवन या किसी बन्द स्थान पर कोई मादक पदार्थ होने की सूचना है तो ऐसा पुलिस अधिकारी किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक से उस स्थान की तलाशी लेने हेतु वारण्ट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रार्थना पत्र में तलाशी लिये जाने के कारणों को अंकित करेगा।

❖ पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर उक्त प्राधिकारी किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी वारण्ट जारी कर तलाशी लेने हेतु प्राधिकृत कर सकते है।

धारा 42 एनडीपीएस एक्ट

❖ यदि पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि वारण्ट लिये जाने में विलम्ब हो सकता है तथा मादक पदार्थ खुर्द बुर्द किये जाने की संभावना है तो कारण प्रदर्शित करते हुए तलाशी ले सकता है।

❖ ऐसे स्थान की तलाशी में कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो वह पुलिस अधिकारी उन्हे नियमानुसार अभिग्रहित कर सकेगा।

❖ ऐसे स्थान की तलाशी के दौरान कोई व्यक्ति पाया जावे जिसके कब्जे में उक्त मादक पदार्थ होना पाया गया है उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

PTS JODHPUR

धारा 43 एनडीपीएस एक्ट

❖ धारा 43 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी लोक स्थान में ऐसे किसी व्यक्ति को डिटेन कर तलाशी ले सकता है जिसके पास मादक पदार्थ होने की सूचना हो। यदि उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ मिलता है तो वह उस मादक पदार्थ को नियमानुसार अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

धारा 42 (2) एनडीपीएस एक्ट

❖ जब किसी थानाधिकारी को अवैध मादक पदार्थो के बारे में सूचना मिलती है तो वह प्राप्त सूचना को रोजानामचा में अंकित करेगा तथा प्राप्त सूचना की प्रति अपने अव्यवहित उच्च अधिकारी को भेजेगा।

❖ यह सूचना 72 घण्टे में भिजवाई जानी चाहिए।

❖ यदि सूचना थाने से बाहर मिलती है तो थानाधिकारी उस सूचना को एक कागज पर लिखेगा तथा उसकी प्रति नियमानुसार भेजेगा।

❖ सूचना 72 घण्टे में भेजी जा सकती है किन्तु प्रकरण की सफलता के लिए यह सूचना तुरन्त विशेष वाहक द्वारा भिजवाई जानी चाहिए।

❖ सूचना लेकर जाने वाले विशेष वाहक की रोजनामचा में रवानगी करनी चाहिए।

❖ भेजी जाने वाली सूचना पर डिस्पेच नम्बर अंकित कर डिस्पेच रजिस्टर में प्रविष्टि कर पत्र वाहक के हस्ताक्षर करवाने चाहिए।

❖ जब पत्रवाहक पत्र देकर वापस आये तो रोजनामचा में वापसी कर संपूर्ण हालात अंकित करने चाहिए।

❖ सूचना ले जाने वाले विशेष वाहक को गवाह सूची में रखना चाहिए।

❖ प्राप्ति रसीद को भी पत्रावली पर रखना चाहिए।

धारा 50 एनडीपीएस एक्ट

❖ जब किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ की सूचना पर डिटेन किया जाता है तो इस धारा के तहत उस व्यक्ति को तलाशी लेने वाला अधिकारी तुरन्त किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास ले जावेगा या मजिस्टेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति की तलाशी लेगा।

❖ जब तक कोई मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं होता है या उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जाता उस व्यक्ति को तब तक डिटेन रखा जा सकता है।

❖ इस धारा के तहत किसी स्त्री की तलाशी केवल महिला के द्वारा ही ली जावेगी।

❖ यदि किसी कारण से डिटेनशुदा व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जा सकता या कोई मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो तलाशी लेने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को 50 का नोटिस देकर स्वयं तलाशी ले सकता है तथा उक्त कारणों की सूचना 72 घण्टे के अन्दर अपने उच्चाधिकारियों को देगा।

❖ यह धारा केवल किसी व्यक्ति की जामा तलाशी में ही लागू होती है। किसी मकान, वाहन आदि की तलाशी में धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होतें है।

❖ यदि आकस्मिक चैकिंग के दौरान कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते है अर्थात् यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना है तो ही उस व्यक्ति की तलाशी के संबंध में ये प्रावधान लागू होंगे।

❖ यह धारा केवल किसी व्यक्ति की जामा तलाशी में ही लागू होती है। किसी मकान, वाहन आदि की तलाशी में धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होतें है।

❖ यदि आकस्मिक चैकिंग के दौरान कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते है अर्थात् यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना है तो ही उस व्यक्ति की तलाशी के संबंध में ये प्रावधान लागू होंगे।

❖ यदि मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी रेड पार्टी का सदस्य है तो उसके समक्ष ली गई तलाशी इस धारा की अनुपालना नहीं मानी जावेगी।

❖ यदि व्यक्ति की तलाशी इस धारा के तहत ली गई है और धारा 50 का नोटिस लिखित में दिया गया है तो वक्त गिरफ्तारी धारा 50 नोटिस की प्रति उस व्यक्ति की जामा तलाशी में मिलना एक अच्छी साक्ष्य होगी।

PTS JODHPUR

❖ धारा 50 का नोटिस दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिया जाना चाहिए।

<u>धारा 55 एनडीपीएस एक्ट</u>

❖ जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई मादक पदार्थ जब्त किये जाते हैं तो वह पुलिस अधिकारी जब्तशुदा मादक पदार्थों को इस धारा के तहत पुलिस थाने में सुरक्षित रखवाएगा।

❖ इस प्रक्रिया के तहत जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा थाने के मालखाना प्रभारी को लिखित में एक नोटिस देगा जिस पर जब्त की गई समस्त वस्तुओं का विवरण अंकित होगा।

❖ मालखाना प्रभारी जब्तशुदा मादक पदार्थों को थाने की सील से पुनः सील मोहर कर मालखाना रजिस्टर में उसकी प्रविष्टी कर माल को सुरक्षित रखेगा।

❖ जब माल को पुनः सील किया जावेगा तो उसकी एक फर्द पृथक से बनाई जावेगी तथा उस समय जिस अधिकारी के पास थाने का चार्ज है वह उस फर्द पर अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही पुनः सील की कार्यवाही पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा।

❖ जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा मालखाना प्रभारी को जो नोटिस दिया जावेगा उस पर मालखाना प्रभारी द्वारा मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का क्रमांक अंकित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट उस नोटिस पर लिखेगा।

❖ जब माल को पुनः सील किया जावेगा तो उसकी एक फर्द पृथक से बनाई जावेगी तथा उस समय जिस अधिकारी के पास थाने का चार्ज है वह उस फर्द पर अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही पुनः सील की कार्यवाही पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा।

❖ जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा मालखाना प्रभारी को जो नोटिस दिया जावेगा उस पर मालखाना प्रभारी द्वारा मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का क्रमांक अंकित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट उस नोटिस पर लिखेगा।

❖ जब माल को पुनः सील किया जावेगा तो उसकी एक फर्द पृथक से बनाई जावेगी तथा उस समय जिस अधिकारी के पास थाने का चार्ज है वह उस फर्द पर अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही पुनः सील की कार्यवाही पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा।

❖ जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा मालखाना प्रभारी को जो नोटिस दिया जावेगा उस पर मालखाना प्रभारी द्वारा मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का क्रमांक अंकित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट उस नोटिस पर लिखेगा।

❖ जब माल को पुनः सील किया जावेगा तो उसकी एक फर्द पृथक से बनाई जावेगी तथा उस समय जिस अधिकारी के पास थाने का चार्ज है वह उस फर्द पर अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही पुनः सील की कार्यवाही पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा।

❖ जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा मालखाना प्रभारी को जो नोटिस दिया जावेगा उस पर मालखाना प्रभारी द्वारा मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का क्रमांक अंकित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट उस नोटिस पर लिखेगा।

❖ जब माल को पुनः सील किया जावेगा तो उसकी एक फर्द पृथक से बनाई जावेगी तथा उस समय जिस अधिकारी के पास थाने का चार्ज है वह उस फर्द पर अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही पुनः सील की कार्यवाही पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा।

❖ जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा मालखाना प्रभारी को जो नोटिस दिया जावेगा उस पर मालखाना प्रभारी द्वारा मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का क्रमांक अंकित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट उस नोटिस पर लिखेगा।

❖ जब माल को पुनः सील किया जावेगा तो उसकी एक फर्द पृथक से बनाई जावेगी तथा उस समय जिस अधिकारी के पास थाने का चार्ज है वह उस फर्द पर अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही पुनः सील की कार्यवाही पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा।

❖ जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा मालखाना प्रभारी को जो नोटिस दिया जावेगा उस पर मालखाना प्रभारी द्वारा मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का क्रमांक अंकित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट उस नोटिस पर लिखेगा।

❖ मालखाना से नमूना सेम्पल 48 घण्टे के अन्दर रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे जाने चाहिए।

❖ मालखाना रजिस्टर में माल रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे जाने व माल जमा करवाकर वाहक के वापस आने की प्रविष्टी करने सहित संपूर्ण प्रविष्टियां करने के पश्चात् मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि को शामिल फाईल किया जाना चाहिए।

❖ मालखाना प्रभारी तथा माल जमा कराने वाले वाहक को गवाह सूची में अवश्य रखना चाहिए।

PTS JODHPUR

धारा 57 एनडीपीएस एक्ट

❖ जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तथा उसके कब्जे से मादक पदार्थ जब्त करता है तो वह संपूर्ण कार्यवाही की सूचना 48 घण्टे में अपने अव्यवहित अधिकारी को भेजेगा।

❖ सूचना लेकर जाने वाले विशेष वाहक की रोजनामचा में रवानगी करनी चाहिए।

❖ भेजी जाने वाली सूचना पर डिस्पेच नम्बर अंकित कर डिस्पेच रजिस्टर में प्रविष्टि कर पत्र वाहक के हस्ताक्षर करवाने चाहिए।

❖ जब पत्रवाहक पत्र देकर वापस आये तो रोजनामचा में वापसी कर संपूर्ण हालात अंकित करने चाहिए।

❖ सूचना ले जाने वाले विशेष वाहक को गवाह सूची में रखना चाहिए।

❖ प्राप्ति रसीद को भी पत्रावली पर रखना चाहिए।

अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान

1.धारा 15 एनडीपीएस एक्ट
2.धारा 18 एनडीपीएस एक्ट
3.धारा 19 एनडीपीएस एक्ट
4.धारा 20 एनडीपीएस एक्ट
5.धारा 21 एनडीपीएस एक्ट
6.धारा 24 एनडीपीएस एक्ट
7.धारा 25 एनडीपीएस एक्ट
8.धारा 26 एनडीपीएस एक्ट
9.धारा 27 एनडीपीएस एक्ट
10. धारा 27(a) एनडीपीएस एक्ट
1.धारा 29 एनडीपीएस एक्ट
2.धारा 30 एनडीपीएस एक्ट
3.धारा 31(a) एनडीपीएस एक्ट
4.धारा 32 (a) एनडीपीएस एक्ट
5.धारा 36 (a) (4) एनडीपीएस एक्ट
6.धारा 37 एनडीपीएस एक्ट

अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान

❖ एनडीपीएस एक्ट में अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। सन् 2001 में एनडीपीएस एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिसमें मादक पदार्थों को तीन श्रेणियों में बांटा गया :–

1.अल्प मात्रा
2.अल्प मात्रा व वाणिज्यिक मात्रा के मध्य की मात्रा (मध्यम मात्रा)
3.वाणिज्यिक मात्रा

❖ नये संशोधनों के तहत धारा 36 (a) एनडीपीएस एक्ट के तहत अल्प मात्रा से संबंधित मामलों का विचारण किसी भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है।

❖ धारा 36 एनडीपीएस एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा मध्यम मात्रा तथा वाणिज्यिक मात्रा के मामलों का विचारण किया जावेगा।

❖ धारा 36 (a) (4) के तहत अल्प मात्रा के अपराधों के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 60 दिन होगी। मध्यम मात्रा के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 90 दिन तथा वाणिज्यिक मात्रा के अपराध तथा धारा 19, 24 तथा 27 (a) के अपराधों के लिए यह अवधि 180 दिन की होगी तथा यह अवधि कारण प्रदर्शित करते हुए एक साल तक के लिए बढाई जा सकती है।

❖ धारा 36 एनडीपीएस एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा मध्यम मात्रा तथा वाणिज्यिक मात्रा के मामलों का विचारण किया जावेगा।

PTS JODHPUR

❖ धारा 36 (a) (4) के तहत अल्प मात्रा के अपराधों के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 60 दिन होगी। मध्यम मात्रा के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 90 दिन तथा वाणिज्यिक मात्रा के अपराध तथा धारा 19, 24 तथा 27 (a) के अपराधों के लिए यह अवधि 180 दिन की होगी तथा यह अवधि कारण प्रदर्शित करते हुए एक साल तक के लिए बढाई जा सकती है।

धारा 15 एनडीपीएस एक्ट

❖ धारा 15 के अन्तर्गत पोस्त तृण या डोडा चूरा के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। **पोस्त तृण या डोडा चूरा के लिए अल्प मात्रा 1 किलोग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 50 किलोग्राम है।**

❖ **अल्प मात्रा के लिए दण्ड :–** 6 माह तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो

❖ **मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :–** 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना

❖ **वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :–** 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 18 एनडीपीएस एक्ट

❖ धारा 18 के अन्तर्गत अफीम के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। **अफीम के लिए अल्प मात्रा 25 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 2.5 किलोग्राम है।**

❖ **अल्प मात्रा के लिए दण्ड :–** 6 माह तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो

❖ **मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :–** 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना

❖ **वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :–** 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 19 एनडीपीएस एक्ट

❖ इस धारा के तहत यदि किसी खेतिहर या किसान द्वारा, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अफीम की खेती का लाइसेन्स दिया गया है, उत्पादित अफीम का गबन करता है या उसका अवैध व्ययन करता है तो उसे 10 से 20 वर्ष तक के कारावास तथा 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 20 एनडीपीएस एक्ट

❖ धारा 20 के अन्तर्गत गांजा, चरस, हशीश आदि के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है।

❖ **चरस, हशीश आदि के लिए अल्प मात्रा 100 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 1 किलोग्राम है।**

❖ **गांजा के लिए अल्प मात्रा 1 किलोग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम है।**

❖ **अल्प मात्रा के लिए दण्ड :–** 6 माह तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो

❖ **मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :–** 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना

❖ **वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :–** 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 21 एनडीपीएस एक्ट

❖ धारा 21 के अन्तर्गत स्मैक, हेरोइन आदि विनिर्मित मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। **स्मैक, हेरोइन आदि विनिर्मित पदार्थो के लिए अल्प मात्रा 5 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम है।**

❖ **अल्प मात्रा के लिए दण्ड :–** 6 माह तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो

❖ **मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :–** 10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना

❖ **वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :–** 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 24 एनडीपीएस एक्ट–धारा 24 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के स्वापक औषधियों का भारत से बाहर आयात निर्यात करेगा वह 10 से 20 साल तक के कारावास तथा 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

PTS JODHPUR

धारा 25 एनडीपीएस एक्ट– यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने किसी परिसर का उपयोग इस अधिनियम के तहत दण्डित किसी अपराध को करने के लिए करता है या सहयोग करता है तो वह उसी अपराध के दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 26 एनडीपीएस एक्ट– यदि किसी लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है वह तीन वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जावेगा।

धारा 27 एनडीपीएस एक्ट– मादक पदार्थों के उपयोग के लिए दण्ड का प्रावधान है। इस धारा के तहत

❖ यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोकिन, मार्फिन आदि अधिसूचित पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास तथा बीस हजार रुपये तक के कारावास या दोनो से दण्डित किया जावेगा।

❖ अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के लिए 6 माह तक के कारावास तथा दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जावेगा।

धारा 27(a) एनडीपीएस एक्ट–यदि किसी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए वित्तिय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है या ऐसे व्यापार का वित्त पोषण किया जाता है तथा अवैध व्यापार में लिप्त अपराधियों को संश्रय दिया जाता है तो वह 10 से 20 वर्ष तक के कारावास तथा 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। यह जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 29 एनडीपीएस एक्ट–यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी भी मादक पदार्थ के अवैध व्यापार का दुष्प्रेरण करता है या आपराधिक षडयन्त्र का पक्षकार बनता है तो वह उस अपराध के लिए निर्धारित दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 30 एनडीपीएस एक्ट–यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में किये जाने वाले अपराधों या धारा 19, 24 तथा 27 ;द्ध में दण्डित अपराधों के किये जाने की तैयारी करता है या अपराध को किए जाने का प्रयास करता है तो वह उस अपराध के दण्ड के आधे दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 31 (a) एनडीपीएस एक्ट–इस धारा के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में किये जाने वाले अपराधों या धारा 19, 24 तथा 27 ;द्ध में दण्डित अपराधों में पूर्व में दोषसिद्ध किया गया हो तथा पुनः इस प्रकार के लिए दोषी पाया जावे तो उसे मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है।

धारा 32 (a) एनडीपीएस एक्ट –इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए किसी भी दण्डादेश का निलंबन या परिहार या लघुकरण नहीं होगा। अर्थात् यदि इस अधिनियम के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए दण्डित किया गया है तो किसी भी परिस्थिति में उस दण्ड को कम नहीं किया जा सकता है।

धारा 37 एनडीपीएस एक्ट–इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

मादक पदार्थ की जब्ती के संबंध में चैक लिस्ट

1. मुखबिर से प्राप्त सूचना की रोजनामचा में प्रविष्टि करना
2. धारा 42 (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना लेखबद्ध करना
3. थाने के डिस्पेच रजिस्टर में पत्र डिस्पेच कर डिस्पेच नं. अंकित करना।
4. धारा 42 (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट में सूचना देने हेतु कानिस्टेबल की रवानगी।
5. कार्यवाही हेतु एस.एच.ओ. की रवानगी मय पर्याप्त जाब्ता मय अनुसंधान बॉक्स।
6. मौके पर पहूंच कर संदिग्ध को डिटेन करना।
7. तलाशी हेतु स्वतन्त्र गवाह तलब करना (हुक्मनामा)।
8. यथा संभव गवाह स्थानीय होने चाहिए।
9. गवाह उपलब्ध होने पर लिखित में सहमति लेना।
10. सहमति लेने के पश्चात गवाहान की नियुक्ति करना।
11. संदिग्ध को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देना।
12. संदिग्ध से लिखित में अभिमत प्राप्त करना(सेकंड कॉपी पर)।
13. मौके पर राजपत्रित अधिकारी को बुलाना/नोट सहमति।
14. राजपत्रित अधिकारी के मौके पर पहूंचने पर हालात बताना व गवाहान तथा संदिग्ध के बारे में जानकारी देना।
15. स्वंय की व गवाहान की तलाशी लिवाना (संदिग्ध से)।
16. संदिग्ध को चैक करना/ 50 एन.डी.पी.एस. के नोटिस को जामा तलाशी से जप्त करना।
17. बरामद मादक पदार्थ को चैक कर मादक पदार्थ की पहचान करना।

PTS JODHPUR

18. बरामद मादक पदार्थ का तौल करना।
19. मादक पदार्थ को सील करना।
20. मुलजिम को गिरफ्तारी के आधारों से अवगत करवा कर गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार करना।
21. फर्द गिरफतारी में 50 एनडीपीएस के नोंटिस की मूल प्रति को जब्त करना।
22. मौके पर नमूना सील की फर्द तैयार करना।
23. मौके से मय कागजात मय मुलजिम मय आर्टिकल रवानगी।
24. थाने पर वापसी की रोजनामचा में विस्तृत विवरण सहित प्रविष्टि।
25. धारा 42 (2) एनडीपीएस की सूचना देने गए कानि. की वापसी करना।
26. माल को धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मालखाने में जमा करना।
27. माल को पुनः सील मोहर करना।
28. मुलजिम को बन्द हवालात कर गिरफ्तारी रजिस्टर में प्रविष्टि।
29. एफआईआर व एसआर चाक करना।
30. धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना लेखबद्ध करना।
31. थाने के डिस्पेच रजिस्टर में पत्र डिस्पेच कर पत्र पर डिस्पेच नं. अंकित करना।
32. धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना देने हेतु कानि. की रवानगी करना।
33. अनुसंधान हेतु थानाधिकारी को रेडियोग्राम भेजना।
34. माल एफएसएल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र तैयार करना।
35. 48 घण्टे के अन्दर माल परिक्षण हेतु एफएसएल भेजना।
36. धारा 57 एनडीपीएस की सूचना देने गए कानि की वापसी करना।
37. थाने के वाहन की लोग बुक तैयार कर प्रति शामिल करना।
38. मालखाना रजिस्टर की प्रति शामिल करना।
39. रोजनामचा आम में कार्यवाही के संबंध में डाली गई रपटों की प्रति शामिल करना।
40. श्रीमान सीओ साहब के वाहन की लोग बुक की प्रति शामिल करना।

PTS JODHPUR

कार्यालय पुलिस थाना शास्त्रीनगर जयपुर (राज0)

क्रमांकः—
दिनांकः—

विषयः— सूचना अन्तर्गत धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट।

सेवा में,
श्रीमान सी.ओ. साहब,
वृत्त कोतवाली, जयपुर शहर (दक्षिण)

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,जिला

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान से निवेदन है कि आज दिनांक 19.11.09 को समय 9.30 ए.एम. पर जर्ये टेलिफोन मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति जिसने काले रंग की जर्सी पहनी हुई है तथा बादामी रंग की पेंट पहने हुए है। हाथ में काले रंग का बैग है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मँछें हैं तथा रंग गेहूंआ है। यह व्यक्ति पानी पेच चौराहे के पास खड़ा है। तथा उसके पास जो काला बैग है उसमें स्मैक हो सकती है। यह व्यक्ति स्मैक की डीलिंग करने आया है। जिसे यदि तुरन्त चैक किया जावे तो स्मैक बरामद हो सकती है। चूंकि इतला महत्वपूर्ण है अतः मन एस.एच.ओ. कार्यवाही हेतु रवाना हो रहा हूँ।

एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 42(2) के तहत प्राप्त सूचना की सूचना श्रीमान की सेवा में सादर अवलोकन व मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः—नकल रपट रोजनामचा आम

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

प्रतिलिपिः— श्रीमान पुलिस अधीक्षक महादेय, जयपुर शहर (दक्षिण)

फर्द तल्बी गवाहवान

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,जिला
जयपुर शहर (दक्षिण)

वास्तेः—
श्री धूकल राम कानि0 545,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

दिनांकः— 19.11.09 समय 9.55 ए.एम.
कैम्पः— पानीपेच तिराहा, सीकर रोड़, जयपुर।
विषयः— स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको आदेश दिया जाता है कि आज दिनांक 19.11.04 को मन एस.एच.ओ. को प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को डिटेन किया गया है। उक्त इकराम खाँ की तलाशी ली जानी है। अतः आप आस—पास से दो स्वतंत्र गवाह तलाश कर प्रस्तुत करें।

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

कानि0 रिपोर्टः—

महोदय आदेश की पालना में आस—पास स्वतन्त्र गवाह तलाश किये गए। (1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी मकान नं. 213 नेहरू नगर व (2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा गवाह बनने के लिए तैयार है। जिन्हें हमराह लेकर आया हूँ। गवाहान मय रिपोर्ट के प्रस्तुत है।

श्री धूकल राम
कानि0 545,
समयः— 10.05 ए.एम.

PTS JODHPUR

फर्द मामूरी गवाहान/फर्द सहमति गवाहान

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

वास्तेः—
(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा

दिनांकः— 19.11.09
समयः— 9.55 ए.एम.
विषयः— गवाह बनने की सहमति देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि मन एस.एच.ओ. को प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को डिटेन किया गया है। उक्त इकराम खाँ की तलाशी ली जानी है। यदि आप उक्त कार्यवाही में गवाह बनने के लिए सहमत हों तो कृपया अपनी सहमती लिखित में प्रदान करने की कृपा करें।

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

(1) मैं गवाह बनने को सहमत हूँ— हस्ता0 रतनाराम
(2) मैं गवाह बनने को सहमत हूँ— हस्ता0 महेश कुमार

श्री रतना राम व श्री महेश कुमार ने उक्त कार्यवाही में गवाह बनने हेतु अपनी सहमति लिखित में प्रदान की है। अतः श्री रतना राम व श्री महेश कुमार को गवाह नियुक्त किया जाता है।

नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

वास्तेः—
श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ
जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी
अकलेरा,जिला झालावाड

दिनांकः— 19.11.09 समयः— 9.55 ए.एम.
विषयः— नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट।
स्वतंत्र गवाहानः—

(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा. जयपर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष आप श्री इकराम खाँ को सूचित किया जाता है कि मन एस.एच.ओ. के मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि आपके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक है। इस हेतु आपकी तलाशी ली जानी है।एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत आपको अधिकार है कि आप अपनी तलाशी किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं। इस संबंध में आप अपना अभिमत लिखित में प्रदान करें।

sd रतना राम sd महेश कुमार

sd इकराम खाँ

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

श्रीमान में अपनी तलाशी किसी भी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने के लिए सहमत हूँ।

sd इकराम खा

Verified by
एस.एच.ओ.शास्त्रीनगर, जयपुर।

sd रतना राम
sd महेश कुमार

PTS JODHPUR

फर्द जामा तलाशी गवाहान व थानाधिकारी

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सूचना दी जाकर मौके पर श्रीमान सी.ओ. साह8777777ब कोतवाली को बुलाया गया है। मौके पर श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली व गवाहान श्री रतना राम व महेश कुमार भी उपस्थित हैं।

मन एस.एच.ओ. ने व दोनों गवाहान श्री रतना राम व महेश कुमार ने अपनी–अपनी तलाशी श्री इकराम खाँ को श्री मान सी.ओ. साहब कोतवाली की मौजूदगी में दी। सभी के बदन पर पहने हुए कपड़े व दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई है। श्री इकराम खाँ तलाशी से पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

sd श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली

sd इकराम खाँ, आरोपी

sd रतना राम, गवाह 1

sd महेश कुमार, गवाह 2

एस.एस.ओ.
थाना शास्त्रीनगर
दिनांक 19.11.09,समयः– 11.00 ए.एम.

रेडियोग्राम

प्रेषितिः–श्रीमान सी.ओ. साहब, कोतवाली, जयपुर शहर (दक्षिण)
सूचनार्थः– श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण)
प्रेषकः– थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर, जयपुर शहर (दक्षिण)

———————————————————————————————

महोदय,

आज दिनांक 19.11.09 को प्रातः 9.30 पर प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर पानीपेच तिराहे पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को डीटेन किया गया है। श्री इकराम खाँ ने धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना पर किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने की सहमति प्रदान की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि बतौर राजपत्रित अधिकारी यथाशीघ्र मौके पर पधारने की कृपा करें।

———————————————————————————————

THI 10.20 A.M.
QSL 10.25 A.M.

फर्द नमुना सील बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर, जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 19.11.09 समय 12.15 पी.एम. कैम्प पानीपैच तिराहा, सीकर रोड़, जयपुर।

विषयः– नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट।

रूबरू गवाहानः– (1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान क समक्ष श्रा श्रा इकराम खा पुत्र श्रा दूल्ह खा जाात मुसलमान उम्र 27 साल ानवासा अकलेरा जिला झालावाड के कब्जे से बरामद स्मैक के पैकेट माक्र "A" "B" "C" में सील्ड मोहर किया गया है। उक्त पैकेट जिस सील से शील्ड मोहर किए गए हैं उनका नमूना इस प्रकार है।

नमूना सीलः–

Θ Θ Θ

फर्द नियमानुसार तैयार की जाकर पढ़कर सुनाई गई। सुन समझ सही मानकर सभी संबंधित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए।

sd इकराम खाँ, आरोपी sd श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली

एस.एस.ओ.
थाना शास्त्रीनगर

sd रतना राम, गवाह 1

sd महेश कुमार, गवाह 2

PTS JODHPUR

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

वास्तेः—
श्री सुल्तान सिंह हे0 कानि0 15,
एच.एम. मालखाना
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

दिनांकः— 19.11.09 समय 1.20 ए.एम.
कैम्पः— थाना शास्त्रीनगर, जयपुर।
विषयः— धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत माल मालखाने में जमा करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आज दिनांक 19.11.04 को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई। सीलिंग की कार्यवाही इस प्रकार की गई हैः—

माक्र A ⟶ 20 ग्राम स्मैक बतौर कन्ट्रोल सैम्पल
माक्र B ⟶ 20 ग्राम स्मैक बतौर नमूना सैम्पल
माक C ⟶ 460 ग्राम स्मैक बतौर वजह सबूत

उक्त तीनों शील्डशुदा पैकिटों को जमा मालखाना कर रिपोर्ट करें।

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

महोदय,

पैकिट माक्र "A" "B" "C" को थाने की सील में पुनः सील मोहर कर मालखाना में जमा कर दिया गया है। मालखाना रजिस्टर में आर्टिकल नं. 724/118 पर इसका इन्द्राज कर लिया गया है। मालखाना रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्नः— सत्य प्रतिलिपि
मालखाना रजिस्टर

sd
सुल्तान सिंह एच.एम.
मालखाना थाना
शास्त्रीनगर, जयपुर।

फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 19.11.09 समय 12.10 पी.एम. केम्प पानीपेच तिराहा सीकर रोड़ जयपुर।

रूबरू गवाहानः—
(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री मन एस.एच.ओ. धीरज वर्मा ने अपना परिचय देते हुए इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नियामानुसार गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी ली गई तो पूर्व में बरामद शुदा मादक पदार्थ के अतिरिक्त पहने हुए कपड़ों व दैनिक उपयाग की वस्तुओं के अलावा पहनी हुई पैंट की जेब से नोटिस 50 एनडीपीएस एक्ट की मूल प्रति प्राप्त हुई जिसे शामिल कागजात किया गया।

PTS JODHPUR

1. नोटः—मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना मुलजिम द्वारा बताये गये मोबाईल नं 9887297786 पर उसके भाई मोहसिन खाँ को दी गई।
2. नोटः—वक्त गिरफ्तारी मुलजिम के शरीर पर जाहीराना तौर पर कोई चोट नजर नहीं आ रही है। मुलजिम ने भी कोई चोट नहीं आना बताया।
3. हुलियाः—कद करीब 5 फुट 8 इंच, रंग गेहूंआ, काले रंग की जर्सी, बादामी पैंट तथा क्रीम कलर का शर्ट पहने हुए है। गहरी भौंहे तथा दाढी मूँछें हैं। ‡ गुदा रखा है।

फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मान हस्ताक्षर किये।

sd श्रीमान सी.ओ. साहब **sd इकराम खाँ,** **sd रतना राम,** **sd महेश कुमार,**

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

फर्द चैकिंग एवं जब्ती अवैध मादक पदार्थ स्मैक बकब्जे मुलजिम इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 19.11.09 समय 12.30 पी.एम. केम्प पानीपेच तिराहा सीकर रोड़ जयपुर

रूबरू गवाहानः—
(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन एस.एच.ओ. धीरज वमा मय जाब्ता श्री कैलाश चन्द्र स0उ0नि0, श्री धूकलराम कानि0 545, श्री किशनलाल कानि0 1045, श्री रूपाराम कानि0 1145, श्री हरिसिंह कानि0 160 मय जीप सरकारी मय चालक श्री सीताराम कानि0 848 के थाने से 9.40 ए.एम. पर रवाना होकर मुताबिक सूचना मुखबिर पानीपेच तिराहा समय 9.50 ए.एम. पहुँचा जहां मुखबिर द्वारा बताऐ गये हुलिए का व्यक्ति नजर आया जो पुलिस गाड़ी को देखकर अपनी उपस्थिति छुपाने का प्रयास करने लगा जिसे डिटेन कर यथास्थिति खड़े रहने की हिदायत देते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ का होना बताया। उक्त व्यक्ति से इस प्रकार जयपुर में घूमने तथा बैग में रखी वस्तुओं के संबंध में जानकारी चाही गई तो कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया तथा घबराहट से पसीने आने लगे। डिटेनशुदा इकराम खाँ के इस प्रकार के व्यवहार तथा मुखबिर की सूचना में काफी समानता नजर आ रही है। अतः सूचना की तस्दीक कर व इकराम खाँ की तलाशी लेने हेतु स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु समय 9.55 ए.एम. पर श्री धूंकलराम कानि 545 को हुकुम नाम देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया जो समय 10.05 ए.एम पर मय गवाहान श्री रतना राम व श्री महेश कुमार के वापस आया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हुकुमनामा शामिल कागजात किया गया। समय 10.10 ए.एम. पर दोनों गवाहान से लिखित में सहमति प्राप्त कर गवाह नियुक्त किया गया। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। समय 10.15 ए.एम. पर इकराम खाँ को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नोटिस देकर उसके के अधिकारों से अवगत कराया गया कि ''आप अपनी तलाशी किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं।'' इस पर इकराम खाँ ने लिखित में किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए सहमति प्रदान की। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। चूँकि इकराम खाँ ने लिखित में किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए सहमति दी है अतः बतौर राजपत्रित अधिकारी मौके पर पधारने हेतु सरकारी जीप नं. **आर.जे. 14 सी.सी. 9726** में लगे वायरलेस सेट से श्रीमान सी.ओ. साहब, कोतवाली को रेडियाग्राम दिया गया। रेडियोग्राम की प्रति शामिल कागजात की गई। समय 10.55 ए.एम. पर श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली मौके पर पधारे जिन्हें समस्त हालात से अवगत कराया गया। गवाहान से परिचय करवाया गया।। डिटेनशुदा इकराम खां से परिचय करवाया गया। इकराम खां

को अवगत करवाया गया कि श्रीमान सी.ओ. साहब राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने के लिए सहमति प्रदान की। तत् पश्चात मन एस.एच.ओ. व गवाहान ने अपनी तलाशी इकराम खां को सी.ओ. साहब की मौजूदगी में दी तो अलावा पहने हुए कपड़ों व दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु इस्तयाब नहीं हुई। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। स्वयं की व गवाहान की तलाशी देने के पश्चात मन एस.एच.ओ ने गवाहान व श्रीमान सी.ओ साहब की मोजूदगी में इकराम खाँ को चैक किया तो पहनी हुई पैंट की जेब से नोटिस 50 एनडीपीएस एक्ट की मूल प्रति प्राप्त हुई जिसे शामिल कागजात किया गया। इसके पश्चात बदन की तलाशी ली गई तो दाहिने हाथ के कंधे में लटके हुए काले रंग के बैग को चैक करने पर एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली मिली। जिसे खोलकर देखा तो भूरे रंग का पाउडर मिला जिसे सूंघा, परखा चैक किया तो मादक पदार्थ स्मैक होना पाया गया। इकराम खाँ ने भी स्मैक होना बताया। इकराम खाँ से उक्त पदार्थ अपने कब्जे में रखने बाबत लाइसेंस मांगा तो कोई वैध लाइसेंस होना नहीं बताया। इस प्रकार उक्त इकराम खां द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक अपने कब्जे में रखना धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से इकराम खां के पास मिली अवैध मादक पदार्थ स्मैक का हमराह लाए गए अनुसंधान बॉक्स में रखे तराजू से तौल किया गया तो मय बारदाना 540 ग्राम तथा शुद्ध वनज 500 ग्राम हुआ। उक्त स्मैक में से 20–20 ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कंन्ट्रोल सैम्पल निकाले जाकर छोटी पारदर्शी थैलियों में पृथक–पृथक सील मोहर कर क्रमशः माक्र A व B दिया गया। शेष 460 ग्राम स्मैक को पृथक से पारदर्शी थैली में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर माक्र C दिया गया। इकराम खां को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। मौके पर फर्द नमूना सील तैयार की गई। मन एस.एच.ओ. मय जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम इकराम खां मय जब्तशुदा आर्टिकल माक्र A B व C के वापस थाना रवाना हुआ। वापसी थाना पर नम्बर पर मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा।

नमूना सीलः–

Θ Θ Θ

फर्द चैकिंग व जब्ती नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मानकर हस्ताक्षर किए।

sd श्रीमान सी.ओ. साहब **sd इकराम खाँ,** **sd रतना राम,** **sd महेश कुमार,**

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

<u>थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण)</u>
दिनांकः– 19.11.09 समयः– 1.15. पी.एम.

कार्यवाही पुलिसः– इस समय मन एस.एच.ओ. मय जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम इकराम खां मय जब्तशुदा आर्टिकल पैकेट माक्र A B व C के वापस थाना आया। वापसी पर मुलजिम इकराम खां को बन्द हवालात कर सुपुर्द पहरा सन्तरी किया गया। जब्तशुदा आर्टिकल पैकेट माक्र A B व C को धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत थाने की सील से पुनः सील मोहर कर जमा मालखाना किया गया। मुकदमा नम्बर 427/09 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में कायम कर अनुसंधान निर्देशानुसार श्री राम सिंह थानाधिकारी थाना संजय सक्रिल को सुपुर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर व एस.आर. नियमानुसार जारी की गई।

एस.एच.ओ.
शास्त्रीनगर, जयपुर।

PTS JODHPUR

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना, शास्त्री नगर, जयपुर शहर(दक्षिण)

क्रमांक :– दिनांक :–

सेवा में,
श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय,
वृत्त कोतवाली,
जिला– जयपुर शहर (दक्षिण),

विषय :– सूचना अन्तर्गत धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट।

महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्रीमान से सादर निवेदन है कि आज दिनांक 19.11.09 को मन् एस.एच.ओ. को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति पानी पेच चौराहा पर खड़ा है तथा उसके पास स्मैक हो सकती है। यह व्यक्ति स्मैक की डीलिंग करने आया है। इस सम्बन्ध में श्रीमान को पूर्व में धारी 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सूचना दी जा चुकी है। उक्त इतला पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ, जाति– मुसलमान, उम्र–27 साल, निवासी– अकलेरा, जिला–झालावाड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई।
उक्त कार्यवाही के आधार पर इकराम खाँ के विरुद्ध थाना हाजा पर मु.नं. 427/09 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में कायम कर अनुसंधान श्री राम सिंह थानाधिकारी थाना संजय सक्रिल द्वारा किया जा रहा है।

सूचना अन्तर्गत धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की श्रीमान की सेवा में अवलोकन व मार्ग दर्शन हेतु प्रस्तुत है।

थाना प्रभारी,
शास्त्री नगर,जयपुर शहर, (दक्षिण)

प्रतिलिपि :– श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर, (दक्षिण)

धारा 50–औजार–बक्से से बरामदगी–प्रावधान लागू नहीं। अधिनियम की धारा 50 में निर्दिष्ट शर्तो की अनुपालना का कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि व्यक्ति की कोई भी तलाशी इस मामले में नहीं की गयी। की गयी तलाशी प्रवहण की थी और केवल तथ्य कि अभियुक्ति अपीलार्थी मजीत खान तब वाहन चला रहा था और अन्य अभियुक्त वाहन की पिछली सीट पर बैठा था, उन व्यक्तियों की तलाशी को नहीं करेगा। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 50 में निर्दिष्ट शर्ते वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को लागू नहीं होती है।–भीखम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2002 (2) EFR 417 (Raj).

धारा 50–स्वयं राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी की गई–धारा 42 के प्रावधानों की अनुपालना आवश्यक नहीं है।– उच्च न्यायालय इस प्रकार इस निष्कर्ष पर आने में सही है कि जिस प्रकार से स्वयं राजपत्रित अधिकारी ने तलाशी ली, अभियुक्त को गिरफ्तार किया और निषिद्ध माल को जब्त किया, वह धारा 41 के अन्तर्गत कार्य कर रहा था और इसलिए, यह धारा 42 की अनुपालना करने के लिए आवश्यक नहीं था।–एम. प्रभुलाल बनाम सहायक निदेशक, राजस्व इन्टेलीजेंस डायरेक्टर, 2003 (4)CCR 221 (SC).

धारा 50–तलाशी और जब्ती–अभियुक्त ने धारा 50 के अधीन प्राप्त सूचना पर ''मै सहमत हूँ'' लिखा– इससे तात्पर्य यह होगा, कि वह मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लिवाना चाहता था–तलाशी स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा ली गयी–जो अवैध है–प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के लिए उपबंध करने वाला अन्य संशोधन लागू नहीं होता है, क्योकि तलाशी संशोधन से पहले की गयी थी–अभियुक्त दोषसिद्धि अपास्त करने योग्य है।–बालू बनाम राजस्थान राज्य, 2005 CrLJ 33 (Raj).

PTS JODHPUR

धारा 55–मालखाने में जमा करने से पहले नमूने को पुनः सील नहीं किया गया– धारा 55 उपबंधित करती है कि बरामदगी के स्थान पर SHO की सील से पैकेट सील किया जायेगा और जब पुलिस 'मालखाने' में उसे जमा कराया जा रहा है, उन्हें पुलिस स्टेशन की सील से पुनः सील किया जायेगा। यह विवादित नहीं है कि कोई भी पुनः सील की कार्यवाही नहीं की गई जब पैकेट पुलिस स्टेशन के मालखाने में जमा कराये गये।–राजस्थान राज्य बनाम सिराज अहमद, 2003 CrLR 747 (Raj).

धारा 55–और 21–तीन महीनों के लम्बे अन्तराल के पश्चात् न्यायालय में जब्त वस्तु को प्रस्तुत किया गया–जब्त वस्तुएं उचित अभिरक्षा में और उचित प्रारूप में भी नहीं रखी गयी–औपचारिक अनुसंधान–दोषसिद्धि का वारन्ट करने के लिये साक्ष्य पर्याप्त नहीं–निर्णीत किया, दोषसिद्धि अपास्त।–वालशाला बनाम केरल राज्य, 1993(1) UJ733 (SC)=1993 (2) Crimes 267 (SC) =1993 (2) CCR 167=1993 (2) Scale 575 (2) SC.

बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम मय नवीनतम संशोधन

(2007 का अधिनियम संख्यांक 6)10 जनवरी, 2007,

बाल–विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है; और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को भी लागू होता है,

परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनोंसाओं को लागू नहीं होगी ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

2. परिभाषाएं–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(ख) बाल–विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है

(ग) विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकारष से पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है;

(घ) बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारीष के अन्तर्गत धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है;

(ङ) जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में, जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय विद्यमान है, ऐसा कुटुंब न्यायालय और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है, किंतु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है वहां वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में, आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता है, जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है ;

(च) अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने, वयस्कता प्राप्त नहीं की है ।

3. बाल–विवाहों का, बंधन में आने वाले पक्षकार के, जो बालक है, विकल्प पर शून्यकरणीय होना–(1) प्रत्येक बाल–विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरणीय होगा,

PTS JODHPUR

परंतु किसी बाल–विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही, जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी ।

(2) यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय, अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके सरंक्षक या वाद–मित्र के साथ–साथ बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष पूरे करने से पूर्व फाइल की जा सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन अकृतता की डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय, विवाह के दोनों पक्षकारों और उनके माता–पिता या उनके संरक्षकों को यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि वे, यथास्थिति, दूसरे पक्षकार, उसके माता–पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों, अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दे,

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए, सूचनाएं न दे दी गई हों ।

4. बाल–विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण–पोषण और निवास के लिए उपबंध–(1) धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय, जिला न्यायालय बाल–विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है, तो उसके माता–पिता या संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को, उसके पुनर्विवाह तक, भरण–पोषण का संदाय करने के लिए निदेश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगा ।

(2) संदेय भरण–पोषण की मात्रा का अवधारण जिला न्यायालय द्वारा, बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

(3) भरण–पोषण की रकम का मासिक या एकमुश्त राशि के रूप में संदाय करने का निदेश दिया जा सकेगा ।

(4) यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकेगा ।

5. बाल–विवाह से जन्मे बालकों का भरण–पोषण और अभिरक्षा–(1) जहां बाल–विवाह से जन्मे बालक हैं, वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय, बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय द्वारा, सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा ।

(3) बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में, दूसरे पक्षकार की, ऐसे बालक तक ऐसी रीति से, जो बालक के हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो, पहुंच के लिए समुचित निदेश, और ऐसे अन्य आदेश, जो जिला न्यायालय बालक के हित में उचित समझे, सम्मिलित हो सकेंगे ।

(4) जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उनके माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण–पोषण का उपबंध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकेगा ।

6. बाल–विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मजता–इस बात के होते हुए भी कि बाल–विवाह धारा 3 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल कर दिया गया है, डिक्री किए जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा ।

7. जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति–जिला न्यायालय को धारा 4 या धारा 5 के अधीन और यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है जो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात् भी किसी आदेश में जोड़ने, उसे उपांतरित या प्रतिसंहृत करने की शक्ति होगी ।

8. वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए–धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है या जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था

PTS JODHPUR

या जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है, अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय सम्मिलित होगा ।

9. बाल–विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड–जो कोई, अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए, बाल–विवाह करेगा, वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

10. बाल–विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड–जो कोई किसी बाल–विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, या निदिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल–विवाह नहीं था, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

11. बाल–विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड–(1) जहां कोई बालक बाल–विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता–पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध हैसियत में, बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल–विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा , परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि जहां अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे अवयस्क बालक का भारसाधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है ।

12. कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना–जहां कोई बालक, जो अवयस्क है, विवाह के प्रयोजन के लिए, –

(क) विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है; या

(ख) किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है; या

(ग) विक्रय किया जाता है, और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात् उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहां ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा ।

13. बाल–विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति–(1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, या किसी व्यक्ति से परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल–विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है, विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश निकालेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई परिवाद, बाल–विवाह या बाल–विवाहों का अनुष्ठापन होने की संभाव्यता से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा और युक्तियुक्त जानकारी रखने वाले किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा, किया जा सकेगा ।

(3) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा ।

(4) अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर, सामूहिक बाल–विवाहों के अनुष्ठापन का निवारण करने के प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों के साथ, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त हैं, बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा ।

(5) जिला मजिस्ट्रेट को बाल–विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने या उनका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी और इस प्रयोजन के लिए, वह सभी समुचित उपाय कर सकेगा और अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा ।

PTS JODHPUR

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई व्यादेश किसी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति संगम के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति, संगठन के सदस्यों या व्यक्ति संगम को पूर्व सूचना न दे दी हो और उसे/या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर न दे दिया होरू

परंतु किसी अत्यावश्यकता की दशा में, न्यायालय को, इस धारा के अधीन कोई सूचना दिए बिना, अंतरिम व्यादेश निकालने की शक्ति होगी ।

(7) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश की, ऐसे पक्षकार को, जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया था,सूचना देने और सुनने के पश्चात् पुष्टि की जा सकेगी या उसे निष्प्रभाव किया जा सकेगा ।

(8) न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तित कर सकेगा ।

(9) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन प्राप्त होता है, वहां न्यायालय आवेदक को, या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा, अपने समक्ष उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा, और यदि न्यायालय आवेदक को सुनने के पश्चात् आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

(10) जो कोई, यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश जारी किया गया है, उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगारूपरंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी ।

14. व्यादेशों के उल्लंघन में बाल–विवाहों का शून्य होना–धारा 13 के अधीन जारी किए गए व्यादेशों के उल्लंघन में, चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, अनुष्ठापित किया गया कोई बाल–विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा ।

15. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

16. बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी–(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात, किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जिसकी अधिकारिता, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगी ।

(2) राज्य सरकार, समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सम्मानीय सदस्य या ग्राम पंचायत या नगरपालिका के किसी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या किसी गैर–सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और, यथास्थिति, ऐसा सदस्य, अधिकारी या पदाधिकारी तद्नुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा ।

(3) बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) बाल–विवाहों के अनुष्ठापन का ऐसी कार्रवाई करके, जो वह उचित समझे निवारण करे;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करे;

(ग) बाल–विवाह के अनुष्ठापन का संवर्धन करने, सहायता देने या होने देने में अन्तर्वलित न होने के लिए व्यष्टिक मामलों में सलाह दे या क्षेत्र के निवासियों को साधारणतया परामर्श दे;

(घ) बाल–विवाह के परिणामस्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करे;

(ङ) बाल–विवाहों के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाए;

(च) ऐसी नियतकालिक विवरणियां और आंकड़े दे, जो राज्य सरकार निर्देशित करे; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का निवर्हन करे, जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनिहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं और बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी शक्तियों का, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रयोग करेगा ।

(5) बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 4, धारा 5 और धारा 13 के अधीन और धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी ।

PTS JODHPUR

17. बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना–बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

18. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण–इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

19. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

20. 1955 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन–हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 18 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात, –

(क) धारा 5 के खंड (XR) में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से; ।

21. निरसन और व्यावृत्ति–(1) बाल–विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का 19) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले और अन्य कार्यवाहियां, जारी रहेंगी और निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो ।

राजस्थान जुआ अध्यादेश 1949
Rajasthan Public Gambling Ordinance 1949

धारा–3 किसी जुआ व घर का मालिक होने अथवा उसको चलाने के लिए दण्ड –जहॉ पर यह अध्यादेश लागू होता है उन सीमाओं के अन्दर किसी घर कमरे, तम्बु आहाता, जगह, वाहन जलयान या किसी स्थान पर कोई भी मालिक या अधिभोगी या अथवा उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान को सामान्य जुआघर के रूप में खोलता है रखता है या उपयोग मे लेता है तथा ऐसे स्थानों का कोई भी स्वामी या अधिभोगी जानबूझकर पूर्वोक्त प्रकार से सामान्य जुआ घर के रूप मे खोलने रखने या उपयोग करने की अनुमति देता है और जो कोई भी ऐसे स्थानों का प्रबन्ध करता है या उनके कारोबार का सचांलन करता है और उपरोक्त उद्देश्यों के लिये खोलता रखता है या उपयोग करता है और जो कोई भी ऐसे स्थानों मे बार बार आने वाले को जुऐ का अग्रिम धन देता है उस व्यक्ति निम्न प्रकार दण्डित किया जायेगा ।

(क) प्रथम अपराध के लिए 6 मास तक के कारावास या 500 रूपये तक के जुर्माने या दोनों

(ख) दोबारा अपराध के लिये 1 साल तक के कारावास या 1000 रूपये तक के जुर्माने सहित या रहित किन्तु न्यायालय के निर्णय में वर्णित विशेष कारणों के अभाव में 1 माह से कम अवधि का कारावास नहीं होगा ।

(ग) तीसरी बार या पश्चातवर्ती अपराध के लिये ऐसे कारावास जो 1 साल तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 2000 रूपये तक का हो सकेगा

परन्तु न्यायालय द्वारा निर्णय में विशेष कारणों का उल्लेख के बिना 6 महिने से कम अवधि का कारावास नहीं होगा

धारा 4 जुआ घर में पाये जाने पर दण्ड – जो कोई किसी जुआ घर में तास, पाशे, धन अथवा धूत के अन्य उपकरणों से खेलता हुआ पाया जाये या धूत के प्रयोजन के लिये दण्ड

बाजी या दांव अन्यथा खेलने के लिये वहां उपस्थित पाया जाये तो 500 रूपये से कम न होने वाले जुर्माने अथवा 6 माह के कारावास की अवधि से दण्डित होगा ।

किसी सामान्य जुआ घर में धूत के दौरान पाये जाने वाले व्यक्ति के बारे में धूत प्रयोजन के लिये वहां उपस्थित होने की उपधारणा की जायेगी जब तक की वह अन्य प्रकार से साबित न कर दे ।

धारा 5– सामान्य जुआ घर में पुलिस के प्रवेश करने के लिये वह तलाशी लेने के लिये प्राधिकृत करने की शक्ति

यदि जिला मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक कों विश्वनीय सूचना मिलती है कि कोई घर, कमरा, तम्बू, अहाता,

PTS JODHPUR

वाहन, जलयान या स्थान सामान्य जुआ घर के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है या तो वह स्वयं प्रवेश कर कर सकेगा या वाहन द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को आवश्यक सहायता सहित दिन या रात में तथा आवश्यक होने पर बलपूर्वक ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो वहां पायें जाये स्वयं परिरूद्व कर सकेगा या ऐसे अधिकारी को परिरूद्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।
तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो वहां पाये जायें स्वयं परिरूद्व कर सकेगा या ऐसे अधिकारी को परिरूद्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।
तथा वहां पाये जाने वाले समस्त उपकरणों जिनके बारे में सदेंह हो उनका जुआ खेलने के लिये उपयोग किया जा रहा है जब्त कर सकेगाया ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।
तथा ऐसे स्थान तथा अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों की धूत के उपकरण छुपाये जाने की आशंका होने पर तलाशी ले सकेगा अथवा ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।
धारा 13– सार्वजनिक मार्गो पर जुआ खेलने तथा पक्षियों और जीव जन्तुओं को लडानें के लिये दण्ड पुलिस अधिकारी किसी सार्वजनिक मार्ग स्थान या आम रास्ते में जुआ खेलते हुये पाये गये किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक मार्ग स्थान या आम रास्ते में किन्ही पक्षियों या जिव जन्तुओं की लडाई की व्यवस्था करने वाले किसी व्यक्ति या पक्षियों तथा जिव जन्तुओं को सार्वजनिक रूप से की जाने वाली लडाई में सहायता करने तथा उत्प्रेरणा करने वाले किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा ।
जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाये उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जायेगा और वह100 रूपये तक जुर्माने तथा 1 माह तक के सादा या कढिन कारावास से दण्डनीय होगाऔर ऐसा पुलिस अधिकारी धूत के समस्त उपकरणों को अभिग्रहण कर सकेगा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सजा के उपरान्त आदेश देने पर नष्ट करेगा।

राजस्थान ध्वनि नियन्त्रण अधिनियम– 1963

धारा – 2 परिभाषा –
1.**लाउड स्पीकर–** ध्वनि विस्तारक यन्त्र जिससे ध्वनि चाहे वह गायन, वाद्य यन्त्र या रिकॉर्ड की हुई हो विस्तारित की जाती है।
2.**सार्वजनिक स्थान –** सार्वजनिक स्थान से अभिप्राय ऐसे स्थान जिसमें सडक गली या मार्ग चाहे वे आम रास्ता हो या नहीं तथा उतरने का स्थान शामिल है जिसमे जनता पहुंचती है उसे ठहरने का अधिकारी है या जिसमें से होकर जनता को गुजरने का अधिकार है।
धारा– 3 धोषणा एवं तीव्र ध्वनि का प्रतिषेध– जिला मजिस्ट्रेट नोटिस के द्वारा दिये गये समय जो निर्दिष्ट किया जाएगा में जनता को शोभ का गम्भीर असुविधा हो तो तीव्र ध्वनि घोषित कर प्रतिषेध किया जाएगा।
धारा – 4. लाउड स्पीकर को बजाने एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध – कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक किसी अस्पताल, टेलिफोन एक्सचेन्ज, शिक्षण संस्थान, छात्रावास न्यायालय, सरकारी कार्यालय या रात्री 11 से 5 बजे तक के समय लिखित अनुमति के बिना नही करेगा।
धारा – 5. किसी समय किसी भी स्थान पर ध्वनि को रोकने कि शक्ति – जिला मजिस्ट्रेट, लोक हित में लिखित कारणों को लेखबद्ध करते हुए आदेश जारी करेगा।
धारा– 6 शास्ती – 250 रूपये जुर्माना, दुबारा करने पर 1 माह का कारावास व 250 रूपये जुर्माना।
धारा –7 प्रक्रिया – अपराध संज्ञेय व जमानती।
धारा –8 गिरफ्तार करने कि शक्ति – उप निरीक्षक या इससे उपर स्तर के अधिकारी द्वारा।

PTS JODHPUR

मोटरयान अधिनियम 1988
(MOTOR VEHICLE ACT, 1988)

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारिख को प्रयुक्त होगा जो केन्द्रिय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारिखें नियत की जा सकेगी तथा इस अधिनियम में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस राज्य में अधिनियम के प्रवृत होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2. परिभाषाएं –: इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के संबंध में ''क्षेत्र'' ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत हे जिसे राज्य सरकार उस उपबन्ध की अपेक्षओं को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें;

(2) ''संलग्न् यान'' से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिससे कोई अर्द्ध–टेलर संलग्न हैं;

(3) किसी यान की धुरी के संबध में ''धुरी भार'' से उस धुरी के साथ लगे हुए कई पहियों द्वारा, उस भू–तल पर, जिस पर वह यान टिका हुआ है, संप्रेषित कुल भार अभिप्रेत है;

(5) मंजिली गाडी के संबंध में, ''कन्डक्टर'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रियों से किराया संगृहीत करने, उनका मंजिली गाडी में प्रवेश करना या उसमें से बाहर जाना विनियमित करने और ऐसे अन्य कृतय करने में लगा हुआ है जो विहित किए जांए;

(29) ''बस'' से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो छह से अधिक यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है;

(39)''अर्द्ध–टेलर'' से यांत्रिकी रूप से नोदित नहीं यान (ट्रेलर के अलावा) यान अभिप्रेत है, जो मोटर यान से जुडा होना आशयित होता है और जिसे इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि उसका एक भाग खींचने वाले के उपर होता है और उसके भार का एक भाग उस यान द्वारा वहन किया जाता है;

मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन

धारा– 3.चालन–अनुज्ञप्ति की आवश्यकता–: (1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम में दी गई प्रभावी चालन–अनुज्ञप्ति है; और कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने प्रयोग के लिए भाडें पर लिये मोटर टैक्सी या मोटर साइकिल या धारा 75 की उप–धारा (2) के अधीन निर्मित किसी योजना के अधीन किराये पर लिये मोटर टैक्सी या मोटर के अलावा परिवहन यान को इस प्रकार तभी चलाएगा जब उसकी चालन–अनुज्ञप्ति उसे विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने का हकदार बनाती है।

(2) वे शर्त जिनके अधीन उप–धारा (1) ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो मोटर यान चलाना सीख रहा है ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहीत की जाऐं ।

धारा– (5) धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व–:मोटर यान का कोई भी स्वामी या भारसाधक व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 या4 के उपबंधो की पूर्ति नहीं करता है, न तो यान चलवाएगा न उसे चलाने की अनुज्ञा देगा।

धारा– 29. कंडक्ट्रर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता :– (1) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्ट्रर अनुज्ञप्ति है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई है, और कोई भी व्यक्ति मंजिली गाड़ी के कडंक्टर के रूप में कार्य करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित या अनुज्ञात नही करेगा जो इस प्रकार अनुज्ञप्त नहीं है।

(2) राज्य सरकार ऐसी शर्तें विहीत कर सकेगी जिन पर उपधारा (1) किसी मंजिली गाड़ी के ऐसे ड्राइवर को, जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है या ऐसे व्यक्ति को जो अधिक से अधिक एक मास की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के नियोजित किया गया है, लागू नहीं होगी।

मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण

PTS JODHPUR

धारा– 39. रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता–: किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटर यान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित हो: परन्तु इस धनान की कोई बात ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो केंन्द्रय सरकार द्वारा विहित की जाएं किसी व्यवहारी के कब्जे में के मोटर यान का लागू नहीं होगी।

धारा–66 परमिटो की आवश्यकता:–

किसी मोटरयान का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान मे उस यान का परिवहन यान के रू॰ में उपयोग चाहे उस यान से वास्तव में यात्री या माल का वाहन किया जा रहा है या नही उस परमीट की शर्तो के अनुसार ही करेगा या करने की अनुज्ञा देगा। जो उस स्थान मे उस रिति से जिससे उस यान का उपयोग किया जा रहा है उस यान का उपयोग अधिकृत करते हुऐ प्रादेशिक या राज्य परिवहन अधिकारी या किसी विहित प्राधिकारी के द्वारा किया गया है या प्रतिहस्तान्तरित किया गया है।

परन्तु मंजिली गाड़ी परमिट से, ऐसी शर्तों पर जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाए, उस यान का उपयोग ठेका गाड़ी के रूप में करना प्राधिकृत होगा। परन्तु यह और की मंजिल गाड़ी परमिट से, ऐसी शर्तों पर जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाए, उस यान का उपयोग माल वाहक के रूप में करना, चाहे वह यात्रियों को वहन कर रहा हो या नहीं, प्राधिकृत किया जा सकेगा। परन्तु यह और भी कि माल वाहन के परमिट से, उन शर्तो पर जो परमिट में विनिर्दिष्ट हो, उसके धारक द्वारा चलाये जाने वाले व्यापार या कारोबार के लिए या उसके सम्बन्ध में माल को वहन करने के लिए उसके द्वारा यान का उपयोग करना प्राधिकृत करना होगा।

(2) माल– वाहन परमिट का धारक, यान का उपयोग किसी ऐसे सार्वजनिक या अर्ध टेलर के, जो उसके स्वामित्व के अधीन नहीं है, खीचंने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो विहित की जाए। परन्तु यह कि किसी संलग्नक यान (आर्टिकुलेटेड व्हीकल) के परमिट का धारक उस संलग्नक यान के मुख्य चालक यंत्र (प्राईम मूवर) को किसी अन्य अर्धटेलर के लिए उपयोग में ले सकेगा।

(3) उपधारा (1) के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होगें, अर्थात्–

(क) कोई ऐसा परिवहन यान जो केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वधीन है जो और ऐसे सरकारी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। जिस पर किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी स्थानिय प्राधिकारी के या स्थनिय प्राधिकारी से की गई संविदा के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति स्वामित्वधीन है और केवल सड़क को साफ करने, सड़क पर जल छिड़कने या सफाई के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है।

(ग) कोई ऐसा परिवहन यान जो केवल पुलिस, दमकल या रोगी वाहन परियोजनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है।

(घ) कोई ऐसा परिवहन यान जो शवों और शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के प्रवहण के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है।

(ड) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी बिगड़े हुए यान का अनुकर्षण (खींचने हेतु) करने के लिए अथवा किसी बिगड़े हुए (खराब हुए) यान से माल को निरापद स्थान पर हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(च) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करें।

(छ) कोई ऐसा परिवहन यान जो मोटर यानों का विनिर्माध करने के लिए या उनमें व्यवहार करने वाले या चैसिस संलग्न किए जाने के लिए उनकी बॉडी बनाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। जो केन्द्रिय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना क्षरा, इस निमित विनिर्दिष्ट करें।

(ज) विलोपित

(झ) कोई ऐसा माल यान जिसका सफल यान वनज किलोग्राम से अधिक नहीं है।

(ञ) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो केन्द्रिय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विहित करें, कोई ऐसा परिवहन यान जो एक राज्य में खरीदा गया है और कोई यात्री या माल वहन किए बिना उस राज्य में या किसी अन्य राजय में स्थित किसी स्थान को जा रहा है।

(ट) धारा 43 के अधीन अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रीकृत कोई परिवहन यान उस समय ज बवह यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से खाली ही किसी स्थान को जा रहा है।

PTS JODHPUR

(ठ) विलोपित
(ड) कोई ऐसा परिवहन यान जिसे बाढ, भुकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक विपदा, सड़क पर बाधा या अनवेक्षित (अनदेखी) परिस्थितियों के कारण अपने मार्ग के बदले किसी अन्य मार्ग पर लगाकर, भले ही वह राज्य के अन्दर हो या बाहर, इस दृष्टि से भेजा जाना आवयक हे कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाये।
(ढ) कोई ऐसा परिवहन यान जो ऐसे प्रयोजनों के लिए अपयोज में लाया जाता है, जिसे केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें,
(ण) कोई ऐसा परिवहन यान जो अवक्रय, पट्टा आडमान करार के अधीन है और ऐसे स्वामी के व्यतिक्रम (गलती) के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी और से, जिसके साथ व्सामी ने ऐसा करार किया है, कब्जे में ले लिया गया है जिससे कि ऐसा मोटर यान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके।
(त) कोई ऐसा परिवहन यान जब वह खाली ही मरम्मत के लिए प्रयोजन के लिए जा रहा हो।
(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) किसी मोटर यान को, जिसे ड्राईवर के अलावा 9 से अधिक व्यक्तियों का वहन करने से अनुकुल बना लिया गया है, तब लागू होगी जब राज्य सरकार ने धारा 96 के अधीन बनाए गये नियमों ऐसा विहित किया हो।

यातायात का निंयत्रण

धारा 119. यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्त्तव्य–(1) मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर यान को किसी आज्ञापक यातायात चिन्ह द्वारा दिए गए संकेत के अनुरूप और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के अनुरूप चलाएगा और उन सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा जो ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए जांए जो उस समय किसी सार्वजनिक स्थान में यातायात का विनियमन करने में लगा हुआ हैं ।
(2) इस धनान में ''आज्ञापक यातायात चिन्ह'' से अनुसूची के भाग क में दिया गया कोई यातायात चिन्ह या उसी प्रकार का ऐसा कोई यातायात चिन्ह (अर्थात् कोई युक्ति,शब्द, या अंक प्रदर्शित करने वाली और लाल जमीन या किनारे वाली गाल डिस्क का या वैसी डिसक वाला यातायात चिन्ह अभिप्रेत हे जो धनान 116 की उपधनान 1 के अधीन मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए रखा या लगाया गया हैं।
धारा 120. बाई और के नियत्रंण वाले यान :– कोई व्यक्ति बाई और के स्टीरिंग नियत्रंण वाले ऐसे किसी मोटर यान को किसी सार्वजनिक स्थान में तभी चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा, जब उसमें विहित प्रकार का यांत्रिक या विद्युत सकेंतन यंत्र लगा हुआ हो व चालु हालत में हो या नहीं।
धारा 121. संकेत और संकेतन युक्तियां– किसी मोटर यान का ड्राइवर ऐसे अवसरों पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करेः–

परन्तु दाई या बाई और मुडने के या रोकने के आशय का संकेत–

(क) दाई ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले माटरयान की दशा में, यान में लगी विहित प्रकृति की यात्रिंक या विधुत युक्ति द्वारा दिया जा सकेगा, और
(ख) बाई ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटरयान की दशा में यान में लगी विहित प्रकृति की यांत्रिक या विधुत युक्ति द्वारा दिया जा सकेगाः
परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी क्षेत्र या मार्ग की चौड़ाई और हालत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी मोटरयान या ऐसे किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को उस क्षेत्र या मार्ग पर चलाने के प्रयोजन के लिए इस धारा के प्रवर्तन से ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट कि जाएं।
धारा–122 यान को खतरनाक हालात में छोडना– किसी मोटर यान का भारसाधक व्यक्ति किसी यान या टेलर को किसी सार्वजनिक पर न तो ऐसी जगह पर, न ऐसी हालत में और न ऐसी परिस्थितियों में छोड़ेगा या रहने देगा या छोड़ने या रहने देने की अनुज्ञा देगा, जिससे सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों का यात्रियों को खतरा, बाधा या असभ्यक असुविधा हो या होने की संभावना हो।
धार–123 चलते यान के फुट बोर्ड आदि पर सवारी–1 मोटर यान का डाइवर या भारसाधक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति कों न तो चलते यान के फुटबोर्ड पर ले जाएगा और न यान के अन्दर ले जाने से अन्यथा ले जाएगा और न ऐसे ले जाए जाने की अनुज्ञा देगा।
धारा–124 पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिध– कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में यात्रा करने के प्रयोजन के लिए तभी प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा, जब उसके पास समुचित पास या टिकिट हो अन्यथा नहीं–

PTS JODHPUR

परन्तु जहा मंजिली गाड़ी में ऐसे टिकिट को दिए जाने का प्रबन्ध है, जिसे लेकर किसी व्यक्ति को यात्रा करनी होती है, वहॉ कोई व्यक्ति ऐसी मंजिली गाड़ी में प्रवेश कर सकेगा, किन्तु उसमें प्रवेश करने के पश्चात यथाशक्य शीघ्रवह अपना किराया कण्डक्टर या डाइवर को, जो कण्डक्टर के कृत्यों का पालन करता हो, देगा और, यथास्थिति, ऐसे कण्डक्टर या डाइवर से अपनी यात्रा के लिए टिकिट लगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में,– क– ''पास'' से अभिप्रेत है कर्तव्य, विशेषाधिकार या सौजन्य पास जिससे वह व्यक्ति, जिसे यह पास दिया जाता है, मंजिली गाड़ी में निः शुल्क यात्रा करने का हकदार होता है, और इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मंजिली गाड़ी में यात्रा के लिए संदाय किए जाने पर जारी किया गया पास भी है,

ख–''टिकट के अन्तर्गत एकल टिकिट, वापसी टिकट या सीजन टिकिट भी हैं;

धारा–125 ड्राईवर की बाधा– मोटर यान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी रीति से या ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति को खड़ा रहने या बैठने अथवा किसी वस्तु को रखने की अनुज्ञा न देगा जिससे यान पर नियत्रण रखने में डाइवर को रूकावट हो।

धारा–126 बड़े यान– कोई भी व्यक्ति, जो मोटर यान चला रहा है या उसका भारसाधक है, उस यान को सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा रखेगा या खड़ा रखने की अनुज्ञा न देगाद्व जब डाइवर की जगह पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्त है अविा जब उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई और ब्रेक लगा दिया गया है या लगा दिए गए है। या ऐसे अन्य उपाय कर दिए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता।

धारा–127 सार्वजनिक स्थान परित्यजित (छोड़े गए) या बिना संभाल के रहने दिए गए मोटर यानों का हटाया जाना–1– जहॉ कोई मोअर यान किसी सार्वजनिक स्थान पर दस घण्टे या उससे अधिक तक अननुसेवित बिना संभाल के छोड़ दिया जाता है या पड़ा रहने दिया जाता है या ऐसे स्थान पर खड़ा किया जाता है, जहॉ खड़ा करना कानून द्वारा वर्जित मना है तो वहॉ अधिकारिता रखने वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा उस यान को अनुकर्षण (ढोकर ले जाने की) सेवा द्वारा हटाने या उसे किसी साधन से, अचल करने जिसमें सम्मिलित है, के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

(2) जहॉ कोई छोड़ा गया (परित्यजित) अननुसेवित, टूटा हुआ, जला हुआ या आंशिक रूप से टूटा हुआ यान, (सार्वजनिक स्थान) के सम्बन्ध में, उसकी हालत के कारण, यातायात संकट उत्पन्न कर रही है तो वहॉ ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जिसकी अधिकारीता है, यान को ढोकर ले जाने की सेवा द्वारा सार्वजनिक स्थान से हटाने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

(3) जहॉ कोई यान उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हटाये जाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, वहॉ यान का स्वामी ढोकर ले जाने के सब व्यय के लिए तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य शास्ति के लिए भी उतरदायी होगा।

धारा–136–दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण– जब कोई मोटरयान दुर्घनाग्रस्त हो जाता है तब राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उस दशा में अपना प्राधिकार पेश करके, जब उससे वैसी अपेक्षा की गई है, यान का निरीक्षण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा दिया जाएगा।

अपराध, शस्तियां और प्रक्रिया

धारा 177. अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध –: जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनयम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है; प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक सौ रूपय तक का हो सकेगा, और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो तीन सौ रूपय तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा–178 पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इन्कार करने के लिए धारित आदि– (1) जो कोई मंजिली गाड़ी में समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करेगा या मंजिली गाड़ी में रहेगा या उससे उतरने पर जांच के लिए पास या टिकट देने में असफल रहेगा, या देने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से जो रूपये 500 (पांच सौ रूपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में 'पास' या 'टिकट' के वही अर्थ है जो धारा 124 में है।

PTS JODHPUR

(2) यदि मंजिली गाड़ी का कंडक्टर या मंजिली गाड़ी का ड्राइवर, ऐसी मंजिली गाड़ी के ऐसे कण्डक्टर के कृत्य का पालन कर रहा है जिसका यह कर्तव्य है कि–

(क) यदि मंजिली गाड़ी में यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा भाड़ा दिये जाने पर उसे टिकिट दे, जानबुझकर या उपेक्षापूर्वक–

(1) भाड़ा दिये जाने पर उसे स्वीकार करने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा, या

(2) टिकट लेने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा, या

(3) अवैध टिकिट देगा, या

(4) कम मूल्य का टिकिट देगा, या

(ख) वह किसी पास या टिकिट की जांच करे, जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक ऐसा करने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा, तो वह जुर्माने से, जो रूपये 500(पांच सौ रूपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक/आपरेटर या ड्राइवर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के उल्लंघन में ठेका गाड़ी के चलाने या यात्रियों को ले जाने से इन्कार करेगा तो वह–

(क)दो पहिए या तीन पहिए वाले यानों की दशा में जुर्माने से, जो रूपये 50 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, और

(ख) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से, जो रूपये 200 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा– 179 आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इन्कार करना–(1)जो जानबूझकर ऐसे किसी निदेश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निदेश देने क लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्ही कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी की बाधा पहुचाएगा जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लिए ऐसे अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नही है, जुर्माने से, जो रूपये 500 (पांच सौ रूपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए भी ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसक सही होने का उसे विश्वास नहीं है वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक माह बक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 500 (पांच सौ रूपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 180. अप्राधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देना–मोटरवाहन का स्वामी, अन्य किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 व 4 के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करता है, वाहन चलवाएगा। वह कारावास (3 माह तक) या अर्थ दण्ड रूपये 1000/– तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 181. धारा 3 व 4 का उल्लंघन करते हुए वाहन को चलाना – जो कोई किसी मोटर यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे अन्य किसी व्यक्ति से जो धार3 या 4 के उपबंधो की पूर्ति नहीं करता, यान चलवाएगा या चलाने देगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 182 अनुज्ञप्ति सम्बन्धी अपराध–(1) जो कोई चालन– अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरजित होते हुए सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान में मोटर यान चलाएगा या चालन–अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठाकन रहित चालन–अनुज्ञप्ति दिये जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित चालन–अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन`रेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, बह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपय`500 तक का हो सकेगाा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा, और उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई चालन– आनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी।

(2) जो कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरर्हित होते हुए किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में सार्वजनिक स्थान मे कार्य करेगाा अथवा कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिये जाने का हकदार होते हुए अपने द्वारा पहने धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गये पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन तक की हो सकंगी, वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह अथवा दोनों तक

PTS JODHPUR

की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000(एक हजार रूपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा तथा उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी।

182–क.यानों के निर्माण और संधारण सम्बन्धी अपराधों के लिए दंड– कोई व्यक्ति जो धारा 109 की उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह प्रथम दोषसिद्वि के लिये एक हजार रूपये तक के अर्थदंड से दंडनीय होगा तथा पश्चात्वर्ती दोषसिद्वि के लिये पांच हजार रूपये तक के अर्थदंड से दंडनीय होगा।

धारा–183– अत्यधिक गति से चलाना–(1) जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति–सीमा का उल्लंघन करके मोटर यान को चलायेगा वह जुर्माने से, जो रूपये 400(चार सौ रूपये) तक का हो सकेगा, या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्व होने की दशा में जुर्माने से, जो रूपये 1000(एक हजार रूपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई ऐसे व्यक्ति से, जो माटर यान चलाने के लिए उसके द्वारा नियोजित या उसके नियंणाधीन है, धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे चलवाएगा, वह जुर्माने से, जो रूपये 300 (तीन सौ रूपये) तक का हो सकेगाा या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्व हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्व होने की दशा में जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई व्यक्ति केवल एक साक्षी के इस आशय के साक्ष्य पर ही कि उस साक्षी की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसी गति से यान को चला रहा था जो विधि विरूद्व है तब तक दोषरिद्ध न किया जाएगा जब तक उस राय की बाबत यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि वह किसी यांत्रिक व्यक्ति के उपयोग से अभिप्राप्त प्राक्कलन पर आधारित है।

(4) ऐसी समय सारणी का प्रकाशन जिसके अधीन ऐसे किसी निदेश का दिया जाना जिसके अनुसार कोई यात्रा या यात्रा का भाग विनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाता है उस दशा में, जिसमें न्यायालय की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों में यह साक्ष्य नहीं है कि वह यात्रा या यात्रा का भाग धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन किये बिना निनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाये, इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा कि जिस व्यक्ति ने वह समय सारणी प्रकाशित की है या वह निदेश दिया है उसने उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।

धारा–184 खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना– जो कोई मोटर यान को ऐसी गति से या ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अन्तर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है जहां वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिणाम को जो वास्तव में उस समय है जिसके होने की उचित रूप से प्रतीक्षा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है, वह प्रथम अपराध पर कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 1000 तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववति अपराध के लिए जाने के तीन वर्ष के अन्दर किया गया है, कारावास सके जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 2000 तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा– 185 किसी व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना– मोटर यान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय–

(क) जिस किसी के रक्कतक में श्वास विश्लेषक से जांच में 30 मि.ग्र. प्रति 100 मिली. से अधिक एल्कोहल हो,

(ख) जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस हद तक है कि वह मोटरयान पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ हो, वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो ही पूर्ववर्ती समान अपराध किये जाने के तीन वर्ष के भीतर किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित निनिर्दिष्ट किया गया मादक द्रव्य ऐसा समझा जाएगा जिससे व्यक्ति माटर यान पर उचित नियंत्रण रखने योग्य नहीं रहता।

धारा–186 मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप में अयोग्य होते हुए चलाना– जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटर यान चलाएगा जब उसे इस बात का ज्ञान है कि वह किसी ऐसे रोग या निः शक्ता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप यान का उसके द्वारा चलाया जाना साधारण जनता के लिए खतरें का

PTS JODHPUR

कारण हो सकता है, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो रूपये 200 तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो 200 तक का होगा तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगाा, दण्डनीय होगा।

धारा–187 दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड– जो कोई धारा 132 की उपधारा(1) के खण्ड (ग) या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हाहे चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये1000 तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा–188 कतिपय अपराधों दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड– जो कोई धारा 184, धारा 185 या धारा 186 के अधीन अपराध के लिए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा– 189 दौड़ और गति का मुकाबला– जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यानों की किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा–190 असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना–: (1) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐस मोटर यान या ट्रेलर को, उस समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान में ऐसी कोई खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था और खराबी ऐसी है कि उससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपय तक का हो सकेगा, अथवा उस दशा में जिसमें कि ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से,दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे सडक सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए एक हजार रूपए तक जुर्माने से, तथा किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दो हजार रूपए तक जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐस चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे ऐसे माल के वहन से संबंधित जो मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, तीन हजार रूपय तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगा, अथवा दोनो से, और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा–191 यान का ऐसी हालत में विक्रय में परिवर्तन जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन हो– जो कोई मोटर यानों का आयातकर्ता या व्यौहारी होते हुए मोटर यान या ट्रेलर का ऐसी हालत में विक्रय या परिदान करेगा अथवा विक्रय या परिदान की प्रस्तापना करेगा जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होगा अथवा मोटर यान या ट्रेलर को ऐसे परिवर्तित करेगा कि उसकी ऐसी हालत हो जाए जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाए किसी नियम का उल्लंघन होगा, वह जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध न किया जाएगा जिसमें यह साबित कर देता है कि उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण था कि वह यान सार्वजनिक स्थान में तब तक उपयोग में लाया जाएगा जब तक वह ऐसी हालत में नहीं कर दिया जाता जिसमें उसका ऐसा उपयोग विधिपूर्णतया किया जा सकता है।

धारा–192 रजिस्ट्रीकरण के बिना यानों का उपयोग–(1)जो कोई धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए एक मोटरयान को चलाता है या चलवाता हे या उसका उपयोग करने की अनुमति देता है, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, परन्तु दो हजार रूपये से कम नहीं होगा और दूसरे या

PTS JODHPUR

पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, परन्तु पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।
परन्तु न्यायालय, कारण लेखबद्ध करते हुए, कम दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।
(2) इस धारा की कोई बात आपात के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए जो रोग या क्षति से ग्रस्त है या मरम्मत के लिए सामग्री के या कष्ट निवारण के लिए खाध या सामग्रियों के या वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय आपूर्तियों (सामग्री) के परिवहन के लिए मोटरयान के उपयोग के सम्बन्ध में लागू नहीं होगीः
परन्तु यह तब जब कि वह व्यक्ति, जो यान का उपयोग कर रहा है, उसके ऐसे उपयोग की रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग किए जाने के सात दिन के अन्दर दे दे।
(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराध के बारे में दोषसिद्धि की अपील जिस न्यायालय में होती है, वह निचले न्यायालय द्वारा किये गये किसी आदेश को अपास्त या परिवर्तित कर सकेगा, चाहे उस दोषसिद्धि के विरूद्ध आदेश में की गई है, कोई अपील नहीं होती है।
192.–क, बिना परमिट के यानों का उपयोग–(1) जो कोई धारा 66 की उपधारा(1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए एक मोटरयान को चलाता है या चलवाता है या उसका उपयोग करने की अनुमति देता है या परमिट को किसी मार्ग पर या क्षेत्र में या जिस उद्देश्य से उस यान का उपयोग किया जा सकता है, उससे सम्बन्धित शर्तोका उल्लंघन करता है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, परन्तु दो हजार से कम नहीं होगा और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, परन्तु तीन मास से कम का नहीं होगा या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, परन्तु पांच हजार रूपये से कम नहीं या दोनों से, दण्डनीय होगा।
(2) इस धारा की कोई बात आपात के दौरान ऐसे व्यक्यिों को ले जाने के लिए जो रोग से या क्षति से ग्रस्त है या मरम्मत के लिए सामग्री के या कष्ट निवारण के लिए खाध या सामग्रियों के या वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय आपूर्तियों (सामग्री) के परिवहन के लिए मोटरयान के उपयोग के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी;
परन्तु यह तब जबकि वह व्यक्ति, जो यान का उपयोग कर रहा है, उसके ऐसे उपयोग की रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग किए जाने से सात दिन के अन्दर दे दे।
(3) उपधारा (1) विर्निदिष्ट प्रकार के अपराध के बारे में दोष सिद्ध की अपिल जिस न्यायालय में होती **है, वह निचले न्यायालय द्वारा किये गये किसी आदेश को अपास्त या परिवर्तित कर सकेगा चाहे उस** दोषसिद्धि के विरूद्ध जो ऐसे आदेश में की गई है, कोई अपील नही होती है।
धारा – 193 समुचित प्राधिकारी के बिना अभिकर्ताओं और प्रचारकों के रूप में कार्य करने वालों को दण्ड – जो कोई धारा 93 के अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा। वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो रूपये 1000/– तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो रूपये 2000/– तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डित हो सकेगा।
धारा – 194 अनुज्ञेय वजन से अधिक वजन वाले यान का चलाना –(1) जो कोई धारा 133 या धारा 114 या धारा 115 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए मोटरयान चलाता या चलवाता हैं या चलनाने की अनुमति देता है, वह प्रथम अपराध के लिए दो हजार रूपये के कम से कम जुर्माने से और अतिरिक्त भारा के लिए प्रति टन एक हजार रूपये मय अतिरिक्त भार को उतारने को उतारने के खर्चे के दायित्व सहित, दण्डनीय होगा।
(2) यान का कोई चालक जो रूकने से और धारा 114 के अधीन इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के निदेश दिये जाने के पश्चात् यान का वजन कराने से इन्कार करता है अथवा वजन कराने से पूर्व माल को हटाता है या हटवाता है, जुर्माने से, जो तीन हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
धारा–195 कुछ परिस्थितियों में न्यूनतम जुर्माने का अधिरोपण –(1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर वैसा ही अपराध पूर्ववती अपराध के लिए जाने के तीन वर्ष के भीतर दूसरी बार या उसके पश्चात्वर्ती बार करेगा तो कोई न्यायालय ऐसे अपराध के लिए अधिरोपणीय जुर्माने की अधिकतम रकम के एक चौथई से कम जुर्माना केवल उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबकद्ध किये जायेंगे, अधिरोपित करेगा, अन्यथा नहीं।

PTS JODHPUR

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह न्यायालय की ऐसी कारावास अधिनिर्णीत करने की शक्ति को निर्बन्धित करती है जो वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझकता है और जो उस अपराध की बाबत इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

धारा–196 बीमा न किये गये यान को चलाना– जो कोई धारा 146 के उपबंधो का उल्लंघन करके मोटर यान चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा, वह कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो रूपये 1000/– तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा–197 प्राधिकार के बिना यान ले जाना–(1)जो कोई किसी मोटर यान का या तो उसके स्वामी की सहमति के बिना या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ले जायेगा और चलाएगा वह कारावास से, जो तीन माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो रूपये 500/– तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध न किया जाएगा जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि उसे विधिपूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि यदि उसने स्वामी की सहमति मांगी होती तो मामले की परिस्थितियों में स्वामी ने अपनी सहमति दे दी होती।

(2) जो कोई विधिविरूद्ध रूप से, बलपूर्वक या बल की धमकी द्वारा या अन्य प्रकार से अभित्रास के द्वारा, किसी मोटर यान को छीन लेता है या उस पर नियंत्रण करता है, वह कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई किसी मोटर यान के सम्बन्ध में उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने का प्रयास करेगा या किसी ऐसे कार्य कारने का दुष्प्रेरण करकेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उपराध किया है।

धारा–198 यान से अनधिकृत हस्तक्षेप– जो कोई विधिपूर्व प्राधिकार या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना किसी खड़े हुए मोटर यान में प्रवेश करेगा या चढेगा या मोटर यान के ब्रेक या यन्त्र जाल के किसी भाग को बिगाड़ेगा वह जुर्माने से, जो 100/– रू तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा–199 कम्पनीयों द्वारा अपराध–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी भी उस उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होगे।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उस अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिए उसने सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से यिा गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए– (क) ''कम्पनी'' से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

धारा–200 कतिपय अपराधों का शमन–(1) धारा 177, धारा 178, धारा 179 धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 183, की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184, धारा 185, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196, या धारा 198 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का चाहे वह उस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारिंयों द्वारा और ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित विनिर्दिष्ट करे, शमन या अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, या पश्चात् किया जा सकेगा।

PTS JODHPUR

(2) जहां किसी अपराध का शमन उपधारा का शमन उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां अपराधी को यदि वह अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके विरूद्ध आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा 201. यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति'–: (1) जो कोई किसी निर्योग्य यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से रखेगा जिससे कि यातायात का मुक्त प्रवाह अवरूद्ध होता है, तो वह जब तक यान उस स्थिति में रहता है, प्रति घंटा पचास रूपये तक की शास्ति के लिए दायी होगाः

परन्तु दुर्घटनाग्रस्त यान केवल उस समय से शास्ति का दायी होगा जिस समय विधि के अधीन निरीक्षण की औपचारिकताएं पूरी हो जाती है ।

परन्तु और जहां यान को सरकारी एजेंसी द्वारा हटाया जाता है, वहां यान मालिक या ऐसे यान के प्रभारी व्यक्ति से खिंचाई प्रभारों को वसूल किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन शास्तियों या खिचांई प्रभारों को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा,जिन्हे राज्य सरकार राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करें।

धारा 206. पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति–:(1) यदि किसी पुलिस अधिकारी अथवा राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान पर ले जाया जाने वाला कोई भी पहचान चिन्ह अथवा कोई अनुज्ञप्ति, परमिट, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज, जिसे मोटर यान के ड्राइवर या अन्य भारसाधक दण्ड संहिता(1860 का 45) की धनान 464 के अर्थ में मिथ्या दस्तावेज है, तो वह उस चिन्ह या दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा तथा यान के ड्राइवर या स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे चिन्ह या दस्तावेज के अपने कब्जे में होने अथवा यान में विद्यमान होने का कारण बताए।

(2) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का ड्राइवर जिस पर अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, फरार हो सकता है या समन की तामील से अन्यथा बच सकता है तो वह ऐसे ड्राइवर द्वारा धास्ति किसी अनुज्ञप्ति को अभिगृहीत कर सकेगा और उस अपराध का संज्ञान करने वाले न्यायालय के पास उसे भेज सकेगा तथा उक्त न्यायालय अपने समक्ष ऐसे ड्राइवर के प्रथम बार उपस्थित होने पर उस अनुज्ञप्ति को ऐसी अस्थायी अभिस्वीकृती के बदले मे ं, जो उप–धारा 3 के अधीन दी गई है, उसे लौटा देगा।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसने उप–धारा 2 के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को अभिगृहीत किया है, उस व्यक्ति को, जिसने अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित की है, उसके लिए अस्थायी अभिस्वीकृति देगा तथा ऐसी अभिस्वीकृती धारक को जब तक वह अनुज्ञप्ति उसे लौटा नहीं दी जाती अथवा ऐसी तारीख तक जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभिस्वीकृति में निर्दिष्ट की गई है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, यान चलाने के लिए प्राधिकृत करेगी;

परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति का, उससे आवेदन किए जाने पर यह समाधान हो जात है ि कवह अनुज्ञप्ति उसके धारक को अभिस्वीकृति में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व ऐसे किसी कारण से, जिसके लिए वह धारक उत्तरदायी नहीं हैं, नहीं लौटाई जा सकती अथवा नहीं लौटाई गई है तो, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति मोटर चलाने के प्राधिकार की अवधि को उस तारीख तक के लिए बढा सकेगा जो अभिस्वीकृति में विनिर्दिष्ट की जाए।

धारा 207. रजिस्ट्रीकरण प्रामण पत्र, परमिट, आदि के बिना उपयोग किए गए यानों को निरूद्ध करने की शक्ति–: (1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धनान 3 या धारा 4 या धारा 39 के उपबन्धों का उल्लंघन करके या धारा 66 की उप–धनान 1 द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना अथवा उस मार्ग सम्बन्धी, जिस पर या उस क्षेत्र सम्बंधी जिसमें अथवा उस प्रयोजन सम्बन्धी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकता है, ऐसे परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन करके किया गया है या किया जा रहा है तो वह उस यान को अभिगृहीत और विहित रीति से निरूद्ध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कोई कदम उठा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कोई कदम उठवा सकेगा जो उस यान की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए वह उचित समझे;

परन्तु जहॉ ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को वह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धनान 3 या धनान 4 का उल्लंघन करके, या धनान 66 की उप–धनान 1 द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना किया गया है या

PTS JODHPUR

किया जा रहा है वहां वह यान को अभिगृहीत करने के बजाय यान के रजिस्ट्ररकरण का प्रमाणपत्र अभिगृहीत कर सकेगा तथा उसके लिए अभिस्वीकृति देगा।
(2) जहां कोई मोटर यान उप–धनान 1 के अधीन अभिगृहीत और निरूद्ध किया गया है वहां उस मोटर यान का स्वामी या उसका भारसाधक व्यक्ति, परिवहन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, ऐसे यान के निर्मुक्त कर देने के लिए सुसंगत दस्तावेजो के साथ आवेदन कर सकेगा, और ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे दस्तावेजो का सत्यापन करने के पश्चात् आदेश द्वारा यान को ऐसी शर्तो के अधीन निर्मुक्त कर सकेगा जो वह प्राधिकारी या अधिकारी अधिरोपित करना ठीक समझे।

31 जुलाई, 2019 को 'मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्यसभा में पारित हुआ।
यह विधेयक सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है।
विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा 'गोल्डन आवर' के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित करने का प्रस्ताव है।
'गोल्डन आवर' घातक चोट के बाद की एक घंटे की समयावधि होती है जब तुरंत मेडिकल देखभाल से पीड़ित को मौत से बचाया जा सकता है।
केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने के लिए एक योजना भी बना सकती है।
विधेयक 'हिट एंड रन' मामलों में न्यूनतम मुआवजे को इस प्रकार बढ़ाता है रू
(i) मृत्यु की स्थिति में 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये, और
(ii) गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये।
विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए मोटर यान दुर्घटना कोष बनाने की अपेक्षा की गई है।
यह कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।
इसे निम्नलिखित स्थितियों के लिए उपयोग किया जायेगा रू–
(i) गोल्डन आवर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का उपचार,
(ii) हिट एंड रन मामलों में मौत का शिकार होने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को मुआवजा देना।
विधेयक के अुनसार, 'गुड समैरिटन' (नेक व्यक्ति) वह व्यक्ति है, जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपात कालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है।
यह विधेयक केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रीकॉल (वापस लेने) करने का आदेश देने की अनुमति देता है। जिसमें कोई ऐसी खराबी है जो कि पर्यावरण या ड्राइवर या सड़क का प्रयोग करने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है।
ऐसी स्थिति में विनिर्माता को–
(i) खरीददार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी, या
(ii) खराब वाहन को दूसरे वाहन से जो कि समान या बेहतर विशेषताओं वाला हो, बदलना होगा।
विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सलाह से राष्ट्रीय परिवहन नीति बना सकती है।
विधेयक में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए बनाया जाएगा।यह बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा।
विधेयक में फर्जी वाहन लाइसेंस से बचने के लिए ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के साथ आवश्यक ऑनलाइन पहचान चालक परीक्षण का प्रावधान किया गया है।बीमा राहत राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया।विधेयक में दावा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
विधेयक में मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया है, जो इस प्रकार हैं–
(i) शराब या ड्रग्स के नशे में वाहन चलाने के लिए अधिकतम दंड 2 हजार रुपये से बढ़कर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
(ii) यदि मोटर वाहन विनिर्माता मोटर वाहनों के निर्माण या रखरखाव के मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों दिए जा सकते हैं।

PTS JODHPUR

(iii)अगर कॉन्ट्रैक्टर सड़क के डिजाइन के मानदंडों का अनुपालन नहीं करता तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
(iv) तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।
(v)ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन पर बातकरने पर जुर्माना 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये किया।
(vi)मोटरयान बिना लाइसेंस के चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गयाहै।
(vii)सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गयाहै।
(viii)गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।
(ix) खतरनाक ड्राइविंग हेतु जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया।

अपराध	**पुराना चालान/ जुर्माना**	**नया चालान/ जुर्माना**
सामान्य	□100	□500
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम	□100	□500
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना	□500	□2,000
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग	□1,000	□5,000
बिना लाइसेंस के वाहन चलाना	□500	□5,000
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग	□500	□10,000
वाहनों का आवागमन	N/A	□5,000
अधिक तेजी	□400	□1,000
खतरनाक ड्राइविंग	□1,000	□5,000तक
शराब पी कर गाड़ी चलाना	□2,000	□10,000
तेजी / रेसिंग	□500	□5,000
बिना परमिट के वाहन	□5,000तक	□10,000तक
एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)	N/A	□25,000से □1 Lakh
ओवरलोडिंग	□ 2,000 & 1,000प्रति अतिरिक्त टन	□20,000 & 2,000प्रति अतिरिक्त टन
यात्रियों की ओवरलोडिंग	N/A	□1,000प्रति अतिरिक्त यात्री
सीट बेल्ट	□100	□1,000
दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग	□100	□2,000और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
हेलमेट	□100	□1,000और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराना	N/A	□10,000
बीमा के बिना ड्राइविंग	□1,000	□2,000
किशोरों द्वारा अपराध	N/A	अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा। 3 साल की कैद के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना। किशोर पर JJ Act के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया

		जाएगा।
दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारियों का पावर	N/A	ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
यातायात अधिकारियों को लागू करने से होने वाले अपराध	N/A	संबंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना

धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम

(राजस्थान धूम्रपान निषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम, 1999)

2000 का अधिनियम संख्या 14

[11 मई, 2000 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई,

राजस्थान राज्य के राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य या उपयोग के स्थानों में और सार्वजनिक सेवा वाहनों में धूम्रपान के निषेध के लिए और उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एकअधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यानवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।** – (१) इस अधिनियम को राजस्थान धूम्रपान निषेध और धूम्रपान न करने वाले स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 1999 कहा जा सकता है।

(२) इसका विस्तार पूरे राजस्थान राज्य में है।

(३) यह उस तारीख को लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,

बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग–अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ के लिए ऐसे किसी प्रावधान में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

2. **परिभाषाएँ।** –इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(ए) "विज्ञापन" का अर्थ है और इसमें कोई नोटिस, सर्कुलर, वॉल पेपर, होर्डिंग्स पर पैम्फलेट डिस्प्ले, या किसी भी प्रकाश, ध्वनि, धुएं, गैस या किसी अन्य माध्यम से किए गए किसी भी दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल हैं जो धूम्रपान को बढ़ावा देने का प्रभाव रखते हैं और अभिव्यक्ति विज्ञापन का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,

(बी) "अधिकृत अधिकारी" का अर्थ धारा 4 के तहत अधिकृत व्यक्ति हैरू

(सी) 'सार्वजनिक कार्य या उपयोग की जगह' का अर्थ धारा 3 के तहत घोषित स्थान है और इसमें ऑडिटोरिया, अस्पताल भवन, स्वास्थ्य संस्थान, मनोरंजन केंद्र, रेस्तरां, सार्वजनिक कार्यालय, अदालत भवन, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय और इसी तरह के अन्य शामिल हैं। आम जनता द्वारा दौरा किया जाता है लेकिन इसमें कोई खुली जगह शामिल नहीं है,

(डी) 'सार्वजनिक सेवा वाहन' का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 2 के खंड (35) के तहत परिभाषित वाहन है,

(ई) 'नियम' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाया गया नियम, और

(च) 'धूम्रपान' का अर्थ है किसी भी रूप में तंबाकू का धूम्रपान, चाहे सिगरेट, सिगार, बीड़ी के रूप में या अन्यथा पाइप, रैपर या किसी अन्य उपकरण की सहायता से।

3. **सार्वजनिक कार्य या उपयोग के धूम्रपान रहित स्थान की घोषणा।** – इस अधिनियम के लागू होने के बाद यथाशीघ्र और उसके बाद समय–समय पर, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजस्थान राज्य में किसी स्थान या सार्वजनिक कार्य या उपयोग को धूम्रपान निषेध स्थान घोषित कर सकती है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए।

PTS JODHPUR

4. **इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करने की राज्य सरकार की शक्ति।** – (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक व्यक्तियों को अधिकृत कर सकती है जो इस अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए सक्षम होंगे।

(२) उप–धारा (१) के तहत अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 21 के अर्थ में एक लोक सेवक माना जाएगा।

5. **सार्वजनिक कार्य या उपयोग के स्थानों में धूम्रपान का निषेध।** – कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक कार्य या उपयोग के किसी भी स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा।

6. **सार्वजनिक सेवा वाहन में धूम्रपान का निषेध।** – मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 59) के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सेवा वाहन में धूम्रपान नहीं करेगा।

7. **सिगरेट आदि के विज्ञापन का प्रतिषेध** – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान और किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन में विज्ञापन नहीं करेगा जो धूम्रपान, या सिगरेट और बीड़ी आदि की बिक्री को बढ़ावा दे सकता है।

8. **अवयस्कों को सिगरेट, बीड़ी आदि की बिक्री पर प्रतिबंध।** – कोई भी व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट, बीड़ी या कोई अन्य धूम्रपान करने वाला पदार्थ नहीं बेचेगा।

9. **शिक्षण संस्थानों के आसपास सिगरेट आदि का प्रतिषेध या भंडारण, बिक्री और वितरण।** – कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान के आसपास एक सौ मीटर के क्षेत्र के भीतर सिगरेट या बीड़ी या किसी अन्य धूम्रपान पदार्थ का भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा।

10. **बोर्ड का प्रदर्शन और प्रदर्शनी।** – सार्वजनिक कार्य या उपयोग के प्रत्येक स्थान के मालिक या प्रबंधक या प्रभारी एक विशिष्ट स्थान या स्थानों पर और आम जनता द्वारा देखे गए या उपयोग किए जाने वाले परिसर के बाहर एक बोर्ड प्रदर्शित और प्रदर्शित करेंगे, जिसमें प्रमुखता से कहा गया है कि यह स्थान धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। और वह धूम्रपान एक अपराध है।

11. **दंड** – कोई भी व्यक्ति, जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता हैरू–

(i) धारा 5,6 या 10 जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है और दूसरे या बाद के अपराध के मामले में, न्यूनतम दो सौ रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता हैरू

(ii) धारा 7,8 या 9 के लिए जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और दूसरे या बाद के अपराध के मामले में, कारावास से जो तीन महीने तक बढ़ सकता है या न्यूनतम पांच सौ रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा। लेकिन जो एक हजार रुपये तक या दोनों के साथ हो सकता है।

12. इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को सार्वजनिक कार्य या उपयोग के स्थान से बेदखल करना। – कोई भी अधिकृत अधिकारी या कोई भी पुलिस अधिकारी जो सब–इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्य या उपयोग के स्थान से बेदखल कर सकता है।

13. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने और अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय। – (१) न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान और विचारण नहीं करेगी।

(२) धारा 5,6 और 10 के तहत अपराधों के संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत और पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट के अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी। धारा 7, 8 और 9 के तहत अपराधों के संबंध में सब–इंस्पेक्टर का पद।

14. कुछ अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2) में किसी भी बात के होते हुए भी, अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे।

15. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संक्षेप में विचारण किया जाना। – इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों का संक्षेप में विचारण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2) के तहत सारांश परीक्षण के लिए प्रदान किए गए तरीके से किया जाएगा।

16. प्रत्यायोजित करने की शक्ति। – राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति। ऐसे अधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा

PTS JODHPUR

सकता है जैसा कि उसमें उल्लेख किया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है।

17. अपराधों की संरचना। – राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, कार्यवाही शुरू करने से पहले या बाद में, इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत दंडनीय किए गए किसी भी अपराध को कम कर सकता है।

18. नियम बनाने की शक्ति। – (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम, उनके बनने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हो, चौदह दिनों से कम की अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा, जिसमें शामिल हो सकते हैं एक सत्र में या दो लगातार सत्रों में और यदि, उस सत्र की समाप्ति से पहले जिसमें उन्हें रखा गया है या तुरंत बाद के सत्र में, राज्य विधानमंडल का सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई संशोधन करता है, या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, ऐसा नियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन पूर्व में किए गए किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995

धारा 1– संक्षिप्त नाम – राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रर्वजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995

धारा 3– गोवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध – कोई व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का वध नहीं करेगा नही करवायेगा उसे वध के लिए प्रतिस्थापित नहीं करेगा नही करवायेगा।

धारा 5– वध के प्रयोजन के लिए गोवंशीय पशु के निर्यात का प्रतिषेध ।

धारा 8– दण्ड – धारा 3 के लिए 1 से 10 वर्ष, धारा 4 व 5 के लिए – छः माह से पांच वर्ष

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
(धारा – 1 से 4 तथा 36)

धारा – 1 संक्षिप्त नाम – वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

धारा – 2 परिभाषा –

1. **पशु**– स्तन पाई, पक्षी, सरीसर्प, एम्फीबीयन, मतस्य व अन्य अक्सेक तथा उनके बच्चे एवं अण्डे शामिल है।

2 **पशुधन**– भैंस, साण्ड, बेल, उंट, गाय, गधे, बकरियां, भेड़, घोड़े, खच्चर, याक, सुअर, बतख, हंसीनी, मुर्गियां व उनके बच्चे शामिल है।

धारा –3 निदेशक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति – केन्द्र सरकार

धारा –4 मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक एवं अन्य अधिकारी गण की नियुक्ति – राज्य सरकार।

धारा – 36 शिकार आरक्षण घोषित करना – अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार किसी क्षेत्र को शिकार आरक्षण घोषित कर सकती है वंहां पर किसी वन्य पशु के शिकार की अनुमति नही होगी।

PTS JODHPUR

पशु क्रुरता (निवारण) अधिनियम, 1960

(धारा – 2, 11, 13, 20 एवं 26)

धारा 2. परिभाषाएं– इस प्रसंग में अन्य प्रकार की आवश्यकता न पड़ने तक इस अधिनियम में,–

(1) ''मार्ग''के अर्थ में कोई भी राह,सड़क,गली,चौकार स्थान,चौक,तंग रास्ता,पथ अथवा खुला मैदान जो

(a) ''पशु'' का अर्थ मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी अन्य जीवित प्राणी;

(b) ''परिषद्'' का अर्थ है, धारा 4 के अन्तर्गत स्थान स्थापित पशु कल्याण परिषद;

(c) ''बन्दी पशु'' का अर्थ है, पालतू पशु के अतिरिक्त अन्य पशु, जिसे सथायी अथवा अस्थायी रूप में, बन्दी अवस्था या नजरबन्दी में रखा गया हो अथवा जिसे बन्दी अवस्था या नजरबन्दी से निकल भागने से रोकने एवं बाधा डालने के प्रयोजनार्थ किसी कपट योजना का शिकार बनाया गया हो अथवा जिसको पंख या हाथ–पांव बांध दिये गये हो या जिसे अंग–हीन कर दिया गया हो;

(d) ''पालतू पशु'' का अर्थ है, वह कोई भी पशु जो जंगली नहीं है अथवा जिसे मनुष्य के लाभ हेतु किसी कार्य को करने को पर्याप्त रूप से पालतू बना दिया गया अथवा बनाया जा रहा हो या उसे इस प्रकार पालतू बनाने हेतु रखा गया अथवा रखा जा रहा हो या वह पूर्णतया अथवा आंशिका रूप से इस प्रकार से पालतू बना दिया गया हो;

(e) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का अर्थ है, नगर सभा, जिला परिषद् अथवा अन्य प्राधिकारी, जिसे अस्थायी रूप में, निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के मामलों के नियंत्रण एवं प्रशासन हेतु,कानून द्वारा,नियुक्त किया गया हो;

(f) ''स्वामी'' किसी पशु के संबंध में प्रयोग किये जाने पर केवल उसका स्वामी ही नही वरन् कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित सवामी की इच्छा एवं अनिच्छा से हो;

(g) ''फूंका'' अथवा ''डूम देव'' के अर्थ दूध देते पशु के स्त्री– अंग में वायु अथवा अन्य किसी पदार्थ को पहुॅचा कर, पशु के शरीर से दूध बाहर खींच निकालने की प्रक्रिया सम्मिलित है;

(h) ''निर्धारित'' का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित है;

चाहे आम रास्ता न हो परन्तु सार्वजनिक पहुॅच हो, सम्मिलित है।

धारा–11 पशुओं के प्रति निर्दयता का व्यवहार–(1) यदि कोई व्यक्ति–

(j) पीटता है, अथवा अन्य इस प्रकार का किसी पशु के साथ व्यवहार करता है जिसके कारण वह अनावश्यक पीड़ा एवं कष्ट की वस्तु बन जाता है, या मालिक होने के कारण किसी पशु के साथ इस प्रकार का व्यवहार किये जाने का निमित बनता है, अथवा–

(k) किसी पशु से ऐसा कार्य या परिश्रम कराता है जिसे वह रोग, दुर्बलता, घाव,सूजन या अन्य कारण करने के अयोग्य है, अथवा मालिक होने के कारण किसी पशु से इस प्रकार कार्य लेने हेतु अनुमति प्रदान करता है; अथवा–

(l) स्वेच्छा से तथा अनुचित रूप से किसी पालतू अथवा बन्दी पशु के शरीर में हानिकारक औषधियां या पदार्थ प्रवेश करता है अथवा किसी पालतू या बन्दी पशु के ऐसी कोई औषधि अथवा पदार्थ प्रवेश कराये जाने का कारण बनता है या कारण बनने का प्रयत्न करता है; अथवा–

(m) किसी पशु को किसी गाड़ी अथवा अन्य वस्तु के भीतर या उपर इस रीति से ऐसी स्थिति में ले जाता है। अथवा हस्तांतरित करता है जिससे वह अनावश्यक पीड़ा एवं कष्ट का विषय बनता हो। अथवा–

(n) किसी पशु को ऐसे पिंजड़े अथवा अन्य रहने के स्थान में रखता है या बंदी बनता है , जिसकी लंबाई, चौड़ाई व उॅचाई उस पशु की हरकत के लिए अपर्याप्त हो व उसे उचित अवसर प्रदान न करता हो अथवा–

(f) किसी पशु को उचित रूप से दीर्घ समय तक जंजीर अथवा अनुचित तंग रस्सी या अनुचित भारी सख्त रस्सी से बांध रखता है, अथवा–

(g) स्वामी होने के नाते वह उपेक्षा करता है अथवा उपेक्षा का युक्तिपूर्वक निमित बनता है व किसी व किसी आभ्यासित रूप से किसी कुत्ते को जंजीर से बांधे रखता है या संकुचित नजरबंदी में रखता है या

(h) किसी बंदी पशु का स्वामी होने के नाते उसे प्रर्याप्त भोजन या पानी अथवा आश्रय प्रदान करने में असफल रहता है अथवा–

PTS JODHPUR

(i) किसी उचित कारण बगैर किसी पशु को ऐसी परिस्थितयों में त्याग कर जिसमें उसे निराहार रहकर अथवा पानी के अभाव में रहकर पीड़ा उठानी पड़ी ,अथवा

(j) इच्छापूर्वक ऐसे पशु को जिसका वह स्वामी हो किसी सड़क पर खुला चला जाने देता है, जबकि पशु छुत के अथवा संक्रामक रोग से पीड़ीत हो या किसी उचित कारण बगैर किसी रोगी अथवा अपंग पशु को जिसका वह स्वामी हो किसी सड़क पर मर जाने देता है ,अथवा–

(k) किसी ऐसे पशु को बैचने का प्रस्ताव करता है या उचित कारण बगैर अपने कब्जे मे रखता है जो अंग भंग किये जाने के निराहार रखे जाने प्यासा रखे जाने अधिक संख्याओं में रखे जाने अथवा अन्य दुर्व्यवहार अथवा–

(l) अनावश्क निर्दय रीति से आवश्यक न होने पर भी किसी पशु को अंग–भंग अथवा वध करता है, अथवा–

(m) किसी पशु को इस प्रकार से नजरबन्द करता है अथवा उसका निमित बनता है ताकि वह किसी अन्य पशु के शिकार की वस्तु बन सके, अथवा–

(n) अपने व्यवसाय के प्रयोजनार्थ, पशु की लड़ाई अथवा किसी पशु को ललचाने के अभिप्राय से किसी स्थान को संगठित करता है, रखता है, प्रयोग करता है अथवा व्यवस्था करने का कार्य करता है तथा इस प्रकार के प्रयोग हेतु किसी स्थान के लिये आज्ञा प्रदान करता है या प्रस्ताव करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजन के लिये रखे गये या प्रयोग में लिये गये किसी स्थान में, किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश हेतु धन प्राप्त करता है, अथवा

(o) किसी निशाने बाजी की प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि करता है या भाग लेता है, जहॉ पशुओं को इस प्रकार की निशानेबाजी के प्रयोजन हेतु मुक्त किया जाता है;

प्रथम अपराध पर आर्थिक दण्ड जो पचास रूपया तक बढाया जा सकता है अथवा दूसरे अथवा बाद के प्रकरणों में जो पूर्व के अपराध से तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत किये गये हों, आर्थिक दण्ड जो सौ रूपया तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसी अवधि का कारावास जिसे तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों हेतु दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों हेतु एक स्थायी अपराधी माना जावेगा, यदि वह उचित संभाल व देखभाल करने में असफल रहता, ऐसे अपराध के निवारण के दृष्टिकोण से;

बशर्ते कि जहॉ एक स्वामी इस प्रकार की उचित संभाल तथा देखभाल करने में असफल रहने पर निर्दयता होने देता है व फलस्वरूप अपराधी बन जाता है तो वह आर्थिक दण्ड के विकल्प बिना करावास हेतु बाध्य नहीं होगा।

(3) इस धारा में यहॉ कुछ भी लागू नहीं होगा–

(a)मवेशियों के सींग काटना,बधिया करना,निशान बनाना अथवा निर्धारित रीति से किसी पशु की नाक छेदना;या

(b)न्यूनतम पीड़ा द्वारा आवास कुतों को प्राण घातक कक्षों में अथवा अन्य रीतियों द्वारा नष्ट करना,

(c)अस्थाई रूप से लागू किसी कानून के अधिकार अंतर्गत किसी पशु को निर्मूलन अथवा नष्ट करना;–

(d) अध्याय 4 में विभाजित कोई भी विषय; अथवा–

(e) मनुष्य जाति के भोजन हेतु किसी पशु नष्ट करने की क्रिया की तैयारी उसके सम्पादन अथवा उसमें रह गई भूल–चूक का कोई कार्य बशर्ते इस प्रकार नष्ट करने अथवा उसकी तैयारी में अनावश्यक पीड़ा एवं कष्ट भुगताया जाना सम्मिलित न हो।

धारा 13– फूंका एवं डूम देव के प्रयोग हेतु दण्ड– यदि कोई व्यक्ति किसी गाय अथवा अन्य दूध देते पशु पर फूंका अथवा डूम देव पुकारी जाने वाली क्रिया करता है अथवा अपने अधिकार या अपने नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे किसी पशु पर इस प्रकार की क्रिया किये जाने की अनुमति प्रदान करता है तो वह आर्थिक दण्ड, जिसकी राशि एक हजार रूपया तक बढाई जा सकती है अथवा कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढाई जा सकती है या दोनों के हेतु दण्डनीय होगा तथा वह पशु जिस पर यह क्रिया की गई है जब्त कर दिया जावेगा।

धारा 20– दण्ड– यदि कोई व्यक्ति–(a) समिति द्वारा धारा19 के अन्तर्गत निर्मित किसी आदेश का उल्लंघन करता है, अथवा

(b) इस धारा के अन्तर्गत समिति द्वारा लागू की गई किसी शर्त को भंग करने पर; वह आर्थिक दण्ड हेतु, जिसे दो सौ रूपया तक बढ़ाया जा सकता है, दण्डनीय होगा तथा जब शर्त का उल्लंघन अथवा भंग किया जाना किसी संस्था में हुआ हो तो संस्था का प्रभारी अपराध का दोषी माना जावेगा तथा तद्नुसार दण्डनीय होगा।

धारा 21– ''प्रदर्शित पदार्थ'' तथा '' सिखाने'' का स्पष्टीकरण– इस अध्याय में ''प्रदर्शित पदार्थ'' का अर्थ है प्रदर्शित वस्तु जो मनोरंजन हेतु जहॉ सामान्यजन को टिकिट की बिक्री कर प्रवेश करने की अनुमति दी गई हो

PTS JODHPUR

तथा सिखाने एवं प्रशिक्षित करने का अर्थ इस प्रकार की किसी प्रदर्शनी के प्रयोजन हेतु प्रशिक्षित करना तथा अभिव्यक्तियों, ''प्रदर्शितकर्ता'' व ''प्रशिक्षक'' के अर्थ क्रमानुसार समवर्ती है।

धारा 22– वध हेतु पशुओं की प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण पर प्रतिरोध– कोई भी व्यक्ति प्रदर्शित नहीं करेगा–(a) किसी भी वध किये जाने वाले पशु को जब तक कि वह इस अध्याय के आदेशों के अनुसार पंजीकृत न हो;

(b) वध किये जाने वाले पशु के रूप में किसी भी पशु को, जिसे केंद्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में, विज्ञप्ति द्वारा, वध किये जाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शित एवं प्रशिक्षित न करने हेतु निद्रिष्ट कर देवें।

धारा 23– पंजीकरण हेतु प्रक्रिया – वध किये जाने वाले पशु को प्रदर्शित या प्रशिक्षित करने के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा शुल्क भुगतान कर पंजीकृत करवाना होगा।

धारा 24–वध किये जाने वाले पशुओं की प्रदर्शनी तथा प्रशिक्षण को निषेध अथवा सिमित करने के न्यायालय के अधिकार।

धारा 25– परिधियों के प्रवेश के अधिकार– धारा 23 के संबंध में व्यक्त, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से अधिकृत कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी आरक्षी अधिकारी को उप–निरीक्षक के पद से निम्न न हो–

(a) सभी उचित समय पर प्रवेश कर सकता है तथा ऐसी कोई भी परिधियों का निरीक्षण कर सकता है जिसमें वध किये जाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित एवं प्रदर्शित किया जाता हो, अथवा प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन हेतु रखा जाता हो तथा वहॉ ऐसे कोई पशुओं को पाने पर, तथा

(b) ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने पर जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह वध किये जाने वाले पशुओं का प्रशिक्षक एवं प्रदर्शक है उसके पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु।

(2) उपधारा (1) के संदर्भ में दिया गया कोई व्यक्ति अथवा आरक्षी अधिकारी को वध किये जाने वाले पशुओं के सार्वजनिक प्रदर्शन के अन्तर्गत मंच पर अथवा उसके पीछे आने का अधिकार नहीं होगा।

धारा 26– अपराध– यदि कोई व्यक्ति – 1. अपंजीकृत वध किये जाने वाले पशु को प्रदर्शित एवं प्रशिक्षित एवं करता है। 2. पंजीकृत होते हुए किसी ऐसे पशु को ऐसे प्रदर्शित करता है जिसमे सम्बन्ध में वह पंजीकृत नही हो। 3. ऐसे पशु को वध के लिए प्रदर्शित या प्रशिक्षित करता है जो पशु धारा 22 के अर्न्तगत इस प्रयोजन हेतु ना हो। 4. इस प्रकार के निरीक्षण से बचने के लिए किसी पशु को छिपाता है, 5. पंजीकृत होते हुए प्रार्थना पत्र देता है कि वह इस प्रकार पंजीकृत होने हेतु अधिकारीता ना हो। 6. पंजीकृत व्यक्ति होते हुए नियम पूर्वक आवश्यकता पड़ने पर उचित कारण के बिना अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

सजा– पांच सौ रूपये तक का जुर्माना अथवा तीन माह तक का कारावास अथवा दोनों

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबन्धन अधिनियम,2005 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

2. **परिभाषाएं**–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) प्रभावित क्षेत्र से देश का ऐसा क्षेत्र या भाग अभिप्रेत है जो किसी आपदा से प्रभावित है;

(ख) क्षमता निर्माणष के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(i) विद्यमान संसाधनों और अर्जित या सृजित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान;

(ii) उपखंड (i) के अधीन पहचान किए गए संसाधनों को अर्जित करना या सृजित करना;

PTS JODHPUR

(iii) आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन के लिए कार्मिक का गठन और प्रशिक्षण तथा ऐसे प्रशिक्षण का समन्वयन;
(ग) केन्द्रीय सरकार, से भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबन्धन पर प्रशासनिक नियंत्रण है;
(घ) आपदा से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है;
(ङ) आपदा प्रबन्धन से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन हैं–
(i) किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण;
(ii) किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी;
(iii) क्षमता निर्माण;
(iv) किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियां;
(v) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरन्त बचाव;
(vi) किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण;
(vii) निष्क्रमण, बचाव और राहत;
(viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण;
(च) जिला प्राधिकरण से धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(छ) जिला योजना से धारा 31 के अधीन जिले के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है;
(ज) स्थानीय प्राधिकारी के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी या जिला परिषद् या किसी भी नाम से ज्ञात कोई अन्य निकाय या प्राधिकारी है जिनमें तत्समय विधि द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबन्धन सहित शक्तियां विनिहित की गई हैं;
(झ) शमनष से किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए आशयित उपाय अभिप्रेत हैं;
(ञ) राष्ट्रीय प्राधिकरण से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ट) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितिष से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;
(ठ) राष्ट्रीय योजना से धारा 11 के अधीन संपूर्ण देश के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है;
(ड) तैयारी से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति अभिप्रेत है;
(ढ) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(ण) पुनर्निर्माण से आपदा के पश्चात् किसी सम्पत्ति का सन्निर्माण या प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है;
(त) संसाधन के अन्तर्गत जनशक्ति, सेवाएं, सामग्री और रसद भी हैं;
(थ) राज्य प्राधिकरण से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत उस धारा के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है;
(द) राज्य कार्यकारिणी समिति से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;
(ध) राज्य सरकार से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है;
(न) राज्य योजना से धारा 23 के अधीन संपूर्ण राज्य के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है ।

PTS JODHPUR

अध्याय 2
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

3. **राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना**–(1) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंधित न किया जाए, राष्ट्रीय प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे –

(क) भारत का प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) नौ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य को राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप से पदाभिहित कर सकेगा ।

(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

4. **राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिवेशन**–(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष ठीक समझे ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी कारण से राष्ट्रीय प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

5. **राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति**–केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राष्ट्रीय प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

6. **राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य**–(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय प्राधिकरण,

(क) आपदा प्रबन्धन के संबंध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा;

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा;

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा;

(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा;

(ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा;

(च) आपदा प्रबन्धन के लिए नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित कर सकेगा;

(छ) शमन के प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था करने की सिफारिश कर सकेगा;

(ज) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता उपलब्ध करा सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए;

(झ) आपदा के निवारण या शमन या आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(ञ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकरण के लिए विस्तृत नीतियां और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, राष्ट्रीय प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा ।

PTS JODHPUR

7. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन–(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा, जिसमें आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञ और राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होंगे ।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से विहित किए जाएं ।

8. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन–(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के ठीक पश्चात्, राष्ट्रीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी ।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात –

(क) भारत सरकार का ऐसा सचिव जो भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है, जिसका आपदा प्रबन्धन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और जो पदेन अध्यक्ष होगा,

(ख) भारत सरकार के ऐसे सचिव जो भारत सरकार के ऐसे मंत्रालयों या विभागों के भारसाधक हैं जिनका कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पीने का जल प्रदाय, पर्यावरण और वन, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी के समन्वित सुरक्षा कर्मचारिवृन्द का प्रमुख, पदेन सदस्य ।

(3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के किसी अधिवेशन में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को आमंत्रित कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से विहित किए जाएं ।

(4) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

9. उपसमितियों का गठन–(1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, जब भी वह अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, अपने सदस्यों में से किसी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

(3) किसी उपसमिति के साथ विशेषज्ञ के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, संदत्त किए जा सकेंगे ।

10. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य–(1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करेगी और राष्ट्रीय प्राधिकरण की नीतियों तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी तथा देश में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति–

(क) आपदा प्रबन्धन के लिए समन्वय और मानिटरी निकाय के रूप में कार्य कर सकेगी;

(ख) राष्ट्रीय योजना तैयार कर सकेगी जिनका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा;

(ग) राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का समन्वय और उसे मानिटर कर सकेगी;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगी;

(ङ) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अपनी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी;

(च) राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के कार्यान्वयन को मानिटर कर सकेगी;

(छ) मंत्रालयों या विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और उसके शमन के लिए उपायों के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन को मानिटर कर सकेगी;

PTS JODHPUR

(ज) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले शमन और तैयारी, उपायों के संबंध में मानिटर कर सकेगी, समन्वय कर सकेगी और निदेश दे सकेगी;

(झ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के प्रयोजन के लिए सभी सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन कर सकेगी, और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारी में वृद्धि करने के लिए निदेश दे सकेगी;

(ञ) विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कर्मकारों के लिए आपदा प्रबन्धन के संबंध में विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बना सकेगी और उनको समन्वित कर सकेगी;

(ट) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में उसके मोचन के लिए समन्वय कर सकेगी;

(ठ) भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को उनके द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगी या निदेश दे सकेगी;

(ड) सरकार के किसी विभाग या अभिकरण से राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरणों को ऐसे व्यक्ति या तात्त्विक संसाधन जो आपातकालीन मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजनों के लिए उसके पास उपलब्ध हैं, उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगी;

(ढ) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य प्राधिकरणों, कानूनी निकायों, अन्य सरकारी या गैर सरकारी संगठनों और आपदा प्रबन्धन में लगे अन्य व्यक्तियों को सलाह दे सकेगी, सहायता प्रदान कर सकेगी और उनके क्रियाकलापों का समन्वय कर सकेगी;

(ण) राज्य प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी या उन्हें सलाह दे सकेगी;

(त) आपदा प्रबन्धन के संबंध में साधारण शिक्षा और जागरुकता का संवर्धन कर सकेगी; और

(थ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो राष्ट्रीय प्राधिकरण उससे करने की अपेक्षा करे ।

11. राष्ट्रीय योजना–(1) संपूर्ण देश के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय योजना नामक एक योजना तैयार की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों या संगठनों के परामर्श से राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी जिसका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(3) राष्ट्रीय योजना में निम्नलिखित होंगे–

(क) आपदाओं के निवारण या उनके प्रभाव के शमन के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ख) विकास योजनाओं में शमन संबंधी उपायों के एकीकरण के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए किए जाने वाले उपाय;

(घ) खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट उपायों की बाबत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों की भूमिका और उत्तरदायित्व ।

(4) राष्ट्रीय योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना के अधीन किए जाने वाले उपायों के वित्तपोषण के लिए समुचित उपबंध किए जाएंगे ।

(6) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय योजना की प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसे मंत्रालय या विभाग राष्ट्रीय योजना के अनुसार अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार करेंगे ।

12. राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त–राष्ट्रीय प्राधिकरण, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों की सिफारिश करेगा जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे, –

(i) राहत कैंपों में आश्रयस्थल, खाद्य, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं;

(ii) विधवाओं और अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष उपबन्ध;

PTS JODHPUR

(iii) जीवन की हानि मद्दे अनुग्रह सहायता और मकानों को नुकसान मद्दे सहायता तथा जीविका के साधनों की बहाली के लिए सहायता;

(iv) ऐसी अन्य सहायता जो आवश्यक हो ।

13. ऋण प्रतिदाय आदि में राहत–राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रचंड मात्रा की आपदाओं की दशा में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऋणों के प्रतिदाय में राहत या ऐसे रियायती निबंधनों पर, जो उचित हों, नए ऋण देने की सिफारिश कर सकेगा ।

अध्याय 3
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

14. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना–(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) राज्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात –

(क) राज्य का मुख्यमंत्री जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, पदेन ।

(3) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य को राज्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा ।

(4) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगारू

परंतु ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को छोड़कर, जिसकी विधान सभा है, मुख्यमंत्री इस धारा के अधीन स्थापित प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा और अन्य संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में, उपराज्यपाल या प्रशासक उस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगारू

परंतु यह और कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा और उसका मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होगा ।

(5) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

15. राज्य प्राधिकरण के अधिवेशन–(1) राज्य प्राधिकरण का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष ठीक समझे ।

(2) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) यदि राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी कारण से राज्य प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो राज्य प्राधिकरण का उपाध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

16. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति–राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

17. राज्य प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन–(1) राज्य प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होंगे ।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

18. राज्य प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य–(1) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य प्राधिकरण, –

(क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति अधिकथित कर सकेगा;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन कर सकेगा;

(ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा;

PTS JODHPUR

(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता करा सकेगा;
(ङ) राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित कर सकेगा;
(च) शमन और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की सिफारिश कर सकेगा;
(छ) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और यह सुनिश्चित कर सकेगा कि निवारण और शमन के उपाय उसमें एकीकृत किए गए हैं;
(ज) राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा जो आवश्यक हों ।
(3) राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, राज्य प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा ।

19. राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत—राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के मानकों का उपबंध करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करेगारू परंतु ऐसे मानक किसी भी दशा में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में न्यूनतम मानकों से कम नहीं होंगे ।

20. राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन—(1) राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के ठीक पश्चात् राज्य प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने और कार्य का समन्वय करने के लिए तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी ।
(2) राज्य कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:—
(क) राज्य सरकार का मुख्य सचिव, जो पदेन अध्यक्ष होगा;
(ख) राज्य सरकार के ऐसे विभागों के चार सचिव जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, पदेन ।
(3) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।
(4) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

21. राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपसमितियों का गठन—(1) राज्य कार्यकारिणी समिति जब भी वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी ।
(2) राज्य कार्यकारिणी समिति अपने सदस्यों में से किसी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी ।
(3) किसी उपसमिति के साथ विशेषज्ञ के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, संदत्त किए जा सकेंगे ।

22. राज्य कार्यकारिणी समिति के कृत्य—(1) राज्य कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी और राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय करने और मानिटरी करने वाले निकाय के रूप में कार्य करेगी ।
(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य कार्यकारिणी समिति—
(क) राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानिटरी कर सकेगी;
(ख) आपदाओं के विभिन्न रूपों से राज्य के विभिन्न भागों की भेद्यता की परीक्षा कर सकेगी और उनके निवारण या शमन के लिए किए जाने वाले उपायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी;
(ग) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगी;

PTS JODHPUR

(घ) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की मानिटरी कर सकेगी;
(ङ) विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और शमन के उपायों के एकीकरण के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन की मानीटरी कर सकेगी;
(च) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन कर सकेगी और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारियों में वृद्धि करने के लिए निदेश दे सकेगी;
(छ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में मोचन का समन्वय कर सकेगी;
(ज) किसी आपदा की आंशका की स्थिति या आपदा के मोचन में किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय को निदेश दे सकेगी;
(झ) आपदाओं के ऐसे रूपों के संबंध में, जिनसे राज्य के विभिन्न भाग भेद्य हैं, सामान्य शिक्षा, जागरुकता और समुदाय प्रशिक्षण का संवर्धन कर सकेगी और ऐसे उपाय, जो आपदा के निवारण और ऐसी आपदा के शमन और मोचन के लिए ऐसे समुदाय द्वारा किए जा सकेंगे;
(ञ) राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन में लगे अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगी, उनके क्रियाकलापों में सहायता कर सकेगी और उनका समन्वय कर सकेगी;
(ट) उनके कृत्यों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए जिला प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों को उनके कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर सकेगी या सलाह दे सकेगी;
(ठ) आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी वित्तीय विषयों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह दे सकेगी;
(ड) राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र में सन्निर्माण की परीक्षा कर सकेगी और यदि उसकी यह राय है कि आपदा के निवारण के लिए ऐसे सन्निर्माण के लिए अधिकथित मानकों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी कार्रवाई करने के लिए निदेश दे सकेगी जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;
(ढ) राष्ट्रीय प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सकेगी;
(ण) राज्य स्तर की मोचन योजनाओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिकथित, पुनर्विलोकित और अद्यतन कर सकेगी और यह सुनिश्चित कर सकेगी कि जिला स्तर की योजनाएं तैयार, पुनर्विलोकित और अद्यतन की गई हैं;
(त) यह सुनिश्चित कर सकेगी कि संसूचना तंत्र ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिकतः की जाती है;
(थ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जैसा वह आवश्यक समझे ।

23. राज्य योजना–(1) प्रत्येक राज्य के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना होगी जिसे राज्य आपदा प्रबंधन योजना कहा जाएगा ।
(2) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय प्राधिकरणों तथा जिला प्राधिकरणों और जनता के प्रतिनिधियों के साथ ऐसा परामर्श करने के पश्चात् जिसे राज्य कार्यकारिणी समिति ठीक समझे, राज्य योजना तैयार की जाएगी ।
(3) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई राज्य योजना का राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।
(4) राज्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित होगा, –
(क) आपदा के विभिन्न रूपों से राज्य के विभिन्न भागों की भेद्यता;
(ख) आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय;
(ग) ऐसी रीति जिसमें शमन के उपाय, विकास योजनाओं और परियोजनाओं के साथ एकीकृत किए जाएंगे;
(घ) क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जाने वाले उपाय;
(ङ) ऊपर खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट उपायों के संबंध में राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व;
(च) किसी आशंकित आपदा स्थिति या आपदा के मोचन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिकाएं और दायित्व ।
(5) राज्य योजना प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित और अद्यतन की जाएगी ।

PTS JODHPUR

(6) राज्य योजना के अधीन किए जाने वाले उपायों के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित उपबंध किए जाएंगे ।

(7) उपधारा (2) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट राज्य योजना की प्रतियां राज्य सरकार के विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसे विभाग राज्य योजना के अनुसार अपनी योजनाएं तैयार करेंगे ।

24. आपदा की आशंका की दशा में राज्य कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य—आपदा द्वारा प्रभावित समुदाय की सहायता और संरक्षा करने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे समुदायों को राहत प्रदान करने के लिए या किसी आपदा की आशंका की स्थिति का निवारण करने या उसके विनाश का प्रत्युपाय करने या उसके प्रभावों से निपटने के प्रयोजन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति, —

(क) संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्रों को या वहां से या उसके भीतर वाहन यातायात को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकेगी;

(ख) किसी संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके आने—जाने और वहां से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकेगी;

(ग) मलबे को हटा सकेगी, खोज कर सकेगी और बचाव कार्य कर सकेगी;

(घ) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार आश्रय, खाद्य, पेयजल, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी;

(ङ) राज्य सरकार के संबंधित विभाग और राज्य की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जिला प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को जीवन या संपत्ति को बचाने के लिए बचाव, निष्क्रमण या तत्काल राहत पहुंचाने के ऐसे उपाय करने या कार्रवाई करने के निदेश दे सकेगी; जो उसकी राय में आवश्यक हों;

(च) राज्य सरकार के किसी विभाग या अन्य किसी निकाय या प्राधिकरण से या किन्हीं सुसंगत संसाधनों के भारसाधक व्यक्ति से आपात् मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजनों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगी;

(छ) आपदाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञों और परामर्शियों से बचाव और राहत के लिए सलाह और सहायता देने की अपेक्षा कर सकेगी;

(ज) जब भी अपेक्षित हो, किसी प्राधिकरण या व्यक्ति से सुख—सुविधाओं के उपयोग को अनन्य रूप से या अधिमानतः उपाप्त कर सकेगी;

(झ) अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निर्माण कर सकेगी और ऐसी असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त कर सकेगी जो जनता के लिए परिसंकटमय हों;

(ञ) यह सुनिश्चित कर सकेगी कि गैर सरकारी संगठन साम्यापूर्ण रूप में या अविभेदकारी रीति में अपने क्रियाकलाप करें;

(ट) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए जनता को जानकारी दे सकेगी;

(ठ) ऐसे उपाय कर सकेगी जिनके लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इस संबंध में निदेश दे या ऐसे अन्य उपाय कर सकेगी जो किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में अपेक्षित या वांछित हों ।

अध्याय 4
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

25. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन—(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, इसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थातः—

(क) जिले का, यथास्थिति, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि जो पदेन सह—अध्यक्ष होगारू

परंतु संविधान की छठी अनुसूची में जैसा निर्दिष्ट है, जनजाति क्षेत्रों में, स्वशासी जिले की जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक सदस्य, पदेन सह—अध्यक्ष होगा;

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पदेन;

(घ) पुलिस अधीक्षक, पदेन;

PTS JODHPUR

(ङ) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन;

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) ऐसे किसी जिले में जहां जिला परिषद् विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह–अध्यक्ष होगा ।

(4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को, जो, यथास्थिति, अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी ।

26. जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां–(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करे ।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा ।

(3) जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियां और कृत्य, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हों, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

27. अधिवेशन–जिला प्राधिकरण का अधिवेशन जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे अध्यक्ष ठीक समझे ।

28. सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन–(1) जिला प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा ।

(2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा ।

(3) उपधारा (1) अधीन गठित किसी समिति या उपसमिति में विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते संदत्त किए जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

29. जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति–राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

30. जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य–(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा ।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाः–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा;

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा;

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं;

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है;

(v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों;

PTS JODHPUR

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा;

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा;

(iX) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;

(X) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों;

(i) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निदेश दे सकेगा ।

(ii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा;

(iii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा;

(iv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(v) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(vi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा;

(vii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें;

(viii) जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा;

(i) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा;

(XX) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा;

(XXi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा;

(XXii) जिले स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा;

(XXiii) जिला के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा;

PTS JODHPUR

(XXiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा;

(XXv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा;

(XXvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा;

(XXvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा;

(XXviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है;

(XXiX) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं ।

31. जिला योजना–(1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी ।

(2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील हैं;

(ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी के उपाय;

(घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों–

(i) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आबंटन;

(ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत;

(iii) आवश्यक संसाधनों का उपापन;

(iv) संचार सम्पर्क की स्थापना; और

(अ) जनता को सूचना का प्रसार;

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों ।

(4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(7) जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

32. जिला स्तर पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन–जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए–

(क) आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेंगे जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा, अर्थात:–

(i) जिला योजना में यथाउपबंधित निवारण और शमन उपायों के लिए उपबंध जो संबद्ध विभाग या अभिकरण को समनुदेशित है;

(ii) जिला योजना में यथा अधिकथित क्षमता निर्माण और तैयारी से संबंधित उपायों को करने के उपबंध;

(iii) किसी आपदा की आशंका या आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं;

PTS JODHPUR

(ख) जिला स्तर पर अन्य संगठनों, जिनके अंतर्गत स्थानीय समुदाय और अन्य स्थानीय प्राधिकारी समुदाय और अन्य पणधारी भी हैं, की योजनाओं के साथ अपनी योजना को तैयार और उसके कार्यान्वयन को समन्वित करेंगे;
(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे; और
(घ) जिला प्राधिकरण को अपनी आपदा प्रबंधन योजना और उसके किसी संशोधन की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे ।

33. जिला प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश–जिला प्राधिकरण आदेश द्वारा, जिला स्तर पर किसी अधिकारी या किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आपदा निवारण या उसके शमन के लिए या उसके प्रभावी रूप से मोचन के लिए ऐसे उपाय करे, जो आवश्यक हों और ऐसा प्राधिकारी या विभाग ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

34. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य– किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में समुदाय की सहायता करने, उसका संरक्षण करने या उसे राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, जिला प्राधिकरण, –
(क) जिले में किसी सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी के पास उपलब्ध संसाधनों की निकासी और उपयोग के लिए निदेश दे सकेगा;
(ख) अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में या उससे अथवा उसके भीतर यानों के आवागमन को नियंत्रित और निर्बंधित कर सकेगा;
(ग) किसी अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके संचरण और उससे उसके प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बंधित कर सकेगा;
(घ) मलबा हटा सकेगा, तलाशी ले सकेगा और बचाव कार्य कर सकेगा;
(ङ) आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा;
(च) प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार प्रणालियों की स्थापना कर सकेगा;
(छ) अदावाकृत शवों के निपटारे के लिए इंतजाम कर सकेगा;
(ज)जिला स्तर पर राज्य सरकार के किसी विभाग या उस सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी निकाय को ऐसे आवश्यक उपाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों;
(झ)सुसंगत क्षेत्रों में सलाह और सहायता देने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की, जो वह आवश्यक समझे अपेक्षा कर सकेगा;
(ञ)किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से किन्हीं सुख–सुविधाओं के अनन्य या अधिमानी उपयोग का उपापन कर सकेगा;
(ट)अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निर्माण कर सकेगा और ऐसी संरचनाओं को जो जनता के लिए परिसंकटमय हैं या आपदा के प्रभाव को गंभीर बना सकती हैं, ध्वस्त कर सकेगा;
(ठ)यह सुनिश्चित कर सकेगा कि गैर सरकारी संगठन अपने क्रियाकलापों को साम्यापूर्ण और अभिवेदकारी रीति से करे;
(ड)ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जिसका ऐसी किसी स्थिति में किया जाना अपेक्षित या आवश्यक हो।

अध्याय 5 आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपाय

35. केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय–(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन समझे ।
(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन उपायों में जिन्हें केन्द्रीय सरकार, उस उपधारा के अधीन कर सकेगी, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपाय भी हैं, अर्थात:–
(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वयन करना;
(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित करना;
(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा के निवारण, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए निधियों के समुचित आबंटन को सुनिश्चित करना;
(घ) यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग किसी आपदा की आशंका या आपदा के त्वरित और प्रभावी मोचन तैयारी के लिए आवश्यक उपाय करते हैं;

PTS JODHPUR

(ङ) राज्य सरकारों को उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर या उसके द्वारा अन्यथा समुचित समझे जाने पर सहयोग और सहायता देना;

(च) नौसेना, थल सेना और वायु सेना, संघ के अन्य सशस्त्र बलों या किसी अन्य सिविलियन कार्मिकों को तैनात करना जिनका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा की जाए;

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विदेशी सरकारों के साथ समन्वयन करना;

(ज) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना;

(झ) ऐसे अन्य विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए वह आवश्यक या समीचीन समझे ।

(3) केन्द्रीय सरकार बड़ी आपदा द्वारा प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता दे सकेगी जिसे वह उचित समझे ।

36. भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के उत्तरदायित्व–भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह–

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदा के निवारण, शमन, तैयारी या क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करे;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदाओं के निवारण या शमन के लिए उपायों की अपनी विकास योजनाओं, और परियोजनाओं में एकीकृत करे;

(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों या इस निमित्त राष्ट्रीय कार्यकारणी समिति के निदेशों के अनुसार किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का प्रभावी और त्वरित मोचन करे;

(घ) आपदाओं के निवारण, शमन या तैयारी के लिए आवश्यक उपबंध समाविष्ट करने की दृष्टि से उसके द्वारा प्रशासित अधिनियमितियों, अपनी नीतियों, नियमों और विनियमों का पुनर्विलोकन करे;

(ङ) आपदा के निवारण, शमन या क्षमता निर्माण और तैयारी के उपायों के लिए निधियों का आबंटन करे;

(च) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करे–

(i) आपदा प्रबंधन के संबंध में शमन, तैयारी और मोचन योजनाएं तैयार करना, क्षमता निर्माण, डाटा संग्रहण और कार्मिकों की पहचान तथा प्रशिक्षण;

(ii) प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य करना;

(iii) किसी आपदा से क्षति का निर्धारण;

(iv) पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना;

(छ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का तत्परता से और प्रभावी रूप से मोचन करने के प्रयोजन के लिए अपने संसाधन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराना, जिनमें निम्नलिखित उपाय भी हैं, –

(i) किसी भेद्य या प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार सुविधाएं उपलब्ध करना;

(ii) कार्मिकों और राहत सामग्री का प्रभावित क्षेत्र तक या उससे परिवहन;

(iii) निष्क्रमण, बचाव, अस्थायी आश्रय और अन्य तत्काल राहत प्रदान करना;

(iv) अस्थायी पुल, घाट और हवाई पट्टियां स्थापित करना;

(अ) किसी प्रभावित क्षेत्र में पीने का पानी, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करना;

(ज) ऐसे अन्य कार्य करना जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

37. भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं–(1) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग–

(क) निम्नलिखित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा, अर्थात:–

(i) उसके द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए राष्ट्रीय योजना के अनुसार किए जाने वाले उपाय;

(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अपनी विकास योजनाओं में शमन के उपायों के एकीकरण की बाबत विनिर्देश;

(iii) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के संबंध में कार्रवाई की तैयारी और क्षमता निर्माण के संबंध में उसकी भूमिका और उत्तरदायित्व;

PTS JODHPUR

(iv) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की तत्परता से और प्रभावी रूप से मोचन की बाबत उसकी भूमिका और उत्तरदायित्व;

(v) उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट तैयारी की उसकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की वर्तमान स्थिति;

(vi) उपखंड (पपप) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तरदायित्वों का पालन करने में समर्थ बनाने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित उपाय;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन और अद्यतन करेगा;

(ग) यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट योजना की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा जिसे सरकार उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजेगी ।

(2) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग–

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जब आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा रही हो तब उसमें विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के वित्तपोषण लिए उपबंध करेगा;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट योजना के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति रिपोर्ट, जब भी अपेक्षित हो, देगा ।

38. राज्य सरकार द्वारा उपाय करना–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट सभी उपाय तथा ऐसे और उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) उन उपायों के अंतर्गत जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कर सकेगी, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपाय भी हैं, अर्थात:–

(क) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरणों, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वय;

(ख) आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य प्राधिकरण और राज्य कार्यकारिणी समिति तथा जिला प्राधिकरणों को सहयोग और उनकी सहायता;

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का आपदा प्रबंधन में ऐसा सहयोग या सहायता जिनके लिए उनके द्वारा अनुरोध किया जाए या जो उसके द्वारा अन्यथा उचित समझे जाएं;

(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा के निवारण, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए राज्य योजना तथा जिला योजनाओं के उपबंधों के अनुसार उपायों के लिए निधियों का आबंटन;

(ङ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण या शमन के लिए उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित करना;

(च) राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न आपदाओं की संवेदनशीलता को कम करने या शमन करने के लिए राज्य विकास योजना या उपायों में एकीकरण;

(छ) राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने को सुनिश्चित करना;

(ज) संवेदनशील समुदायों के स्तर तक पर्याप्त चेतावनी प्रणालियों की स्थापना;

(झ) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और जिला प्राधिकरण समुचित तैयारी के लिए उपाय करें;

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संसाधन, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराए गए हैं;

(ट) किसी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करना और उन्हें पुनर्निर्माण में सहायता देना;

(ठ) ऐसे अन्य विषय जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

39. राज्य सरकार के विभागों के उत्तरदायित्व–राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह–

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदाओं के निवारण, शमन, तैयारी और क्षमता–निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करे;

PTS JODHPUR

(ख) अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण और शमन के लिए उपायों को एकीकृत करे;

(ग) आपदा के निवारण, शमन, क्षमता–निर्माण और तैयारी के लिए निधियां आबंटित करे;

(घ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का राज्य योजना के अनुसार और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और राज्य कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों के अनुसार प्रभावी रूप से और तत्परता से मोचन करे;

(ङ) आपदाओं के निवारण, शमन या उसके लिए तैयारी के आवश्यक उपबंध सम्मिलित करने की दृष्टि से उसके द्वारा प्रशासित अधिनियमितियों, अपनी नीतियों, नियमों और विनियमों का पुनर्विलोकन करे;

(च) निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति और जिला प्राधिकरणों द्वारा, यथा अपेक्षित, सहायता प्रदान करे, –

(i) शमन, तैयारी और मोचन, क्षमता निर्माण, डाटा संग्रहण और आपदा प्रबंधन के संबंध में कर्मचारिवृंद की पहचान और उनके प्रशिक्षण के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ii) किसी आपदा से नुकसान का निर्धारण करना;

(iii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य करना;

(छ) जिला स्तर पर अपने प्राधिकारियों द्वारा जिला योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य प्राधिकरण के परामर्श से संसाधनों की व्यवस्था करे;

(ज) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरणों को राज्य में किसी आपदा की तत्परता से प्रभावी रूप से मोचन करने के प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उपाय करना भी है, अपने संसाधन उपलब्ध कराए–

(i) संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ii) कार्मिकों और राहत सामग्री का प्रभावित क्षेत्र तक या उससे बाहर परिवहन प्रदान करना;

(iii) निष्क्रमण, बचाव, अस्थायी आश्रय या अन्य तत्काल राहत प्रदान करना;

(iv) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के किसी क्षेत्र से व्यक्तियों या पशुओं का निष्क्रमण करना;

(v) अस्थायी पुल, घाट या हवाई पट्टियां स्थापित करना;

(vi) प्रभावित क्षेत्र में पीने का पानी, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराना;

(झ) ऐसे अन्य कार्य करना जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक हों ।

40. राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबंधन योजना–राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप, –

(क) एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित अधिकथित होगाः–

(i) उन आपदाओं के प्रकार जिनसे राज्य के विभिन्न भाग संवेदनशील हैं;

(ii) आपदा के निवारण या उसके प्रभावों के शमन या दोनों के लिए नीतियों का उस विभाग द्वारा विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ एकीकरण;

(iii) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में और उन आपातकालीन सहायता कार्यों में जिनके किए जाने की उनसे अपेक्षा है, राज्य के उक्त विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व;

(iv) उपखंड (iii) के अधीन ऐसी भूमिका या उत्तरदायित्वों या आपातकालीन सहायता कार्य को करने की उसकी तैयारियों की वर्तमान स्थिति;

(अ) धारा 37 के अधीन भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए समर्थ बनाने हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित क्षमता निर्माण और तैयारी के उपाय;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन और उन्हें अद्यतन करना; और

(ग) राज्य प्राधिकरण को, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट योजना की प्रति देना ।

(2) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, उपधारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय, उसमें विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए उपबंध करेगा ।

(3) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग राज्य कार्यकारिणी समिति को उपधारा (1) में निर्दिष्ट आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति की रिपोर्ट देगा ।

PTS JODHPUR

अध्याय 6
स्थानीय प्राधिकारी

41. स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य–(1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए, –
(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं;
(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे;
(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं;
(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा ।
(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 7
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

42. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान–(1) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से एक संस्थान का गठन किया जाएगा ।
(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार विहित करे ।
(3) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों की पदावधि और उनमें रिक्तियां तथा ऐसी रिक्तियों को भरे जाने की रीति वह होगी जो विहित की जाए ।
(4) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का एक शासी निकाय होगा जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों में से ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए ।
(5) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का शासी निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।
(6) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि तथा उनकी रिक्तियों को भरे जाने की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।
(7) इस धारा के अधीन विनियम बनाए जाने तक केन्द्रीय सरकार ऐसे विनियम बना सकेगी और इस प्रकार बनाए गए किसी विनियम को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपांतरित या विखंडित कर सकेगा ।
(8) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित विस्तृत नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के भीतर रहते हुए कार्य करेगा और आपदा प्रबन्धन, दस्तावेजीकरण और आपदा प्रबन्धन की नीतियों, निवारणतंत्र और शमन के उपायों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की सूचना के आधार के विन्यास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान की योजना बनाने और उनका संवर्धन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
(9) उपधारा (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय संस्थान, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, –
(क) आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मापदंडों का विकास, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेगा;
(ख) ऐसी व्यापक मानव संसाधन विकास योजना तैयार कर सकेगा और उसे कार्यान्वित कर सकेगा जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के सभी पहलू आते हों;
(ग) राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाने में सहायता प्रदान कर सकेगा;
(घ) सरकारी कृत्यकारियों सहित पणधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों की अपेक्षित सहायता कर सकेगा और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दे सकेगा;

PTS JODHPUR

(ङ) राज्य स्तर की नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता तथा अपने कृत्यकारियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, कार्पोरेट सेक्टर और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित पणधारियों और सरकार के क्षमता–निर्माण के लिए राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को यथाअपेक्षित सहायता दे सकेगा;

(च) आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षिक और वृत्तिक पाठ्यक्रमों सहित शैक्षिक सामग्री का विकास कर सकेगा;

(छ) बहुविपत्ति के शमन, तैयारी और उसके मोचन के उपायों से सहबद्ध महाविद्यालय या स्कूल अध्यापकों और छात्रों, तकनीकी कार्मिकों तथा अन्य व्यक्तियों सहित पणधारकों के बीच जागरुकता पैदा कर सकेगा;

(ज) पूर्वोक्त उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए देश के भीतर या देश के बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलन, व्याख्यान, सेमिनार कर सकेगा, उनका आयोजन कर सकेगा और उन्हें सुकर बना सकेगा;

(झ) पत्रिकाओं, अनुसंधान पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन करा सकेगा और पूर्वोक्त उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण कर सकेगा;

(ञ) ऐसे सभी अन्य विधिपूर्ण कार्य कर सकेगा जो उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों; और

(ट) ऐसे कोई अन्य कृत्य कर सकेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

43. राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारी और अन्य कर्मचारी–केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 8
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

44. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल–(1) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषज्ञतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंध भी हैं, वे होंगी जो विहित की जाएं ।

45. नियंत्रण, निदेशन, आदि–बल का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उनका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा ।

अध्याय 9
वित्त, लेखा और संपरीक्षा

46. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि–(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे–

(क) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रदान करे;

(ख) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोजित किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जाएगी ।

47. राष्ट्रीय आपदा शमन निधि–(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आपदा के शमन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें ऐसी रकम जमा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रदान करे ।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का उपयोजन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

PTS JODHPUR

48. राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना–(1) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिसूचनाओं के जारी किए जाने के ठीक पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी, अर्थात्:–

(क) राज्य आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि;

(ख) जिला आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि;

(ग) राज्य आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि;

(घ) जिला आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि ।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि–

(i) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन स्थापित निधियां राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध हैं;

(ii) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन स्थापित निधियां राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध हैं;

(iii) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियां जिला प्राधिकरण को उपलब्ध हैं ।

49. मंत्रालयों और विभागों द्वारा निधियों का आबंटन–(1) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपने वार्षिक बजट में, अपनी आपदा प्रबंधन योजना में वर्णित क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को करने के प्रयोजनों के लिए निधियों का उपबंध करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित राज्य सरकार के विभागों को लागू होंगे ।

50. आपात उपापन और लेखा–जोखा–जहां किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के कारण, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बचाव या राहत के लिए रसद या सामग्री का तत्काल उपापन या संसाधनों का तत्काल उपयोजन आवश्यक है वहां,

(क) वह संबद्ध विभाग या प्राधिकारी को उपापन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसी दशा में, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अपेक्षित मानक प्रक्रिया का त्यजन किया गया समझा जाएगा;

(ख) यथास्थिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक अधिकारी द्वारा रसद या सामग्री के उपयोजन के बारे में प्रमाणपत्र ऐसी रसद या सामग्री के आपात उपापन के लेखा–जोखा प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेज या बीजक माना जाएगा ।

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड–जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना, –

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड–जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, सन्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

53. धन या सामग्री आदि के दुरुपयोजन के लिए दंड–जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुंचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या अधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोजन करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा

PTS JODHPUR

करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड–जो कोई, जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिमाण के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट–सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय होगा ।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता–ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

57. अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति–यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

58. कंपनियों द्वारा अपराध–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगेरू

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए–

(क) कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी–धारा 55 और धारा 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

60. अपराधों का संज्ञान–कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने पर करने के सिवाय नहीं करेगा, –

PTS JODHPUR

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम–से–कम तीस दिन की सूचना दे दी है ।

अध्याय 11
प्रकीर्ण

61. विभेद का प्रतिषेध–आपदा के पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति और राहत देते समय लिंग, जाति, समुदाय, उद्‌भव या धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा ।

62. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आपदा प्रबंधन को सुकर बनाने या उसमें सहायता करने के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या किसी राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति, कानूनी निकायों या उनके किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखित में निदेश जारी करे और ऐसा मंत्रालय या विभाग या सरकार या प्राधिकरण, कार्यकारिणी समिति, कानूनी निकाय, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

63. बचाव कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली शक्तियां–संघ या राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, उससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, किसी राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या ऐसी किसी समिति या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उस समिति या प्राधिकरण या उस व्यक्ति को, आपदा के निवारण या उसके शमन या बचाव या राहत कार्यों के संबंध में कोई कृत्य करने के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जिनके लिए अनुरोध किया गया है ।

64. कतिपय परिस्थितियों में नियम, आदि बनाना या उनमें संशोधन करना–इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि, यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि आपदाओं के निवारण या उनके शमन के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांत, अनुदेश, आदेश, स्कीम या उपविधि में उपबंध करना या उनमें संशोधन करना अपेक्षित है तो वह उस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, नियमों, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेश, आदेश, स्कीम या उपविधियों में संशोधन की अपेक्षा कर सकेगा और समुचित विभाग या प्राधिकारी ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

65. बचाव कार्य आदि के लिए संसाधनों, रसद, यानों आदि की अध्यपेक्षा करने की शक्ति–(1) यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त यथा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि, –

(क) किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के पास किन्हीं संसाधनों की तत्काल भेजने के प्रयोजन के लिए आवश्यकता है;

(ख) बचाव कार्य के प्रयोजन के लिए किन्हीं परिसरों की आवश्यकता है या उनकी आवश्यकता संभावित है; या

(ग) आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से संसाधनों के परिवहन या प्रभावित क्षेत्र को संसाधनों के परिवहन या बचाव, पुनर्वास या पुनः सन्निर्माण के संबंध में परिवहन के प्रयोजनों के लिए किसी यान की आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता संभावित है,

तो ऐसा प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे संसाधनों या परिसरों या ऐसे यान की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे और आदेश भी कर सकेगा जो उसे अध्यपेक्षा के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) जब भी उपधारा (1) के अधीन किसी संसाधन, परिसर या यान की अध्यपेक्षा की जाती है वहां ऐसी अध्यपेक्षा की अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए ऐसे संसाधन, परिसर या यान उस उपधारा में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं ।

(3) इस धारा में, –

(क) संसाधन के अन्तर्गत मानव और सामग्री संसाधन हैं;

(ख) सेवाओं के अन्तर्गत सुविधाएं हैं;

PTS JODHPUR

(ग) परिसर से कोई भूमि, भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई झोंपड़ी, छप्पर या कोई अन्य संरचना या उसका भाग भी है; और

(घ) यान से परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया या उपयोग किए जाने के लिए सक्षम कोई यान अभिप्रेत है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा नोदित हो ।

66. प्रतिपूर्ति का संदाय–(1) जब भी धारा 65 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति, प्राधिकरण या अधिकारी, उस धारा के अनुसरण में किसी परिसर की अध्यपेक्षा करता है वहां हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति का संदाय किया जाएगा जिसकी रकम निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जाएगी, अर्थात:–

(i) परिसर के संबंध में संदेय किराया, या यदि इस प्रकार कोई किराया संदेय नहीं है तो उसके परिक्षेत्र में उसके समान परिसर के लिए संदेय किराया;

(ii) यदि परिसर की अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपने आवास या कारबार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए बाध्य होता है तो ऐसे परिवर्तन से अनुषंगी युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हों),

परंतु जहां कोई हितबद्ध व्यक्ति इस प्रकार अवधारित प्रतिपूर्ति की रकम से व्यथित होकर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को तीस दिन के भीतर, मामले को किसी मध्यस्थ को निर्दिष्ट करने के लिए आवेदन करता है तो संदाय की जाने वाली प्रतिपूर्ति की रकम वह होगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे,

परंतु यह और कि जहां प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए हकदारी के संबंध में या प्रतिपूर्ति रकम के प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद है वहां विवाद को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी मध्यस्थ को अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसे ऐसे मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में हितबद्ध व्यक्ति पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 65 के अधीन अध्यपेक्षित परिसर पर, अध्यपेक्षा से तुरंत पूर्व वास्तविक रूप में काबिज था, या उस दशा में जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार वास्तविक रूप में काबिज नहीं था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है ।

(2) जब कभी धारा 65 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति, प्राधिकरण या अधिकारी उस धारा के अनुसरण में किसी यान की अध्यपेक्षा करता है तो उसके स्वामी को प्रतिकर का संदाय किया जाएगा जिसकी रकम, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे यान के किराए के लिए उस परिक्षेत्र में विद्यमान भाड़ा या दरों के आधार पर अवधारित की जाएगीरू

परन्तु जहां ऐसे अवधारित किए गए प्रतिकर की रकम से व्यथित ऐसे यान का स्वामी विहित समय के भीतर मामले को किसी मध्यस्थ को निर्दिष्ट करने के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को आवेदन करता है तो संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की रकम वह होगी जो, इस निमित्त, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करेरू

परन्तु यह और कि जहां अध्यपेक्षा किए जाने के ठीक पूर्व यान या जलयान, अवक्रय करार के कारण स्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था वहां अध्यपेक्षा की बाबत संदेय कुल प्रतिकर के रूप में, इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच ऐसी रीति में प्रभाजित की जाएगी जिसमें वे सहमत हों और करार के व्यतिक्रम में ऐसी रीति से प्रभाजित की जाएगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इस निमित्त विनिश्चय करे ।

67. चेतावनी, आदि की संसूचना के लिए मीडिया को निदेश–राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या कोई जिला प्राधिकरण किसी प्राधिकारी या किसी श्रव्य या श्रव्य–दृश्य मीडिया या संसूचना के ऐसे साधनों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को, जो किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की बाबत किसी चेतावनी या मंत्रणाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध हों, निदेश देने की सरकार को सिफारिश कर सकेगा और संसूचना के उक्त साधन और यथा अभिहित मीडिया ऐसे निदेश का पालन करेगा ।

68. आदेशों या विनिश्चयों का अधिप्रमाणन–राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य प्राधिकरण या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश या विनिश्चय, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत हों ।

PTS JODHPUR

69. शक्तियों का प्रत्यायोजन–यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

70. वार्षिक रिपोर्ट–(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और वह सरकार उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(2) राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान किए गए उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को भेजेगा और वह सरकार, जहां उस राज्य के विधान–मंडल में दो सदन हैं वहां राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां ऐसे विधान–मंडल में केवल एक ही सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

71. न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन–किसी न्यायालय को (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या इसके अधीन कृत्यों के संबंध में की गई किसी बात या कार्रवाई, किए गए आदेश, दिए गए निदेश या अनुदेश या मार्ग निदेशन के संबंधों में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

72. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव–इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

73. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी या कर्मचारी या ऐसी सरकार या प्राधिकरण के निमित्त कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य या किए जाने के लिए तात्पर्यित या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या अभियोजन या अन्य कार्यवाही ऐसे प्राधिकरण या सरकार या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

74. विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्ति–केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपनी शासकीय क्षमता में उनके द्वारा संसूचित या प्रसारित किसी आसन्न आपदा की बाबत, ऐसी संसूचना या प्रसारण के अनुसरण में उनके द्वारा की गई कार्रवाई या जारी निदेश की बाबत विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्त रहेंगे ।

75. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति–(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात:–

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की संरचना और सदस्यों की संख्या तथा उसकी उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें;

(ख) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सलाहकार समिति के सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और उसके कृत्य तथा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उपसमिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

PTS JODHPUR

(ङ) धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों की संख्या, उपधारा (3) के अधीन सदस्यों की पदावधि और उनकी रिक्तियां तथा ऐसी रिक्तियों को भरे जाने की रीति और उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय के गठन की रीति;

(च) धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन बल के गठन की रीति, अनुशासनिक उपबंधों सहित बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें;

(छ) वह रीति जिसमें धारा 60 के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या प्राधिकारी या अधिकारी को अपराध की सूचना और परिवाद करने के आशय की सूचना दी जाएगी;

(ज) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 70 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी है;

(झ) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाए या किया जा सके या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

76. विनियम बनाने की शक्ति—(1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात:—

(क) शासी निकाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ख) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किए जा सकेंगे ।

77. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम या विनियम केवल, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । तथापि, ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

78. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात:—

(क) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन राज्य प्राधिकरण की संरचना और सदस्यों की संख्या तथा उसकी उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें;

(ख) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सलाहकार समिति के सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ग) धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और उसके कृत्य तथा धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उपसमिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ङ) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन जिला प्राधिकरण की संरचना और उसके सदस्यों की संख्या तथा धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(च) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन विशेषज्ञों के रूप में जिला प्राधिकरण द्वारा गठित किसी समिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदेय भत्ते;

PTS JODHPUR

(छ) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाए या किया जा सके या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधान–मंडल एक सदन का है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

79. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होरू

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् या विधान–मंडल के प्रत्येक सदने के समक्ष रखा जाएगा ।

PTS JODHPUR

मॉड्यूल दो – निरोधात्मक कार्यवाही

अ– परिशान्ति व सदाचार बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही–

01. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा – 125(106) से 129 (110), 135(116), 141(112), 170(151)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा – 125 दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति. – (1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दण्डादेश देते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए, बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित है –

(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 11 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध, जो धारा 193 की उपधारा (1) या धारा 196 या धारा 197 के अधीन दण्डनीय अपराध से भिन्न है;

(ख) कोई ऐसा अपराध जो, या जिसके अंतर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टि करना है;

(ग) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध;

(घ) कोई अन्य अपराध, जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग आशयित है, या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशांति भंग संभाव्य है।

(3) यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बंधपत्र या जमानतपत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था, शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा।

धारा 126. अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति. – (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है या ऐसी अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यतः परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा।

धारा 127. कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति – (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के भीतर या बाहर–

(i) या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साशय फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात् :–

(क) कोई ऐसी बात, जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 299 के अधीन दण्डनीय है; या

(ख) किसी न्यायाधीश से, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है; या

PTS JODHPUR

(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 में यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता, उत्पादित करता, प्रकाशित करता या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहण करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है, और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

धारा 128. संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति. – जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

धारा 129. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति.– जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो. –

(क) अभ्यासतः लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचयिता है; या

(ख) चुराई हुई संपत्ति का, उसे चुराई हुई जानते हुए, अभ्यासतः प्रापक है; या

(ग) अभ्यासतः चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है; या

(घ) व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्टि का अपराध या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 10 के अधीन या उस संहिता की धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 181 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है; या

(ङ) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, जिनमें परिशांति भंग समाहित है; या

(च) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जो.–

(i) निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है, अर्थात् :. –

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23);

(ख) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31);

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19);

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10);

(ङ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22);

(च) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52);

(छ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34); या

(ii) जमाखोरी या मुनाफाखोरी या खाद्य या ओषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध है; या

(छ) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, उसे अपने सदाचार के लिए जमानतपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए।

PTS JODHPUR

धारा 130. आदेश का, दिया जाना– जब कोई मजिस्ट्रेट, जो धारा 126, धारा 127, धारा 128 या 129, के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात् प्रतिभुओं की संख्या का लिखित आदेश देगा।

धारा 131. न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया – यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है, न्यायालय में उपस्थित है तो बह उसे से पढ़कर सुनाया जाएगा या यदि यह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा।

धारा 132. ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारण्ट जो उपस्थित नहीं है.– यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में वह है उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निदेश देते हुए बारंट जारी करेगा

परन्तु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इतिला पर (जिस रिपोर्ट या इत्तिला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा), यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसे परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता है तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय बारंट जारी कर सकेगा।

धारा 133. समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी.– धारा 132 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 130 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी और उस समन या बारंट की तामील या निष्पादन करने बाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है।

धारा 134. वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति.– यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और अधिवक्ता द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकेगा।

धारा 135– ईतला की सच्चाई के बारे मे जॉच – (1)जब धारा 130 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय मे उपस्थित हो, धारा 131 के अधीन पढकर सुना या समझा दिया गया है, या जब कोई व्यक्ति धारा 132 के अधीन जारी किये गये सम्मन या वारंटी के अनुपालन या निष्पादन मे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस ईतला की सच्चाई के बारे मे जॉच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्यवाही की गई है और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है । जो उसे आवश्यक प्रतित हो ।

(2) ऐसी जॉच यथा साध्य, उस रिति से कि जायेगी जो सम्मन मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात विहित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन जॉच प्रारम्भ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए, या लोक सुरक्षा के लिए तुरन्त उपाय करने आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से , जिन्हे लेखबद्व किया जायेगा, उस व्यक्ति को , जिसके बारे में धारा 130 के अधीन आदेश दिया गया है, निर्देश दे सकता है कि वह जॉच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करें और जब तक ऐसा बंदपत्र निष्पादित नही कर दिया जाता है , या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा मे जब तक जॉच समाप्त नही हो जाती है , उसे अभिरक्षा मे निरूद रख सकता है ।

परन्तु – (क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरूद धारा 127,128,129 के अधीन कार्यवाही नही की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नही दिया जायेगा ।

(ख) ऐसे बंदपत्र के शर्ते , चाहे वे उसकी रकम के बारें मे या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के , या उनके दायित्व के धन संबंधी सीमा के बारें में हो, उनसे अधिक दुर्भर न होंगी जो धारा 130 के अधीन आदेश मे विनिर्दिष्ट है ।

PTS JODHPUR

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है या ऐंसा दुस्साहिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभुति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए संकटमय है , साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है ।

(5) जहॉ दो या अधिक व्यक्ति जॉच के अधीन विषय मे सहयुक्त रहे है वहॉ मजिस्ट्रेट एक ही जॉच या पृथक जॉचों में , जैसा वह न्यायसंगत समझें उनके बारें मे कार्यवाही कर सकता है ।

(6) इस धारा के अधीन जॉच उसके आरम्भ की तारीख से छहः मास की अवधि के अन्दर पुरी की जायेगी , और यदि जॉच इस प्रकार पूरी नही की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर , पर्यवसित जो जाएगी जब तक विशेष कारणों के आधार पर , जो लेखबद्व किये जाएंगें, मजिस्ट्रेट अन्यथा आदेश नही करता है ।

परन्तु – जहॉ कोई व्यक्ति ऐसी जॉच के लंबित रहने के दोरान निरूद रखा गया है वहॉ उस व्यक्ति के विरूद कार्यवाही यदि पहले ही पर्यवसित नही हो जाती है तो ऐसे निरोद के छहःमास की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी ।

(7)जहॉ कार्यवाहियों को चालू रखने की अनूज्ञा देते हुए उपधारा (6) के अधीन निर्देश किया जाता है वहॉ सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किये गये आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि वहा किसी विशेष कारण पर आधारित नही था या अनूचित था ।

धारा 141. प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास.

–(1) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 125 वा या धारा 136 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व, जिसको वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारंभ होती है, नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात् ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा या यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था।

(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 136 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात्, उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद–उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंधपत्र या जमानतपत्र का भंग किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद–उत्तरवर्ती, ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंधपत्र या जमानतपत्र की अबधि की समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दण्ड या समपहरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो।

(2) जब ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए बारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक, वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और वह कार्यवाही सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी।

(3) ऐसा न्यायालय ऐसी कार्यवाही की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तिला या साक्ष्य की, जिसे वह आवश्यक समझे, अपेक्षा करने के पश्चात् और संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे ।

• परन्तु वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक की न होगी।

(4) यदि एक ही कार्यवाही में ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, जिनमें से किसी एक के बारे में कार्यवाही सेशन न्यायालय को उपधारा (2) के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति का भी, जिसे प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, मामला शामिल किया जाएगा और उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध उस दशा में, ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले को भी, इस बात के सिवाय लागू होंगे कि वह अवधि (यदि कोई हो), जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकता है, उस अवधि से अधिक न होगी, जिसके लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया था।

(5) सेशन न्यायाधीश उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन उसके समक्ष रखी गई किसी

PTS JODHPUR

कार्यवाही को स्वविवेकानुसार अपर सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर सकता है और ऐसे अंतरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्यवाही के बारे में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(6) यदि प्रतिभूति जेल के भारसाधक अधिकारी को निविदत्त की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने आदेश किया, तत्काल निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

(7) परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा।

(8) सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास, जहां कार्यवाही धारा 127 के अधीन की गई है, वहां सादा होगा और जहां कार्यवाही धारा 128 या धारा 129 के अधीन की गई है वहां, जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय या मजिस्ट्रेट निदेश दे, कठिन या सादा होगा।

धारा 170. संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी –(1) कोई पुलिस अधिकारी जिसे कोई संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उल अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य बिधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है।

PTS JODHPUR

ब – लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 148 (129 सीआरपीसी) सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर–बितर करना. – (1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोकशांति विक्षुब्ध होने की संभाव्यता है, तितर–बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तद्नुसार तितर–बितर हो जाएं।

(2) यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर–बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है, जिससे उसका तितर–बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर–बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर– बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर–बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दण्ड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 149 (130 सीआरपीसी) जमाव को तितर–बितर करना – (1) धारा 148 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर–बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर–बितर किया जाए तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर–बितर करा सकता है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर–बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निदेश दे या जिन्हें जमाव को तितर–बितर करने या विधि के अनुसार दण्ड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे।

(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किन्तु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 150 (131 सीआरपीसी) जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियो की शक्तियां – जब कोई ऐसा जमाव लोक व्यवस्था को सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नही किया जा सकता है तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेश के अधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है और ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हे विधि कि अनुसार दण्ड दिया जा सके गिरफतार और परिरूद्व कर सकता है कितु यदि उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेंगा और तदनन्तर इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालु रखे या नहीं रखे मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेंगा ।

धारा 151. धारा 148, धारा 149 व धारा 150 (132, 129, 130, 131 सीआरपीसी) के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण– (1) किसी कार्य के लिए, जो धारा 148, धारा 149 या धारा 150 के अधीन किया गया तात्पर्थित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दण्ड न्यायालय में –

(क) जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में;

(ख) धारा 148 या धारा 149 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में,

PTS JODHPUR

(ग) धारा 150 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में
(घ) सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में,नहीं माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है
(3) इस धारा में और इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में, –
(क) "सशस्त्र बल" पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी हैं;
(ख) सशस्त्र बल के संबंध में "अधिकारी" से सशस्त्र बल के आफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त आफिसर, वारंट आफिसर, पेटी आफिसर, अनायुक्त आफिसर तथा अराजपत्रित आफिसर भी हैं;
(ग) सशस्त्र बल के संबंध में "सदस्य" से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है।

ख. – लोक न्यूसेन्स

धारा 152 (133 सीआरपीसी) न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश. – (1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि–
(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरुद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए; या
(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए; या
(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए या (घ) कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलंब लगाना आवश्यक है;
(ङ) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके; या
(च) किसी भयानक जीवजंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए,
तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीवजंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह –
(i) ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा दे या
(ii) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निदिष्ट की जाए या ऐसे मामले या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निदिष्ट की जाए या
(iii) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे; या
(iv) ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए या ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलंब लगाए; या
(v) ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाए; या
(vi) ऐसे भयानक जीवजंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे, जो उस आदेश में उपबंधित है, या यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए।

PTS JODHPUR

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

■ स्पष्टीकरण. – "लोक स्थान" के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद–प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं।

इस्तगासा – अर्न्तगत धारा 152 (133) बी.एन.एस.एस.

कार्यालय थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर राजस्थान।

क्रमांक :– दिनांक :–

सेवामें,

श्रीमान एस.डी.एम. साहब,
नागौर , जिला नागौर।
मार्फत – श्रीमान् ए.पी.पी. साहब, सम्बन्धित कोर्ट नागौर।

सरकार जरिये गैर सायल

01. श्री रामनिवास पुत्र श्री रामपाल
जाति उम्र 40 साल, निवासी
ताउसर रोड़, नागौर।

थानाधिकारी पु.था.
कोतवाली नागौर

इस्तगासा – अर्न्तगत धारा **152 बी.एन.एस.एस.** पु.था. कोतवाली जिला नागौर।

महोदय,

वाकियात् इस्तगासा इस प्रकार है कि दिनांक 26.1.2016 को समय 04.00 पी.एम. पर प्रार्थी श्री नरेश पुत्र श्री रामरतन उम्र 22 साल निवासी राउसर रोड़ नागौर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय कि प्रस्तुत की कि मेरे मकान के पास पड़ोसी रामनिवास पुत्र श्री रामलाल का मकान आया हुआ है, जिसके छज्जा रोड़ पर चार फिट बाहर निकला हुआ है। छज्जा गिरने की स्थिति में है, आम सड़क पर होने से आने–जाने वाले राहगीरों को खतरा बना हुआ है। यह छज्जा कभी भी गिरकर आम नागरिक या मुझ स्वयं को भी हानी पंहुचा सकता है। हम मोहल्ले वासीयों ने रामनिवास को दिनांक 25.1.2016 को छज्जा हटाने को कहा था मगर रामलाल छज्जा हटाने को राजी नही हुआ तथा रामनिवास ने अतिक्रमण कर रखा है। वगैरह रिपोर्ट पर जांच हेतु न्यूसेंस होने से हैड कानि. श्री रामकुंवार नं. 168 को जुम्मे की गई।

दौराने जांच बयान् सायल एवं गवाहान के लिये गये एवं मौका पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया गया जाकर फर्द नक्शा एवं हालात मौका मुर्तिब किया गया एवं पड़ोसीयान से गुप्त रूप से मालुमात की गई ।

हासला जांच बयान व निरीक्षण घटनास्थल से पाया गया कि सायल नरेश के पड़ोस में गैर सायल रामनिवास पुत्र श्री रामपाल निवासी ताउसर रोड़ नागौर का मकान आया हुआ है। मकान पुराना तथा खण्डर नुमा है एवं मकान का छज्जा बाहर आम सड़क पर आया हुआ है। जिससे आम जनता एवं सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों का जीवन संकटमय बना हुआ है तथा यातायात भी बाधित कर रहा है। मकान पुराना है। तथा इसमें कोई निवास नही कर रहा है जिसका छज्जा कभी भी गिर कर जान माल की हानि पंहुच सकती है। अतः गैर सायल रामनिवास के विरूद्ध जुर्म धारा **152 बी.एन.एस.एस.** साबित पाया जाता है।

अतः इस्तगासा हाजा बर खिलाफ गैर सायल श्री रामनिवास पुत्र श्री रामपाल उम्र 40 साल निवासी ताउसर रोड़ नागौर के विरूद्ध जुर्म धारा **152 बी.एन.एस.एस.** में पेश कर निवेदन है कि श्रीमान क्षेत्राधिकार में न्यूसेंस पाया गया है। बाद सलूक कानूनी कार्यवाही फरमावें।

सूची कागजात –

1. असल इस्तगासा हाजा वक्र– 01
2. असल रिपोर्ट – वक्र – 1
3. बयान् गवाहान् – वक्र – 03
4. नक्शा मौका – वक्र – 1
5. नकल रोजनामचा आम – वक्र – 1
6. हाजरी माफी वक्र – 1

PTS JODHPUR

सूची गवाहान –

1. श्री नरेश पुत्र श्री राम रतन जाति माली उम्र – 38 साल निवासी ताउसर रोड़ नागौर।
2. रामपाल पुत्र श्री रामकिशन जाति माली उम्र 60 साल निवासी ताउसर रोड़ नागौर।
3. रामनिवास कानि. 254 पु.था. कोतवाली जिला नागौर।
4. रामकुंवार हैड कानि. 138 पु.था. कोतवाली जिला नागौर।
5. थानाधिकारी पु.था. कोतवाली जिला नागौर।

भवदीय

थानाधिकारी
पु.था. कोतवाली नागौर

ग. – न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले

धारा 163(144 सीआरपीसी) न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति–(1) उन मामलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जिसमें मामले के तात्त्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य–विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निदेश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निदेश से यह संभाव्य है, या ऐसे निदेश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का, या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश, आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश निदिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को, जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निदिष्ट किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से दो मास से आगे प्रवृत्त न रहेगा :
परन्तु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त रहेगा; किन्तु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से छह मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निदेश के अभाव में समाप्त हो गया होता।

(5) कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद – पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है।

(7) जहां उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी; और यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

PTS JODHPUR

भारतीय न्याय संहिता 208 (188 सीआरपीसी)– लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा–जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में या प्रबन्धाधीन किसी सम्पति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए विर्दिष्ट किया गया है ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा।

यदि ऐसे अवज्ञा विधिपूवक्र नियोजित किन्ही व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ, या क्षति या उसका जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृति की हो,

दण्ड–एक मास तक का कारावास अथवा दो सौ रूपये तक का जुर्माना या दोनों और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करेगा या कारित प्रवृति की हो या बलवा या दंगा कारित करती हो या ऐसी प्रवृति की हो,

दण्ड–छः मास तक का कारावास अथवा एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों।

घ. स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद

धारा 164(145 सीआरपीसी) जहां भूमि या जल से संबंद्ध विवादों से परिशांति भंग होना सम्भाव्य है वहां प्रक्रिया. – (1) जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने–अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "भूमि या जल" पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीनक्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं।

(3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निदिष्ट करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी।

(4) मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषयवस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का, जो ऐसे पेश किए गए हैं, परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो; लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषयवस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था :

' परन्तु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात् और उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था।

(5) इस धारा की कोई बात, हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी किन्तु उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

(6) (क) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषयवस्तु का विवाद पर ऐसा कब्जा था या उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई

PTS JODHPUR

विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा और जब वह उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को, जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है, कब्जा लौटा सकता है।

(ख) इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा (3) में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा।

(7) जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा।

(8) यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की, जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषयवस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे।

(9) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन यह निदेश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे।

(10) इस धारा की कोई बात धारा 126 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी।

धारा 165 (146 सीआरपीसी) विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने की और रिसिवर नियुक्त करने की शक्ति–(1) यदि धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करते के पश्चात् किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है या यदि वह विनिश्चय करता? कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, या यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है परन्तु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषयवस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं रही तो वह किमी समय भी कुर्की वापस ले सकता है।

(2) जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसी विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो, यह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है या यदि वह ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन रिसीवर की होती हैं

परन्तु यदि विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट–

(क) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि बह विवाद की विषयवस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात् वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा

(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकेगा, जो न्यायसंगत हैं।

PTS JODHPUR

इस्तगासा अर्न्तगत धारा – 164 (145) बीएनएसएस

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर (राज0)

क्रमांक – दिनांक –

सेवामें,

श्रीमान् एस0डी0एम0 साहब,
नागौर जिला नागौर (राज0)

मार्फतः– श्रीमान् एपीपी साहब, एसडीएम कोर्ट नागौर
सरकार जरिये– थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागोर
गेर सायल – पार्टी नंबर 1

श्री काना राम पिता श्री कुका राम जाति माली उम्र 45 साल पेशा खेती निवासी ताउसर जिला नागौर

पार्टी नंबर 2

श्री पूरुखा राम पिता श्री पापा लाल जाति माली उम्र 40 साल पेशा खेती निवासी ताउसर जिला नागौर

इस्तगासा अर्न्तगत धारा – **164 बीएनएसएस** थाना कौतवाली नागौर (राज0)

श्रीमान्जी,

वाकियात इस्तगासा हाजा इस प्रकार से है कि ग्राम टाउसर की सरहद मे विवादित जमीन खेत खसरा नंबर 309/403 आया हुआ है उक्त जमीन पर काबिज पार्टी नंबर 1 श्री काना राम पिता श्री हुकमा राम जाति माली उम्र 45 साल निवासी ताउसर वगैरा है । तथा उक्त विवादित जमीन का रेकार्ड रेवेन्यू अनुसार पार्टी नंबर 2 श्री पुरखा राम पिता पापा लाल जाति माली उम्र 40 साल निवासी ताउसर के नाम से है । इस कारण इस जमीन को लेकर दौना पक्षो में भारी आक्रोश है । दौनो पक्षों के इस जमीन को लेकर प्रकरण संख्या 13/14 धारा 447,341,323 भादसं व प्रकरण संख्या 14/17 धारा 341,323 भादसं में दर्ज होकर दोनो पार्टीयों का चालान हो चुका है । दोनो प्रकरण जैर ट्रायल अदालत है एवं प्रकरण सं. 31/16 व 32/16 थाना हाजा पर दर्ज होकर जैर अनुसंधान है । दोनो पार्टीयों को धारा 107,151 द.प्र.सं.में गिरफ्तार कर न्यायालय से पाबन्द करवाया जा चुका है । फिर भी दोनो पार्टीयॉ मरने मारने पर आमादा होने से तथा जमीन विवाद को लेकर खुन खराबा होने की पूर्ण संभावना होने से जॉच धारा 145 जा. फौ. में शुरु की गई ।

दौराने जॉच है.का. रामकुमार 168 ने घटना स्थल विवादित जमीन का नक्शा मौका रेखाचित्र मुर्तिब किया गया। बयान गवाहान लिये गये। हल्का पटवारी से रेवन्यु रेकार्ड प्राप्त किया गया । पूर्व में चालान शुदा प्रथम सूचना रिपोर्ट 13/14 व 14/14 व चार्जशीट की प्रमाणित प्रतियां। एवं इस्तगासा अर्न्तगत धारा 107,151 द.प्र.सं.की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल प्रत्रावली की गई ।

हासला जॉच बयान गवाहान एवं उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि गैर सायल पार्टी नंबर 1 व 2 के विरुद्ध जमीन खेत खसरा नंबर 309/403 सरहद ताउसर को लेकर आपस में रंजिश है दौनो पक्ष उक्त जमीन को लेकर कभी भी खुन खराबा कर श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में शान्ति भंग कर सकते है अतः दोनों पक्षकारों को पाबंद करना फरमावें।

अतः इस्तगासा हाजा बर खिलाफ गेर सायल पार्टी नंबर 1 व पार्टी नंबर 2 के विरुद्ध जुर्म धारा 164 बीएनएसएस मे पेश कर निवेदन है कि उक्त विवादित जमीन को अविलम्ब कुक्र फरमाकर हल्का पटवारी को रिसीवर नियुक्त फरमानें की कृपा करावें, ताकि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में शांती व्यवस्था कायम रह सके।

सूचि कागजात –1. इस्तगासा हाजा वक्र –1
2. शपथ पत्र वक्र –1
3. बयान गवाहान वक्र वक्र –2
4. रेवेन्यू जमाबन्दी गिरदावरी वक्र –2
5. FIR No 13/14 व 14/14 की प्रमाणित प्रति व चार्जशीट वक्र –10

PTS JODHPUR

6. FIR No 31/116 व 32/16 की प्रमाणित प्रति
6. हाजिर माफी वक्र –1

सूचि शहादत गवाहान –

1. श्री सुनील पिता श्री कृपा राम जाति माली निवासी ताउसर
2. श्री धन्ना राम पिता श्री किशना राम जाति माली निवासी ताउसर
3. श्री सही राम विश्नोई हल्का पटवारी ताउसर
4. श्री राम निवास कानि. नंबर 554 थाना कोतवाली नागौर
5. श्री ओम प्रकाश कानि. नंबर 1103 थाना कोतवाली नागौर
6. श्री रामकुमार हे. कानि. नंबर 168 थाना कोतवाली नागौर
7. थानाधिकारी थाना कोतवाली नागौर

भवदीय

थानाधिकारी
थाना कोतवाली नागौर (राज0

5.राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 तथा एच.ओ. एक्ट

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 तथा एच.ओ. एक्ट के प्रमुख प्रावधान एवं इस्तगासा तैयार करना –
धारा 2 (ख) गुण्डा से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो –
(1)या तो स्वंय किसी गैंग के सदस्य या नेता के रूप में भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध) अध्याय 17 (सम्पति के विरूद्ध अपराध) और अध्याय 22 (आपराधिक अभित्रास अपमान और क्षोभ के विषय में अपराध) या धारा 290 से 294 भादस का अपराध आदतन करता है प्रयत्न करता है या उन्हे करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या
(2) महिलाओं एवं कन्याओं में अनैतिक आरचरण का दमन अधिनियम 1956 के अधीन दोष सिद्ध हो गया हो या
(3) राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या
(4) एनडीपीएस एक्ट के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या
(5) राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 में कम से कम दो बार सजायाब ठहराया गया हो
(6) महिलाओं या लडकियों पर अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हे छेडता हुआ पाया गया हो,
(7) हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा विधिपालक लोगो को भयभीत करने का अभ्यासी पाया गया हो,
(8) जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बल पूर्वक चन्द संग्रहित करने या अपने या अन्य के अवैध आर्थिक फायदे के लिए लोगो को धमकी देने का अभ्यासी हो,
धारा 3 गुण्डो का निष्कासन आदि – (1)यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतित हो कि कोई व्यक्ति गुण्डा है धारा 2 (ख) के उपखण्ड 1–6 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का कृत्य को करने के लिए जिले या उसके किसी भाग में साक्षी लोगो को अपने शरीर या सम्पति की सुरक्षा की आंशका होने पर उसके विरूद्ध साक्ष्य देने का इच्छुक नहीं होने से पर जिला दण्डनायक उसे लिखित में एक नोटिस द्वारा महत्वपूर्ण आरोपो की सूचना देगा और उनके सम्बंध में उनके सम्बंध में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु एक उचित अवसर देगा।
(2) जिस व्यक्ति के विरूद्ध इस धारा के अधीन कोई आदेश जारी किया जाता है वह अपने वकील से परामर्श कर अपना बचाव कर सकता है।
(3) जहां जिला दण्डनायक इससे सन्तुष्ट होने पर कि उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट स्थितियां विद्यमान है जब तक कि ऐसी अवधि जो 6 माह से अधिक की नहीं होगी तथा जिसका आदेश में उल्लेख किया जावेगा समाप्त न हो जावे लिखित आदेश द्वारा– उस जिले या जिले के किसी भाग से निष्कासन अवधि जो छः माह से अधिक न होगी निर्देश देगा कि स्वंय को उस अवधि के लिए प्रवेश से रोके विहित तरीके से स्वंय की उपस्थिति की सूचना

PTS JODHPUR

निर्दिष्ट व्यक्ति को देगा। किसी भी ऐसी वस्तु का जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये उपयोग में लेने से मना करेगा ऐसे तरीके से विनिर्दिष्ट किया जावे या अन्य प्रकार से स्वंय का आचरण करने के लिए उससे कहेगा।

धारा 4 अस्थायी रूप से लौटने की अनुमति

धारा 5 आदेश की अवधि को बढाना – यह अवधि समय समय पर बढाई जा सकती है परन्तु दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

धारा 6 अपील – आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर सम्भागीय आयुक्त के समक्ष के अपील कर सकेगा।

धारा 10 – धारा 3 से 6 के अधीन आदेशो के उल्लंघन के लिए दण्ड – कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी लेकिन 6 माह से कम नहीं होगी एवं उस पर जुर्माना भी किया जा सकेगा।

6.राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

(1980 का अधिनियम संख्यांक 65) 27 दिसम्बर, 1980,

कुछ मामलों में निवारक निरोध का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्धकरने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 है ।

(2) इसका विस्तार, जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय, सम्पूर्ण भारत पर है ।

2. परिभाषाएं–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निरोध–आदेश या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में, समुचित सरकारष से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, तथा किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरोध–आदेश के संबंध में या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में, ऐसी राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) निरोध–आदेश से धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है;

(ग) विदेशी का वही अर्थ है जो विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) में है;

(घ) व्यक्ति के अन्तर्गत कोई विदेशी भी है;

(ङ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से, उसका प्रशासक अभिप्रेत है ।

3. कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति–(1) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का,–

(क) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समाधान हो जाता है कि उसे भारत की सुरक्षा पर, भारत के विदेशी सरकारों से सम्बधों पर या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, अथवा

(ख) किसी विदेशी के सम्बन्ध में यह समाधान हो जाता है कि भारत में उसके उपस्थित बने रहने का विनियमन करने की दृष्टि से या उसे भारत से बाहर निकालने का इंतजाम करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है,

तो वह यह निर्देश देते हुए, आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि उसे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करना पद के अन्तर्गत चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित, समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करना पद नहीं है और तद्नुसार इस अधिनियम के अधीन कोई भी निरोध–आदेश उस आधार पर नहीं किया जाएगा जिस पर उस अधिनियम के अधीन कोई निरोध–आदेश किया जा सकता है ।

PTS JODHPUR

(3) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान या विद्यमान हो सकने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी अवधि के दौरान, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उसका उपधारा (2) में उपबन्धित रूप में समाधान हो जाता है तो, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ,

परन्तु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि, प्रथम बार में तीन मास से अधिक की नहीं होगी, किन्तु राज्य सरकार, यदि उसका पूर्वोक्त रूप में यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो, ऐसे आदेश को, समय–समय पर संशोधित करके ऐसी अवधि को, एक बार में अधिक से अधिक तीन मास तक के लिए, बढ़ा सकेगी ।

(4) जब इस धारा के अधीन कोई आदेश उपधारा (3) में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो वह उस तथ्य की रिपोर्ट उस राज्य सरकार को तुरन्त भेजेगा जिसके वह अधीनस्थ है और साथ ही वे आधार, जिन पर वह आदेश किया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो उसकी राय में मामले से संबंधित हैं, भी, भेजेगा और ऐसा कोई आदेश, उसके किए जाने की तारीख से, बारह दिन से अधिक तभी प्रवृत्त रहेगा जबकि इस बीच राज्य सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है, अन्यथा नहीं रू

परन्तु जहां निरोध के आधार, आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा निरोध की तारीख से पांच दिन के पश्चात् किन्तु पंद्रह दिन, के भीतर, धारा 8 के अधीन संसूचित किए जाते हैं, वहां यह उपधारा इस उपान्तर के साथ लागू होगी कि बारह दिन शब्दों के स्थान पर 1 बीस दिन, शब्द रखे जाएंगे ।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है तो राज्य सरकार उस तथ्य की रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को, सात दिन के भीतर भेजेगी और साथ ही वे आधार, जिन पर वह आदेश किया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो राज्य सरकार की राय में उस आदेश की आवश्यकता से संबंधित हैं, भी भेजेगी ।

4. निरोध–आदेशों का निष्पादन–निरोध–आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर उस रीति से किया जा सकेगा जो नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 2) में गिरफ्तारी के वारण्टों के निष्पादन के लिए उपबन्धित है ।

5. निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनियमन करने की शक्ति–प्रत्येक व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निरोध–आदेश किया गया है, –

(क) ऐसे स्थान पर और ऐसी दशाओं में, जिनके अन्तर्गत भरण–पोषण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिए दण्ड भी है, निरुद्ध किया जा सकेगा जो समुचित सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे; और

(ख) निरोध के एक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान को, चाहे वह उसी राज्य में हो या दूसरे राज्य में, समुचित सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा रू

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाने का खण्ड (ख) के अधीन आदेश उस अन्य राज्य की सरकार की सम्मति के बिना नहीं करेगी ।

ख्क. निरोध के आधारों का पृथक् किया जाना–जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन ऐसे निरोध–आदेश के ख्वाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् किया गया होट अनुसरण में, जो दो या अधिक आधारों पर किया गया है, निरुद्ध किया गया है वहां ऐसे निरोध–आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे आधारों में से प्रत्येक आधार पर अलग–अलग किया गया है और तद्नुसार रू–

(क) ऐसे आदेश के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय है कि ऐसे आधारों में से एक या कुछ आधार रू–

(i) स्पष्ट नहीं हैं ;

(ii) विद्यमान नहीं हैं;

(iii) सुसंगत नहीं हैं;

(iv) उस व्यक्ति से संबद्ध नहीं हैं या उससे निकटतः संबद्ध नहीं हैं; या

(अ) किसी भी अन्य कारण से अविधिमान्य हैं,

PTS JODHPUR

और इस कारण यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि ऐसा आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी का वैसा समाधान हो गया था जैसा कि शेष आधार या आधारों के प्रति धारा 3 में उपबंधित है और उसने निरोध–आदेश किया था;

(ख) निरोध–आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उक्त धारा के अधीन निरोध आदेश अपना वैसा समाधान हो जाने के पश्चात् किया था जैसा कि शेष आधार या आधारों के प्रति उस उपधारा में उपबंधित है ।,

6. निरोध–आदेशों का कुछ आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील न होना–कोई निरोध–आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा कि–

(क) उसके अधीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर है, अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान उक्त सीमाओं के बाहर है ।

7. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां–(1) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या धारा 3 की उपधारा (3) में वर्णित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति के संबंध में निरोध–आदेश किया गया है वह फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सकता तो वह सरकार या अधिकारी–

(क) उस तथ्य की लिखित रिपोर्ट उस महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा जो उस स्थान पर अधिकारिता रखता है जहां उक्त व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है;

(ख) राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा उक्त व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी के समक्ष ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हाजिर हो ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई रिपोर्ट कर दिए जाने पर, बीएनएसएस, 2023 (2023 का 2) की धारा 84, 85, 87, 88 (82, 83, 84, और 85 सीआरपीसी) के उपबन्ध ऐसे व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानो उसे निरुद्ध करने का आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया वारण्ट हो ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि उसका अनुपालन करना उसके लिए सम्भव नहीं था और उसने आदेश में वर्णित अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस कारण की, जिससे उसका अनुपालन असम्भव था, तथा अपने पते–ठिकाने की सूचना दे दी थी, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(4) बीएनएसएस, 2023 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

8. **आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध–आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना**–(1) जब कोई व्यक्ति किसी निरोध–आदेश के अनुसरण में निरुद्ध है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु निरोध की तारीख से मामूली तौर पर पांच दिन के भीतर तथा असाधारण परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ख्यन्द्रह दिनट के भीतर, उसे वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है और उसे समुचित सरकार से उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर देगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात प्राधिकारी से यह अपेक्षा न करेगी कि वह ऐसे तथ्य प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध समझता है ।

9. सलाहकार बोर्डों का गठन–(1) जब भी आवश्यकता हो, केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्डों का गठन करेगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक बोर्ड ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं और ऐसे व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(3) समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है और किसी संघ राज्यक्षेत्र के मामले में सलाहकार बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति, जो किसी ऐसे राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, सम्बन्धित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी ।

PTS JODHPUR

10. सलाहकार बोर्डों को निर्देश–इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन निरोध का आदेश किया गया है, उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर समुचित सरकार, धारा 9 के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष वे आधार, जिन पर वह आदेश किया गया है, और यदि आदेश से प्रभावित व्यक्ति ने कोई अभ्यावेदन किया है तो वह अभ्यावेदन और जब आदेश धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया है तब उस अधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा (4) के अधीन दी गई रिपोर्ट भी, रखेगी ।

11. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया–(1) सलाहकार बोर्ड, अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा समुचित सरकार से या समुचित सरकार के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ बुलाए गए किसी व्यक्ति से या संबद्ध व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांगने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझता है अथवा यदि संबद्ध व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए तो स्वयं उसे सुनने के पश्चात्, समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट संबद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से सात सप्ताह के भीतर देगा ।

(2) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक अलग भाग में उसकी यह राय विनिर्दिष्ट की जाएगी कि संबद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं ।

(3) जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को बोर्ड की राय समझा जाएगा ।

(4) इस धारा की कोई बात उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरोध–आदेश किया गया है, इस बात का हकदार न बनाएगी कि वह सलाहकार बोर्ड को निर्देश से संबंधित किसी मामले में विधि–व्यवसायी द्वारा हाजिर हो तथा सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, उसके उस भाग के सिवाय जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी ।

12. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई–(1) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण है, समुचित सरकार निरोध–आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा संबद्ध व्यक्ति को उतनी अवधि–पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे ।

(2) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं है, समुचित सरकार निरोध–आदेश वापस ले लेगी तथा उस व्यक्ति को तुरन्तु छुड़वा देगी ।

13. निरोध की अधिकतम अवधि–धारा 12 के अधीन पुष्ट किए गए किसी निरोध–आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि–पर्यन्त निरुद्ध रखा जा सकेगा वह निरोध की तारीख से बारह मास की होगी , परन्तु इस धारा की कोई बात निरोध–आदेश को पहले ही किसी समय वापस लेने या उपांतरित करने की समुचित सरकार की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

14. निरोध–आदेश वापस लेना–(1) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी निरोध–आदेश को किसी भी समय,–

(क) इस बात के होते हुए भी कि आदेश, धारा 3 की उपधारा (3) में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा किया गया है, उस राज्य सरकार द्वारा, जिसके वह अधिकारी अधीनस्थ है या केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा;

(ख) इस बात के होते हुए भी कि आदेश किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा ।

(2) किसी निरोध–आदेश के (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् पूर्ववर्ती निरोध–आदेश कहा गया है) अवसान या वापस लिए जाने के कारण ख्वाहे ऐसा पूर्ववर्ती निरोध–आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् किया गया होट उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन दूसरे निरोध–आदेश का (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् पश्चात्वर्ती निरोध–आदेश कहा गया है) किया जाना वर्जित नहीं होगा रू

परन्तु यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किए गए पूर्ववर्ती निरोध–आदेश के अवसान या वापस लिए जाने के पश्चात् कोई नए तथ्य उत्पन्न नहीं हुए हैं तो ऐसी अधिकतम अवधि, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति पश्चात्वर्ती निरोध–आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सकेगा, किसी भी दशा में, पूर्ववर्ती निरोध–आदेश के अधीन निरोध की तारीख से बारह मास की अवधि के अवसान के परे नहीं बढ़ाई जाएगी ।,

14क. वे परिस्थितियां जिनमें व्यक्तियों को सलाहकार बोर्डों की राय प्राप्त किए बिना, तीन मास से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा–(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में, या किसी न्यायालय या अन्य

PTS JODHPUR

प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में, किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति को, जिसके संबंध में 8 जून, 1989, से पहले किसी समय इस अधिनियम के अधीन कोई निरोध आदेश किया गया है, सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना, उसके निरोध की तारीख से तीन मास से अधिक किन्तु छह मास से अनधिक की अवधि के लिए उस दशा में निरोध में रखा जा सकेगा जब ऐसे व्यक्ति की किसी विक्षुब्ध क्षेत्र में,–

(i) आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों से निपटने में सरकार के प्रयासों में हस्तक्षेप करने से; और

(ii) (क) भारत की रक्षा; या

(ख) भारत की सुरक्षा; या

(ग) राज्य की सुरक्षा; या

(घ) लोक व्यवस्था बनाए रखने; या

(ङ) समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों सेवाओं को बनाए रखने,

पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से निरुद्ध किया गया है ।

स्पष्टीकरण 1–धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के उपबंध इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण 2–इस उपधारा में, विक्षुब्ध क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983(1983 का 32) की धारा 3 के अधीन या चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 (1983 का 33) की धारा 3 के अधीन, अधिसूचना द्वारा, तत्समय विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है ।

स्पष्टीकरण 3–इस उपधारा में, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप से आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1987 (1987 का 2) के अर्थ में आतंकवादी कार्य और विध्वंसक क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जिसे उपधारा (1) लागू होती है, धारा 3, धारा 8 और धारा 10 से धारा 14 तक, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगी, अर्थात् रू–

(क) धारा 3 में,–

(प) उपधारा (4) के परंतुक में,–

(अ) दस दिन "शब्दों के स्थान पर, पन्द्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) पन्द्रह दिन "शब्दों के स्थान पर, बीस दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(पप) उपधारा (5) में, सात दिन "शब्दों के स्थान पर, पन्द्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) धारा 8 की उपधारा (1) में, दस दिन "शब्दों के स्थान पर, पन्द्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) धारा 10 में, तीन सप्ताह के भीतर "शब्दों के स्थान पर, चार मास और दो सप्ताह के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) धारा 11 में,–

(i) उपधारा (1) में, सात सप्ताह के भीतर शब्दों के स्थान पर, पांच मास और तीन सप्ताह शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, संबद्ध व्यक्ति के निरोध शब्दों के स्थान पर, संबद्ध व्यक्ति के निरंतर निरोध शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) धारा 12 में, निरोध के लिए शब्दों के स्थान पर, उन दो स्थानों पर, जहां वे आते हैं, निरंतर निरोध के लिए शब्द रखे जाएंगे;

(च) धारा 13 में, बारह मास शब्दों के स्थान पर, दो वर्ष शब्द रखे जाएंगे;

(छ) धारा 14 की उपधारा (2) के परंतु में बारह मास शब्दों के स्थान पर, दो वर्ष शब्द रखे जाएंगे ।

15. निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना–(1) समुचित सरकार किसी भी समय निदेश दे सकेगी कि निरोध–आदेश के अनुसरण में निरुद्ध कोई व्यक्ति, या तो बिना शर्तों के या निदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ दिया जाए और उसका छोड़ा जाना वह किसी भी समय रद्द कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के छोड़े जाने का निदेश देते समय, समुचित सरकार उससे अपेक्षा कर सकेगी कि वह निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के उचित पालन के लिए प्रतिभुओं सहित या उनके बिना बंधपत्र निष्पादित करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति अपने को उस समय और स्थान पर और उस प्राधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित करेगा जो, यथास्थिति, उसके छोड़ जाने का निदेश देने वाले या उसका छोड़ा जाना रद्द करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट हो ।

PTS JODHPUR

(4) यदि पर्याप्त कारण के बिना कोई व्यक्ति उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से अपने को अभ्यर्पित करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसको अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।
(5) यदि उपधारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति उस पर उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित शर्तों पर उसके द्वारा निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रहेगा तो उन बन्धपत्र का समपहृत किया जाना घोषित कर दिया जाएगा और उसके द्वारा आबद्ध व्यक्ति उसमें दी गई शास्ति का देनदार होगा ।

16. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण–इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं होगी और न कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध होगी ।

17. अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी न होना–(1) इस अधिनियम की कोई बात, किसी राज्य विधि के अधीन किए गए ऐसे निरोध–आदेशों के संबंध में, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 (1980 का 11) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, लागू या किसी प्रकार प्रभावी नहीं होगी और तदनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके संबंध में किसी राज्य विधि के अधीन किया गया कोई निरोध–आदेश, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, ऐसे निरोध के संबंध में ऐसी राज्य विधि के उपबन्धों द्वारा या जहां जिस राज्य विधि के अधीन ऐसा निरोध–आदेश किया गया है, वह उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कोई अध्यादेश है (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य अध्यादेश कहा गया है) और ऐसे राज्य अध्यादेश का स्थान,–

(i) ऐसे प्रारम्भ के पूर्व, उस राज्य के विधान–मण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियमिति ने ले लिया है, वहां ऐसी अधिनियमिति द्वारा, या

(ii) ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उस राज्य के विधान–मण्डल द्वारा पारित किसी ऐसी अधिनियमिति ने ले लिया है जिसका लागू होना ऐसे राज्य अध्यादेश के अधीन ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किए गए निरोध–आदेशों तक सीमित है, वहां ऐसी अधिनियमिति द्वारा,

उसी प्रकार शासित होगा मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही न किया गया हो ।
(2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 3 के अधीन किसी निरोध–आदेश के किए जाने का उस दशा में वर्जन करती है जब ऐसे व्यक्ति के संबंध में राष्ट्रीय–सुरक्षा अध्यादेश, 1980 (1980 का 11) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व यथापूर्वोक्त प्रवृत्त निरोध–आदेश किसी भी कारणवश, प्रवृत्त नहीं रह जाता है ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, राज्य विधिष से कोई ऐसी विधि अभिप्रेत है जो, उन सभी या उनमें से किसी आधार पर, जिन पर धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन कोई निरोध–आदेश किया जा सकता है, निवारक निरोध के लिए उपबन्ध करती है और जो उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त है ।

18. निरसन और व्यावृत्ति–राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 (1980 का 11) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 23 सितम्बर, 1980 को प्रवृत्त हो गया हो और विशिष्टतः उक्त अध्यादेश की धारा 10 के अधीन किए गए किसी निर्देश में, जो उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, ठीक पूर्व किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष लम्बित है, उस तारीख के पश्चात् उस बोर्ड द्वारा कार्रवाई इस प्रकार चालू रखी जा सकेगी मानो ऐसा बोर्ड इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित किया गया हो ।

7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 94 (91) के अर्न्तगत नोटिस

धारा 94 (91) दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समय –(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि

किसी ऐसे अन्वेषण जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए जो कइिस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है किसी दस्तावेज या चीज कके होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।

PTS JODHPUR

(2) यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात–

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 128 और 129 या बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम , 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र पोस्टकार्ड तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक

क्रमांक – दिनांक –

श्रीमन् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,
टोंक।
मार्फत – एपीसी साहब – प्रथम, न्यायालय टोंक।

सरकार जरिये थानाधिकारी सदर जिला टोंक	बनाम	श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक।
इस्तगासा अन्तर्गत धारा 208 बीएनएस थाना सदर जिला टोंक।		

महोदय ,

वाक्यात इस्तगासा इस प्रकार है कि मुकदमा नम्बर 245/17 धारा 143.324, 325,326 भा0द0सं0 थाना सदर टोंक में अनुसंधान अधिकारी श्री नन्द सिंह राजावत स0उ0नि0 ने अनुसंधान में अनुसंधान में सहयोग हेतु श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक को दिनांक 18.08.17 को समय 10.30 ए0एम0 तक थाना सदर टोंक पर उपस्थित आने हेतु सफीना अन्तर्गत धारा 160 सीआरपीसी में जारी कर श्री भरत लाल कानि0 321 थाना सदर टोंक को तामिल हेतु दिया गया था श्री भरत लाल कानि0 321 द्वारा दिनांक 16.08.17 को मोहल्ला हाउसिंग बोर्ड टोंक में श्री दशरथ सिंह के मकान पर पहुंच कर स्वंय को दिनांक 18.08.17 को 10.30 ए0एम0 तक अनुसंधान में सहयोग हेतु थाने पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने हेतु सफीना अन्तर्गत धारा 160 सीआरपीसी की एक प्रति प्राप्त कर प्राप्ति रसीद हस्ताक्षर दूसरी प्रति पर देकर तामिल करने हेतु कहा गया तो श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक ने थाने पर उपस्थित होने से मना कर दिया एवं सफीना पर हस्ताक्षर नहीं किये न ही प्रति अपने हाथ में ली और कानि0 से कहा कि ना तो मैं थाने पर आउंगा और ना ही उक्त मुकदमें में कोई सहयोग जानकारी दूंगा। तामिल कुनिन्दा कानि0 ने वापसी थाना पर आकर तामिल हालात निवेदन कर सफीना अदम तामिल पेश किया।

इस प्रकार श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक द्वारा संगीन किस्म के मुकदमें में सहयोग, जानकारी देने के लिए लोक सेवक द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना की है। अतः इस्तगासा हस्बदफा 174 आई0पी0सी0 विरूद्ध श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक के पेश कर निवेदन है कि बाद समायत सलूक कानूनी फरमाने की कृपा करें।

भवदीय,
हस्ता0
थानाधिकारी,पुलिस थाना सदर,जिला टोंक

PTS JODHPUR

सूची गवाहान

1— श्री भरत लाल कानि0 321 पुलिस थाना सदर जिला टोंक ।(तामिल कुनिन्दा)
2— श्री राधेश्याम त्रिपाठी पुत्र श्री किशोरी लाल जाति ब्राहम्ण उम्र 25 साल नि0 हाउसिंग बोर्ड टोंक (तामिल हालात का गवाह)
3— श्री वीरेन्द्र सिंह है0कानि0 36 पुलिस थाना सदर जिला टोंक । (रोजनामचा नवीस एच0एम0)
4— श्री नन्द सिंह राजावत स0उ0नि0, अनुसंधान अधिकारी मु0नं0 245/17।
5— श्री नरेन्द्र कुमार जैन पु0नि0, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक।

सूची दस्तावेज

1— इस्तगासा मय गोस्वारा गवाहान ।
2— नकल रपट रोजनामचाआम दिनांक 16.08.17 (रवानगी, वापसी तामिल कुनिन्दा)
3— असल सफीना 160 सीआरपीसी मय कानि0 रिपोर्ट।
4— एफआईआर नं0 245/17 की प्रमाणित प्रति।

हस्ता0
थानाधिकारी,पुलिस थाना सदर,जिला टोंक

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक

क्रमांक — दिनांक —

श्रीमन् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,
टोंक।
मार्फत — एपीसी साहब — प्रथम, न्यायालय टोंक।

सरकार जरिये थानाधिकारी सदर जिला टोंक	बनाम	सदाकत अली पुत्र श्री लियाकत अली जाति मुसलमान उम्र 47 साल निवासी चिडीयों की बाडी पुलिस थाना सदर जिला टोंक
इस्तगासा अन्तर्गत धारा 211 बीएनएस थाना सदर जिला टोंक।		

महोदय ,

वाक्यात इस्तगासा इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.17 को स0उ0नि0 नन्द सिंह राजावत को मय जाब्ता जीप सरकारी के सांयकालिन गश्त, चैकिंग बदमाशान, तलाश वारन्टियान में ईलाका थाना रवाना किया गया था। वापसी पर स0उ0नि0 ने हालात दर्ज कराये कि दौराने गश्त चिडियों की बाडी पहुंच कर गश्त कर रहा था जहां पर मुखबिर खास से सूचना मिली की फरार उद्घोषित अपराधी निजाम मद्रासी पुत्र गफूर खां निवासी देशवाली मोहल्ला पुरानी टोंक वार्ड मेम्मर सदाकत अली के घर पर परसो रात्री (दिनांक 16.08.17) आया था सूचना की तस्दीक की गई आस पास के अन्य दो—तीन व्यक्तियों ने भी परसों रात्री में फरार उद्घोषित अपराधी निजाम मद्रासी के वार्ड मेम्मर सदाकत अली के घर पर आने व रात रूकने की बात को ताईद किया। निजाम मद्रासी मुकदमा संख्या 215/17 धारा 302, 34 भा0द0सं0 थाना सदर जिला टोंक में वांछित उद्घोषित अपराधी है जो प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय के आदेश के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ है जिसे न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है। वार्ड मैम्बर सदाकत अली पुत्र श्री लियाकत अली जाति मुसलमान उम्र 47 साल निवासी चिडीयों की बाडी पुलिस थाना सदर जिला टोंक ने विधि से आबद्ध होते हुए भी जानबुझ कर फरार उद्घोषित अपराधी निजाम मद्रासी को अपने घर में शरण दी व कानूनन सूचना देने के लिए बाध्य होते हुए भी उद्घोषित अपराधी के अपने यहां आने व ठहरने के बारे में किसी थाना पुलिस न्यायालय में सूचना नहीं दी व बदनियती पूर्वक सूचना देने का लोप किया है जो जुर्म धारा 176 आई0पी0सी0 के तहत दण्डनीय है।

अतः इस्तगासा अन्तर्गत धारा 176 आई0पी0सी0 में बरखिलाफ श्री सदाकत अली पुत्र श्री लियाकत अली जाति मुसलमान उम्र 47 साल निवासी चिडीयों की बाडी पुलिस थाना सदर जिला टोंक पेश कर निवेदन है कि बाद समायत सलूक कानूनी फरमावें।

PTS JODHPUR

भवदीय,
हस्ता0
थानाधिकारी,पुलिस थाना सदर,जिला टोंक

सूची गवाहान

1— श्री आनन्दी लाल निवासी चिडीयो की बाडी (गवाह)
2— श्री महमूल खां पुत्र सलीम मो0 निवासी चिडीयों की बाडी (गवाह)
3— श्री भरत लाल कानि0 321 पुलिस थाना सदर जिला टोंक।
4— श्री निर्मल कुमार कानि0 850 पुलिस थाना सदर जिला टोंक।
5— श्री नन्द सिंह राजावत स0उ0नि0, पुलिस थाना सदर जिला टोंक।
6— श्री नरेन्द्र कुमार जैन पु0नि0, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक।

सूची दस्तावेज

1— इस्तगासा मय गोस्वारा गवाहान ।
2— नकल रपट रोजनामचाआम दिनांक 18.08.17 (रवानगी, वापसी स0उ0नि0 मय जाब्ता)
3— बयानात गवाहान —2
4— एफआईआर नं0 215/17 की प्रमाणित प्रति।
5— न्यायालय उद्घोषणा की प्रमाणित प्रति।
6— स्थायी वारन्ट की प्रति।

हस्ता0
थानाधिकारी,पुलिस थाना सदर,जिला टोंक

PTS JODHPUR